खण्ड-263, अंक-8
शुक्रवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(25 फरवरी, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 263 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २५ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी , श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजमानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री

दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गा प्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बद्री प्रसाद पालीवाल, श्री
बल्बन सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री

बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बृजबिहारी , श्री
बृजभूषण शरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैदराम, श्री
बेनीबाई श्रीमती
बैजनाथ,सिंह बैद्य, श्री
बैजराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौती दीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दी लाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मून्नू सिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह श्री (लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री,श्री
रामचन्द्र विकल,श्री
रामजीलाल सहायक,श्री
रामनाथ पाठक,श्री
रामपाल त्रिवेदी,श्री
रामपालसिंह,श्री
रामप्यारे,श्री
रामप्रसाद देशमुख,श्री
रामबली मिश्र,श्री
रामभजन ,श्री

राममूर्ति ,श्री
राममूर्ति 'अंचल',श्री
रामरती,श्रीमती
रामलखन वकील,श्री
रामलखन शुक्ल,श्री
रामलखनसिंह,श्री
रामलाल ,श्री
रामसमझावन,श्री
रामसिंह,श्री (मैनपुरी)
रामसिंह,श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय ,श्री
रामसुन्दर शास्त्री,श्री
रामसूरतप्रसाद,श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपत राम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबाहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पाडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीपती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवबालसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवरामसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सुबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट : —वित्त मंत्री,श्री कैलाश प्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार २५ फरवरी, १९६६

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

आगरा महापालिका द्वारा अध्यापकों तथा गैर अध्यापकों को मंहगाई भत्ता

*१--सर्वश्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), शफाकत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद), ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) तथा बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जी० ओ० नं० जी-११/४७८७-पन्द्रह, दिनांक २७ जुलाई, १९६५ द्वारा अध्यापकों तथा शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले गैर अध्यापकों के वेतन में जो एडहाक बढ़ोत्तरी की गई है उस बढ़े हुए रुपयों को आगरा महापालिका अध्यापकों तथा गैर अध्यापकों को नहीं दे रही है? यदि हां, तो क्यों?

शिक्षा उप मन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बालोजी अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने २९ जनवरी, १९६६, को दिया था। उस समय से अब तक लगभग १ महीना हो गया है और वांछित सूचना केवल आगरा से आनी है। उसमें क्या यह था कि वहां पर अध्यापकों को मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है अथवा नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर १ माह में भी यह सूचना आगरा नहीं आयी है तो आप एकत्रित करवाने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, जहां तक अध्यापकों का प्रश्न है उन्हें बढ़ोत्तरी दी जा रही है लेकिन इसके अन्दर गैर अध्यापकों का भी प्रश्न है उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। डायरेक्टर और हमारे बीच में लिखा पढ़ी चल रही है। उसी के कारण मैंने निवेदन किया है कि पूरी सूचना उपलब्ध न होने के कारण सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला परिषद्, कानपुर में गबन

*२--सर्वश्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर), राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा) तथा रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, कानपुर में किन्हीं शिक्षा फंड के अन्तर्गत लाखों रुपए का गबन हो गया है? यदि हां, तो कुल कितने रुपए का गबन हुआ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

लगभग ४५,००० रु० के गबन का अनुमान है।

*३--सर्वश्री शिवनाथ सिंह, राधेश्याम शर्मा तथा रतीपाल--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गबन की सूचना सरकार को कब मिली और क्या गबन करने वाले किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अध्यक्ष, जिला परिषद्, कानपुर ने कथित गबन की सूचना दिनांक १३-१२-६५ को जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर, जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर तथा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दी।

कथित गबन का संदेह एक लिपिक पर है जिसे सेवा से निलम्बित कर दिया गया है।

श्री शिवनाथसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यह रुपया लगभग ४५,००रु० है और यह भी कहा है कि सम्बन्धित लिपिक निलम्बित कर दिया गया है। म माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह रुपया किस मद का था और किसके द्वारा यह रुपया गबन किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, राम निवास शर्मा नामक जिला बोर्ड में एक लिपिक था। वह लिपिक बिना बरखास्त किए हुए अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहने लगा। जब वह कई रोज कार्यालय में नहीं आया तो आवश्यकता पड़ने पर उसकी अलमारी खोली गयी और उसमें जब कुछ किताबें और रुपया वगैरह नहीं मिला तो उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई और जांच प्रारम्भ हुई।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया किस मद का था और किसकी जिम्मेवारी पर वहां जमा हुआ था ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिला बोर्ड में उसको डबल लाक में या ट्रेजरी में रखने की क्या व्यवस्था थी ?

विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष महोदय, जो क्लर्क या एकाउन्टेन्ट होते हैं उन्हीं के पास कागजात और पास बुकें रहती हैं। उनकी अलमारी में ही पैसा भी रखा जाता था। जब वे १ महीने तक कार्यालय में नहीं आए और काम में रुकावट हुई तो उनके घर पर खबर भेजी गयी लेकिन वहां से पता लगा कि वे घर पर नहीं थे तो इस पर शुबहा हुआ। तब उन की अलमारी खोली गयी और उस में से पास बुक और कागजात भी निकाले गए। तब देखा गया कि गड़बड़ी है। फिर उनके घर की तलाशी भी ली गयी। इस वक्त इन्क्वायरी चल रही है और जब तक पूरी इन्क्वायरी नहीं होती है तब तक क्या बताया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद के अध्यक्ष ने जो पत्र जिलाधीश को लिखा उस पत्र में उन्होंने क्या-क्या और किस तरह की शिकायतें कीं जिनका कि इस गबन से सम्बन्ध मालूम होता है ?

श्री राममूर्ति—

इस की डिटेल्स इस वक्त नहीं हैं, नोटिस चाहिए।

श्री शशिभूषण सिंह (जिला कानपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह रुपया किस मद का था और कैसे बचुल हो कर के आया था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस पर तो अभी जांच हो रही है। सम्भवतः ब्वाएज फंड और और फंड का रुपया था। लेकिन जब तक निश्चित जांच न हो जाय तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या यह सही है कि यह ४५ हजार रु० प्रौडिग्रो विजुग्रल फंड का है और इस को इन्सपेक्टर महोदय और अध्यक्ष ने मिल करके खाया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जब तक इस पर रिपोर्ट न आ जाय निश्चित रूप से तब तक कुछ कहना मुश्किल है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आप जब जांच कराने के लिए कह रहे हैं तो इस की जांच करा लें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लिपिक, कानपुर जिला परिषद् खजांची का काम भी स्वतः करते हैं या नहीं ? यदि करते हैं तो १ महीने तक वह रुपया जो आता जाता रहा वह किनके हाथों में जमा होता रहा, और कौन खर्च करता रहा ?

श्री राममूर्ति—

ये डिटेल्स की चीजें हैं और जिला परिषद् तथा ब्लाक समिति से डिटेल्स मंगाना मुश्किल होता है। माननीय सदस्य जो डिटेल्स यहां जानना चाहते हैं वह जिला परिषद् में हासिल कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा अभी जांच हो रही है।

श्री शिवनाथ सिंह—

माननीय मंत्री जानकारी करा लें, यह प्रौडिग्रो विजुग्रल फंड का रुपया है और लाखों रुपया डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स और अध्यक्ष के द्वारा ही गबन हुआ है। तो जब वे खुद इनवाल्व्ड हैं तो ऐसी अवस्था में क्या सरकार स्वयं हस्तक्षेप करेगी और यह देखेगी कि चूंकि डिप्टी इंस्पेक्टर और अध्यक्ष के द्वारा गबन हुआ है और वे जानबूझ कर इसको टालना चाहते हैं तो क्या सरकार उनके खिलाफ जांच करवा कर कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

मैंने अर्ज किया कि लोकल फंड एकाउन्टेन्ट के जरिये आडिट हो रहा है। पुलिस को भी केस दे दिया गया। अब अगर माननीय सदस्य की नोटिस में और भी कोई सुबहा हो तो लिख कर दे दें, उसकी भी जांच करा ली जायगी।

*४—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मथुरा जिले में माल विभाग के चपरासियों की शिकायत

*१—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में माल व मजकूरी चपरासी हर तहसील यानी छाता व माट व साबाबाद व मथुरा में कितने-कितने कार्य करते हैं और उनकी माहवारी कारगुजारी सन् १९६५ में क्या-क्या है ? क्या उनमें से कुछ घरों पर अधिकारियों का भी कार्य करते हैं और सरकारी कार्य में असुविधा होती है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

मथुरा जिले की तहसीलों में माल व मजकूरी चपरासियों की संख्या तथा उनकी सन् १९६५ की कारगुजारी नत्थी में दी है। इनमें से कोई भी चपरासी घर पर किसी अधिकारी का निजी कार्य नहीं करता है। सरकारी कार्य में असुविधा का प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७९९–८०१ पर)

श्री लखी सिंह—

कितने प्रार्थना पत्र चपरासियों के सरकार के पास आये ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

मुझे अफसोस है कि यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

उत्तर में बतलाया गया है कि चपरासियों से कोई घर का काम नहीं लिया जाता है। तो यह जांच किस से करायी गयी और किस आधार पर रिपोर्ट दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर बतलाया था।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

३१ चपरासी रखे गये थे। इनमें ८ का कार्य विवरण दिया गया है। शेष के बारे में लिखा गया है कि वे अन्य कार्यों में लगे रहे, तो वे अन्य कार्य क्या थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मथुरा रिलीजस स्थान है और वी० आई० पी० वहां आते रहते हैं। उनका प्रबन्ध उन्हीं चपरासियों के जरिये होता रहता है वर्ना बड़ी तकलीफ हो।

श्री राधे श्याम शर्मा—

चपरासियों से घरेलू काम कराया जाता है, इस बात को सूचना मानकर क्या माननीय मंत्री जांच करायेंगे कि सारे चपरासियों में बड़ा असंतोष है क्योंकि तहसीलदार उनसे बर्तन मलवाते हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

आप लिख कर दे देंगे तो हम जांच करा लेंगे।

श्री लखीसिंह—

चारों तहसीलों के सम्बन्ध में उत्तर देते हुये माननीय मंत्री जी ने जो कार्य बतलाया है तो शेष चपरासियों के लिये कारगुजारी क्या निर्धारित नहीं है ? इस में लिखा है कि अन्य विविध कार्य में लगे रहते हैं, तो अन्य विविध कार्य में क्या बर्तन मलवाना है, सब्जी लाना है, बच्चे खिलाना है ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल का जवाब तो आपने ही दे दिया।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को सही मानकर सी० आई० डी० से जांच कराने की कृपा करेंगे कि किन-किन मैजिस्ट्रट, हाकिम परगना और जिलाधीश तथा सिटी मैजिस्ट्रेट के घर में काम करते हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

उनकी कारगुजारी का पूरा का पूरा ब्योरा दिया हुआ है। ९० से ले कर १०० तक उनकी कारगुजारियां दी हुई हैं और जैसा कहा गया, मथुरा इम्पार्टेन्ट सिटी है और ४, ५ तहसीलों के अपने चपरासी हैं और विशिष्ट जितने सदस्य हैं उनकी वे सेवा करते हैं। सारे उनके काम का ब्योरा दिया हुआ है और काम का परसन्टेज भी दिया हुआ है। वहां ट्रेजरी भी है। इन तमाम कामों को वे करते हैं।

दुवारी ग्राम के किसानों का खोई हुई फाइल के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दुबारी, पोस्ट दुवारी, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों का आवेदन-पत्र दिनांक २३ अगस्त, १९६५ का लिखित उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें हाकिम परगना, रसड़ा, जिला बलिया की अदालत से मिसिल गायब कर देने की शिकायत है और जिलाधीश, बलिया के पास भी आवेदन-पत्र दिये गये हैं, पर कार्यवाही होने की चर्चा है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्री मंगल सिंह, पुत्र श्री नगेसर सिंह, निवासी दुवारी, जिला आजमगढ़ का एक आवेदन-पत्र दिनांक २६ अगस्त, १९६५ को शासन को प्राप्त हुआ था तथा उनका दिनांक २६ सितम्बर, १९६५ का दूसरा आवेदन-पत्र मुकदमा पुनर्विचार से सम्बन्धित पत्रावली के न मिलने के विषय में जिलाधिकारी, बलिया को भी प्राप्त हुआ था। उक्त पत्रावली जो पहले मिल नहीं रही थी तलाश करने पर मिल गई तथा इसकी सूचना प्रार्थी को भी दे दी गई। उक्त मुकदमे में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि यह पत्रावली कितने दिनों तक गायब रही ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अंदाज से ५/६ महीने।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो पत्रावली ५/६ महीने तक गायब रही उसमें कौन-कौन कर्मचारी शामिल थे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कर्मचारियों ने गायब नहीं की थी बल्कि मिसप्लेस हो गई थी।

श्री मैनजरसिंह—

क्या मंत्री जी को सूचना है कि बलिया के न्यायालय में जो पेशकार या माल मुहर्रिर वगैरह हैं वे सभी अनधिकृत रूप से एक एक क्लर्क अपने पास रखे हुये हैं और उनके ही द्वारा यह मिसलें गायब होती रहती हैं और उनको ५०/६० मिसलें रसड़ा तहसील से गायब होने की सूचना मिली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, सवाल तो इस मामले का था। बलिया में अगर कोई गड़बड़ी है तो बता दीजिये, मैं इन्तजाम करूंगा।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि बलिया जिले में अधिकतर मिसलें गायब हो जाया करती हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, हमें तो याद नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है यदि बलिया में ऐसा होता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फाइल खो जाने के बाद किस अधिकारी नें जांच की और किस क्लर्क की फाइल में वह फाइल मिली ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, जब यह फाइल गुम हो गई थी तो मंगल सिंह ने जुडीशियल आफिसर, बलिया को दरख्वास्त दी। उन्होंने रसड़ा की अदालत को आर्डर दिया कि फाइल ट्रेस की जाय। इस पर फाइल मिल गई और अहलमद का तबादला हो गया था। उसके जाने के बाद यह फाइल मिली।

बाढ़ पीड़ित छात्रों को सहायता

*३—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री दिनांक २० मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति के लिये प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक २१ मार्च, सन् १९६४ का लिखित पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो आजमगढ़ जिले की किन-किन शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रार्थना-पत्र तहसीलदार घोसी, जला आजमगढ़ को मिले और उन पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां। श्री राम सुन्दर पांडेय का दिनांक २१ मार्च, १९६४ का पत्र प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर उन्हें ३१ दिसम्बर, १९६४ को भेजा गया। तहसीलदार, घोसी को सर्वोदय इंटर कालेज, गजियापुर, जनता शिक्षा निकेतन हायर सेकेन्डरी स्कूल, दुबारी तथा विक्ट्री इंटर कालेज, दोहरीघाट के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। सभी सूचियां मूल रूप में आवश्यक टिप्पणी एवं सत्यापन के पश्चात् जिला अभाव अधिकारी, आजमगढ़ के आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गईं।

*४—श्री भीमाप्रसाद (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा संस्थाओं द्वारा कितने-कितने रुपये की मांग की गई थी और तहसीलदार द्वारा संस्तुति कितने-कितने रुपये की की गई थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सर्वोदय इंटर कालेज, गजियापुर तथा जनता शिक्षा निकेतन हायर सेकेन्डरी स्कूल, दुबारी ने क्रमशः रु० ४२६.७२ तथा रु० ७४.२५ मासिक की मांग की थी। तहसीलदार, घोसी ने क्रमशः रु० ३६५.९७ तथा रु० ७४.२५ मासिक की मांग को उचित पाया। उन्होंने किसी निश्चित धनराशि की संस्तुति नहीं की। विक्ट्री इंटर कालेज, दोहरीघाट ने ६२ छात्रों की सूची भेजी थी। इस संस्था ने कोई धनराशि नहीं दी थी। तहसीलदार, घोसी ने जांच करने के उपरान्त उक्त सूची में से केवल २६ छात्रों को ही कटाव पीड़ित पाया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि क्रमशः रु० ३६५.६७ तथा रु० ५४.२५ की धनराशि की २६ छात्रों के लिये जो तहसीलदार ने संस्तुति की इन स्कूलों के लिये कितनी-कितनी धनराशि अलग-अलग दी गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस सम्बन्ध में कोई धनराशि नहीं दी गयी ।

पी० डब्ल्यु० डी० कर्मचारियों की चीनियों से कथित सांठ गांठ

*५—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के पी० डब्लू० डी० के १५ इंजीनियर, ओवरसियर और अन्य कर्मचारी चीनी एजेन्टों के साथ सांठ-गांठ करने के संदेह में प्रदेश के उत्तरी सीमांत अंचल से हटाये गये हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

जी नहीं ।

*६—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तरी सीमान्त अंचल की महत्वपूर्ण सड़कों और अन्य सुरक्षा सम्बन्धी कुछ नक्शे (जो बॉर्डर रोड्स के डायरेक्टर जनरल के कार्यालय से बनाये गये थे) प्रदेश के कतिपय इंजीनियरों के कार्यालय से गायब हो गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं ।

*७—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—

ऐसी स्थिति में सरकार ने जो कार्यवाही की है उससे सदन को अवगत करायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले में प्रसार अध्यापकों का स्थानान्तरण

*८—श्री भीमाप्रसाद (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में आजमगढ़ जिले में किन किन प्रसार अध्यापकों के स्थानान्तरण के आदेश अन्य जिलों के हेतु किये गये थे और फिर उन्हें रोक देने का कारण क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सर्व श्री महातम सिंह, बैजनाथ मल, हरिशरण मल, कुंज बिहारी गौड़, कपिल देव पांडे तथा तेजबल ।

इन में से सर्वश्री महातम सिंह, बैजनाथ मल तथा हरिशरण मल के स्थानान्तरण के आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ की संस्तुति पर रोके गये क्योंकि इनके स्थानान्तरण निवास-स्थान से बहुत दूर हो गये थे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि इनका स्थानान्तरण किस कारण किया गया था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यों तो सालाना इंतजाम में किया गया। लेकिन यह पता लगाने पर पता लगा कि शायद इन में एक आध शिकायत एक दो वर्ष पहले हुयी, लेकिन उसको महत्व नहीं दिया गया, दो वर्ष के बाद स्थानान्तरण सालाना इंतजाम में किया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने इन लोगों के स्थानान्तरण की संस्तुति संचालक को की थी तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि फिर जिला निरीक्षक ने संस्तुति की कि इनको रोका जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसका विस्तार न उपलब्ध है, न आवश्यकता समझी गयी है, यह तो पुराना मामला है ।

देवरिया जिला परिषद् में अध्यापिकाओं का बकाया वेतन

*९—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिला परिषद् ने सन् १९६२ में तैनात कुछ अध्यापिकाओं का कुछ माहों का वेतन रोक रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जिला परिषद् देवरिया ने सात अध्यापिकाओं का कुछ माहों का वेतन नहीं दिया है । पांच के बारे में यह कारण बताया गया है कि वे निर्धारित संख्या के अतिरिक्त थीं । शेष दो के बारे में कारण यह बताया गया है कि वे प्रवकाश के कारण रिक्त स्थानों पर नियुक्त की गई थीं जिनसे सम्बन्धित पत्रादि न मिल पाने के फलस्वरूप वेतन भुगतान में विलम्ब हो रहा है ?

परिषद् को निदेश दिया गया है कि बकाया वेतन का भुगतान तुरन्त कर दिया जाय ।

मथुरा में यमुना के घाटों की मरम्मत

*१०—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा में यमुना जी के घाटों की मरम्मत के लिये जो पांच लाख रुपया दिया गया उसमें से अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मथुरा में यमुना के घाटों की मरम्मत के लिये स्वीकृत ४,४५,००० रुपये में से (दिसम्बर, १९६५ तक) २,१७,७२५ रुपये व्यय हो चुके है ?

*११—श्री केदारनाथ भार्गव (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा में यमुना जी के घाटों की मरम्मत का कार्य अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ है ? उसमें अभी कितना समय और लगने की आशा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मथुरा में यमुना के घाटों की मरम्मत की योजना पर कार्य के दौरान डिजाइन आदि में कुछ संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हुई है और कार्य का संशोधित आगणन राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति के लिये बनाया गया है । कार्य की पूर्ति संशोधित आगणन की बोर्ड द्वारा स्वीकृति पर निभर करती है ।

उन्नाव जिले में पक्की सड़कों का निर्माण-कार्य

*१२—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में कौन-कौन सड़कें तृतीय पंचवर्षीय योजना में पक्की कराने के लिये विभाग द्वारा ली गई थीं और उनमें से कौन-कौन सड़कें पक्की हो गई हैं और बाकी सड़कें योजना काल के अन्दर पक्की हो जावेंगी या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित जिला उन्नाव में पक्की सड़कों के निर्माण कार्यों का विवरण, वर्तमान प्रगति सहित, सदस्य महोदय को मेज पर रक्खा है।

जिन सड़कों का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है उनको शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है और आशा है कि सब ही स्वीकृत सड़कों का निर्माण मार्च, १९६७ तक पूर्ण हो जायगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८०२–८०३ पर)

नार्मल स्कूल, छिबरामऊ के अध्यापकों का प्रार्थना-पत्र

*१३—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नार्मल स्कूल छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में काम करन वाले कितने अध्यापकों ने अपने पूर्ण ग्रेड न मिलने तथा तरक्की आदि रुकने के सम्बन्ध में १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में प्रार्थना-पत्र शिक्षा निदेशक को भेजे हैं उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

केवल एक अध्यापक ने। उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि वह वास्तविक तिथि कौन है जब कि उन्होंने प्रार्थना-पत्र निरीक्षक के पास भेजा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्री सिया राम स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं। इसको वापस करते हुये पहले लिखा गया। उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने भेजा, हेड मास्टर के यहां भेजा गया। फिर लिख कर यहां आया। इस तरह से समय बहुत लग गया है। इसमें जल्दी करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उन अध्यापक का मामला इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक समाप्त कर दिया जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। जल्द से जल्द प्रयत्न करेंगे।

जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को महंगाई भत्ता

*१४—श्री होरीलाल यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या डी–१–२४२४/१५—१८–६४, दिनांक ९ जून, १९६४ द्वारा स्पष्ट आदेश प्रसारित किये जाने के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्कीम नं० ९ के मातहत खोले गये जूनियर हाई स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को महंगाई भत्ते की वृद्धियां नहीं मिल रही हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

राजाज्ञा संख्या डी-१-२४२४/१५—१८-६४, दिनांक ९ जून, १९६४ में महंगाई-भत्ते में स्वीकृत वृद्धि प्रश्नगत स्कूलों के अध्यापकों को मिल रही है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो राजाज्ञा में महंगाई-भत्ता देने की बात कही गयी है, उसके बाद भी जो भत्ता सरकार द्वारा दिया गया है, क्या वह भी उनको मिल रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, प्रश्नगत जो भत्ता है वह उनको मिल रहा है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सत्य मानकर इस बात की जांच करायेंगे कि फर्रुखाबाद में जो स्कीम नं० ९ के जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं, उनमें अध्यापकों को १३ रुपया महंगाई-भत्ता मिलता है, तथा दूसरे जूनियर हाई स्कूलों में रुपये २४.५० मिलता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यदि माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो जहां-जहां की शिकायत होगी, हम उसकी जांच करा लेंगे।

शिक्षा दिवस के नाम पर धन वसूल करने की शिकायत

*१५—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अधिकांश परीक्षा केन्द्रों से हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट बोर्ड के प्राइवेट फार्मों के वितरण में ३ से २० रुपया शिक्षा दिवस के नाम से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

परीक्षा केन्द्रों द्वारा इस प्रकार की धनराशि वसूलने की सूचना शासन को नहीं मिली है।

*१६—श्री सुखदेवप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला गोंडा में तुलसीपुर, मनकापुर, कर्नेलगंज एवं गोंडा में तथा बाराबंकी जिले में नेवलैट इसलामियां कालेज तथा नेशनल इन्टर कालेज, फतेहपुर में उक्त धनराशि वसूल की गई है ? यदि हां, तो सरकार इसकी गुप्तचर विभाग द्वारा जांच करा कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

गोंडा तथा बाराबंकी जिले के इन विद्यालयों के सम्बन्ध में जांच की गई। जांच के उपरान्त मालूम हुआ कि इन विद्यालयों ने शिक्षा दिवस के नाम पर कोई धनराशि वसूल नहीं की है।

ऐसी स्थिति में गुप्तचर विभाग द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं है।

चित्रकूट इन्टर कालेज में प्रशासक नियुक्त करने की मांग

*१७—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि चित्रकूट इन्टर कालेज, जिला बांदा में दिसम्बर सन् १९६५ में गोली चलने की घटना हुई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त घटना के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कोई गोली चलने की घटना की पुष्टि नहीं है ।

*१८—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या सरकार कालेज के प्रबन्ध के वास्ते प्रशासक (ऐडमिनिस्ट्रेटर) नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

विषय विचाराधीन है।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि चित्रकूट इन्टर कालेज की मैनेजिंग कमेटी के आपस का जो मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है उसके सम्बन्ध में आपको क्या जानकारी है ? उसके अलावा जो वहां के मैनेजर हैं, उनको मारा गया है उसकी भी रिपोर्ट आपके पास है ? और जो वहां के लड़कों को निकाला गया है यानी उनका रेस्टीकेशन किया गया है और बहुत दिनों तक स्कूल बन्द रहा है, उसकी भी सूचना आपको है?

श्री राममूर्ति—

इन डिटेल्स की सूचना मेरे पास नहीं है, गोली चलने की सूचना के बारे में पूछा गया था वह मैंने बता दिया है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना की जांच आपने किसके द्वारा कराई, जिससे कि आप इस नतीजे पर पहुंचे कि गोली चलने की घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई ?

श्री राममूर्ति—

इस घटना की जांच इन्सपेक्टर के भी जरिये कराई गयी और पुलिस के जरिये भी कराई गयी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी अपने प्रश्न संख्या १८ के उत्तर की ओर अपना ध्यान देने की कृपा करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि "प्रशासक की नियुक्ति विचाराधीन है" । तो क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि ऐसे कौन-कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से आप प्रशासक नियुक्त करने के लिये विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वहां की मैनेजिंग कमेटी और यहां के माननीय सदस्यों ने उसके लिये प्रार्थना की है कि वहां पर प्रशासक की नियुक्ति कर दी जाय।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां की मैनेजिंग कमेटी ने जो प्रार्थना-पत्र भेजा है उसका संक्षिप्त विवरण क्या है जिसमें प्रशासक की नियुक्ति की मांग की गयी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वह प्रार्थना-पत्र अभी डाइरेक्टर के विचाराधीन है। वहां पर कुछ बड़ी अनियमितताएं थीं जिसके कारण वहां पर प्रायः झगड़े हुआ करते थे और उसी कारण से उसका अनुदान भी रोक दिया गया है। इन झगड़ों से वह परेशान हो गये और उन्होंने प्रार्थना की कि वहां पर प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए।

फैजाबाद एडीशनल कमिश्नरों के विचाराधीन अपीलें

*१९—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद एडीशनल कमिश्नरों के न्यायालयों में धारा २२९/१७६-बी, २२९-बी, २२९/२०९-बी ऐक्ट नं० १, सन् १९५१ के अन्तर्गत १ अगस्त से ३० सितम्बर, १९६५ तक कितनी अपीलें पृथक-पृथक न्यायालयों में थीं और उनमें से कितनी अपीलों में पृथक-पृथक न्यायालयों में यह निर्णय दिया गया है कि वाद पत्र उचित न्यायालय (काम्पिटेन्ट कोर्ट) में प्रस्तुत करने के लिये वापस किया जाय ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

फैजाबाद के दो एडीशनल कमिश्नरों के न्यायालयों में विचाराधीन अपीलों की संख्या ३६२ तथा ३१७ थी जिनमें से क्रमशः १९ तथा २० उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये वापिस की गईं।

*२०—श्री रामकिंकर—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रख कर अधिनियम (जमींदारी उन्मूलन) में कोई संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं।

श्री रामकिंकर—

क्या राजस्व मंत्री जी को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग के फलस्वरूप जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा २२९/१७६-बी के बहुत से मुकदमें न्यायालयों से वापस किये गये हैं ? इसे देखते हुये क्या वह उनमें संशोधन लाने का विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी फिलहाल तो विचार नहीं करता हूं। लेकिन कमिश्नरों की राय के लिये मैंने लिखा है, उनकी राय मांगी है और लॉ डिपार्टमेंट की भी राय मांगी है। उनकी रायें आ जाने पर निर्णय होगा।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी २२९-बी के सम्बन्ध में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रूलिंग हुई है उससे जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो क्या सरकार ऐसी कोई कार्यवाही करेगी जिससे मुद्दई की वह परेशानियां दूर हो जायं और आइन्दा फैसला दुरुस्त हो सके ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

वही तो मैंने जवाब दिया है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

जो मुकदमे २२९-बी में दायर किये गये हैं उनके बारे में काफी खर्चा कर दिया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह ऐसे आदेश प्रसारित कर दें कि वह मुकदमे स्थगित रहें ताकि मुद्दई को दोबारा कोर्ट फीस वगैरह पर न खर्च करना पड़े?

श्री अध्यक्ष---

माननीय रक्षपाल सिंह, हाईकोर्ट की रूलिंग के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है। या तो सरकार कानून में परिवर्तन करे या हाईकोर्ट को रेफर करे कि वह उस पर कार्यवाही करे।

श्री रक्षपालसिंह---

श्रीमन्, हाईकोर्ट में उसकी अपील पेंडिंग है तो ऐसे मौके पर अगर वह मुकदमे स्थगित रहें तो दोबारा दायर किये जाने वाली प्रकिया नहीं करनी पड़ेगी।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन परीक्षा उत्तीर्ण एच० टी० सी० अध्यापकों का वेतन

*२१---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार राजकीय आदर्श विद्यालय के उन अध्यापकों को, जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की मध्यमा और उत्तमा परीक्षा उत्तीर्ण हैं और एच० टी० सी० वेतन-क्रम में कार्य कर रहे हैं, जे० टी० सी० ग्रेड देने जा रही है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जे० टी० सी० ग्रेड जी० ओ० नं० बी-७००/XV---२०६/६२, दिनांक २२ मार्च, १९६३ के अन्तर्गत अब तक कितने अध्यापकों को जे० टी० सी० ग्रेड दिया जा चुका है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जी नहीं।

२५६ अध्यापकों को।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

श्रीमन्, इस प्रदेश की राज्यभाषा हिन्दी है और उसको प्रोत्साहित करने के लिये अब तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जब से परीक्षा हुई है उसकी परीक्षायें उत्तमा, मध्यमा और विशारद, हाई स्कूल, इंटरमीडियेट और बी० ए० के समकक्ष मानी गयी हैं। इन मान्यताओं के होते हुये भी माननीय मंत्री जी को क्या परेशानी है कि एच० टी० सी० अध्यापक जिन्होंने इन परीक्षाओं को पास कर लिया है उनको यह ग्रेड दिया जाय?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जो स्टैन्डर्ड हम चाहते हैं उस स्टैन्डर्ड के ये नहीं हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षायें हाई स्कूल, इंटरमीडियेट और बी० ए० के समकक्ष अर्हतायें नहीं रखती हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, यह शिक्षा में प्रवेश पाने के लिये है, लेकिन हमने उसे नौकरियों के लिये नहीं रखा है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के उस विशेष पत्र की ओर गया है जिसमें उसने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि केवल स्कूलों में प्रवेश के लिये ही उन परीक्षाओं की मान्यतायें काफी नहीं हैं बल्कि उसके आधार पर नौकरियां भी दी जानी चाहिये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मैं निश्चित रूप से तो इसके बारे में नहीं कह सकता लेकिन हम फिर उसको निश्चित करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन—

व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन् मंत्री जी स्टैन्डर्ड की बात करते हैं, राष्ट्रभाषा का स्टैन्डर्ड इन्हें नहीं चाहिये, इन्हें तो डैडी और मम्मी का स्टैन्डर्ड पसन्द है । आप परीक्षा लें तो यह अंग्रेजी में फेल हो जायेंगे लेकिन इन्हें तो अंग्रेजी चाहिये ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने केशरीप्रसाद पांडेय जी के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सम्मेलन की परीक्षा आगे पाठ्य-क्रम के लिये सहायक होती है परन्तु अध्यापन के लिये वह मान्य नहीं है तो एक ही परीक्षा आगे के पठन पाठन के लिये तो उपयोगी है और अध्यापन के लिये उपयोगी न हो यह परस्पर बहुत बड़ा विरोधाभास है । तो क्या इस योग्यता को दोनों जगह आधार रहने देंगे और यदि नहीं तो आगे पाठ्य-क्रम में भी इस योग्यता का आधार समाप्त करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जहां तक अध्ययन की बात है, वह विश्वविद्यालय और बोर्ड अपने आप तय करते हैं । नौकरी की बात शासन को तय करनी होती है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है वह स्वयं आपस में विरोधाभास प्रकट करता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि अगर किसी प्रकार से एक परीक्षा आप आगे प्रवेश के लिये स्वीकार करते हैं तो जे० टी० सी० के आगे उसको क्यों नहीं मानते हैं ? एच० टी० सी० और जे० टी० सी० एक ट्रेनिंग है उसके लिये आप क्यों नहीं मान्यता देते ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यहां पर वेतन क्रम देने की बात है । ट्रेनिंग लेने की बात नहीं है । यह जो लोग करते हैं वे हाई स्कूल के समकक्ष होते हैं, ५ वर्ष तक जिनकी शिक्षा के हो चुके हैं उनको यह वेतन क्रम देने की बात है । जो प्रश्न उन्होंने उठाया था उसका मैंने निवेदन कर दिया ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षा हिन्दी में होती है तो उनको यह सरकार नौकरी के लिये क्यों नहीं स्वीकार करती ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हिन्दी का प्रश्न नहीं है, यह जो कहा जाता है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं का प्रश्न है, आज हिन्दी में एम० ए० करते हैं, हिन्दी में पी०-एच० डी० करते हैं । परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी है । इसलिये यह कहना कि हाई स्कूल हिन्दी में न होकर अंग्रेजी में हो, ठीक नहीं है । अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और वह भी विषय जैसा है उसको हमारे माननीय सदस्य जानते हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन २५६ अध्यापकों में भी ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा या उत्तमा परीक्षा पास की है और इसके परिणामस्वरूप उनको जे० टी० सी० ग्रेड दिया गया है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यहां पर जैसा मैंने निवेदन किया, इसके लिये एक निश्चित नियम है। जो माडल स्कलों में कार्य करते हैं, जिनका ५ वर्ष का अध्यापन कार्य हो चुका है। हाई स्कूल के समकक्ष योग्यता हो गई है उनको हम यह ग्रेड एच० टी० सी० और जे० टी० सी० का देंगे।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिस तरह से राज्य सरकार ने यह समझा कि विद्याविनोदिनी ठीक नहीं है इसलिये उसकी मान्यता समाप्त कर दी तो क्या हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन की इस मान्यता को वापस लेने के लिये तैयार है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अभी तो ऐसा विचार नहीं है।

मिशन स्कूल के अध्यापक को हटाने के सम्बन्ध में जांच

*२२—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान "स्वतन्त्र भारत" दैनिक के प्रभात संस्करण, दिनांक ३ दिसम्बर, १९६५ अंक के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित "मिशनरी स्कूलों के अमरीकी प्रधानाचार्य की राष्ट्रघाती हरकत" की ओर गया है कि एक अध्यापक को नौकरी से इसलिये निकाल दिया गया कि उसने भारत समर्थक बातें बच्चों को बताई थीं? यदि हां, तो वास्तविकता क्या है? तथा ऐसे राष्ट्रघाती स्कूल तथा उसके प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां।

मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे राष्ट्रघाती कृत्य की जांच अब तक पूरी न होने के क्या कारण हैं और वह कब तक पूरी हो जायगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

विश्वास तो है कि जल्दी ही होगी, कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि जांच हुई, फिर जांच हुई और अब फिर हो रही है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

मंत्री जी ने कहा कि पहले जांच हुई, फिर जांच हुई और अब फिर हो रही है, तो पहले जो जांच हुई उसके क्या तथ्य थे और क्या असंगति पायी गयी जिससे दोबारा जांच का आदेश कराया गया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

असंगति तो थी ही, इसी कारण फिर जांच कर यी गयी। वह यह थी कि एक सोर्स से जो जांच की रिपोर्ट आयी वह एक प्रकार की थी और दूसरे सोर्स से दूसरे प्रकार की थी। इसलिए जांच तीसरी बार करानी पड़ी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रथम बार जो जांच करायी गयी वह किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी और दोबारा की जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी? यदि यह गुप्तचर विभाग के द्वारा नहीं करायी गयी हो, तो क्या इस मामले के महत्व को देखते हुए तुरन्त इंटेलिजेंस को देने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय द्वारा करायी गयी है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

जब आंग्ल विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध ही यह चार्ज लगाया गया है तो क्या इंस्पेक्टर आफ स्कूल द्वारा इसकी जांच करायी जायगी ताकि निष्पक्ष रूप से उसकी जांच का परिणाम आ सके?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हम तो डायरेक्टोरेट से करायेंगे, इंसपेक्टर आफ स्कूल की क्या बात है?

श्री रघुनाथसिंह—

समाचार-पत्र के अनुसार उस अध्यापक ने एक लेख दिया था अपने विद्यार्थियों को और अपनी तरफ से कुछ संकेत दिये थे जो राष्ट्रीय ढंग के थे, इसीलिए उन्हें निकाला। तो उनके निष्कासन के सम्बन्ध में कुछ झूठे ढंग के कारण प्रधानाचार्य ने लगाये हैं उनकी जांच हो रही है या समाचार-पत्र के अनुसार जिस आधार पर उनको निकाला गया है उसकी जांच हो रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अभी दो जांचें हो चुकी हैं जिनमें आपस में विरोध था, तो तीसरी फाइनल जांच अब करायी गयी और जो उनकी फाइंडिंग होगी उसी पर हम ऐक्शन लेंगे।

श्री रघुनाथसिंह—

जैसा कि समाचार-पत्रों में उस अध्यापक के निकाले जाने का निश्चित कारण हम सब लोगों को ज्ञात है और ३-३ बार जांच हो चुकी है, तो क्या प्रधानाचार्य ने जो कल्पित कारण उसके विरुद्ध लगाय है उनकी अलग-अलग जांच हो रही है या कोई कारण निश्चित है जैसा कि समाचार-पत्रों में दिया हुआ ह, उसी में जांच में तीन तरह की बातें आयी हैं?

श्री राममूर्ति—

जैसा कि मामूली कायदा है, क्योंकि कांट्रेडिक्टरी दोनों जांचों की रिपोर्ट आयी और बयानात हुए, इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन के सुपुर्द यह मामला किया जाय और उनकी फायनल राय के ऊपर हम अमल करेंगे।

विद्यालयों में प्रशासन योजना

२३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के कितने गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में १५ अक्तूबर, १९६५ तक प्रशासन योजना लागू नहीं हुई? लागू न किये जाने का क्या कारण हैं तथा कब तक लागू हो जायेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रशासन योजना लागू न होने के कारण निम्नलिखित हैं :

(क) २८६ में से २२९ विद्यालयों ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी किन्तु कुछ आपत्तियों के कारण स्वीकार न हो सकीं। इन पर पत्र व्यवहार जारी है।

(ख) शेष ५७ विद्यालयों में से कुछ में तो प्रबन्ध समिति कार्य नहीं कर रही है तथा शेष इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के विरोध में अपनी प्रशासन योजना प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

आशा है कि इन बचे हुए विद्यालयों में भी प्रशासन योजना शीघ्र लागू हो जायगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जिन विद्यालयों ने इस प्रशासन योजना को लागू नहीं किया है, क्या सरकार उनके लिये कोई ऐसा आदेश देगी कि वे एक निश्चित तारीख तक उस योजना को लागू करें, अन्यथा वहां माडेल स्कीम को लागू कर दिया जायेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सब लोग उसको मान लें और हमारा विश्वास है कि सब उसको मान लेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही, जिन्होंने इस प्रशासनिक योजना को लागू नहीं किया है अब तक, की है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उनको मान रेकरिंग ग्रान्ट जो मिलती थी वह बन्द कर दी गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब यह योजना बनी थी तो उसमें यह स्पष्ट आदेश दिये गये थे कि ३ वर्ष के अन्दर अवश्य इसका कार्यान्वयन होना चाहिये। तो सरकारी आदेश के बावजूद जिन विद्यालयों ने इस योजना को लागू नहीं किया उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की, अगर नहीं की तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

कुछ की तो मान रेकरिंग ग्रान्ट बन्द कर दी गयी। चूंकि यह शिक्षा का विषय है, बहुत सख्त कदम उठाना मुनासिब नहीं है। उनको उसके लिये समझा कर राजी करना ही ठीक होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आपको जरूरत ही क्या थी फिर ऐसे आदेश को निकालने की जब उसको कार्यान्वित कराने की आप में ताकत नहीं थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

तहसील पट्टी में दाखिल खारिज के मुकदमें

*२४—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ में गत ३ साल के अन्दर बैनामा या दीगर पट्टों के प्रार्थना-पत्र दाखिल खारिज के कितने मुकदमे आये, उनमें से कितनों का फैसला हुआ और कितनों का अभी तक नहीं हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बैनामा और दीगर पटटों के कुल ९४९५ मुकदमे थे इनमें से १५-१-१९६६ तक ८०८४ मुकदमों का फैसला हो चुका था और १४११ मुकदमे बाकी थे।

*२५—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल (अनुपस्थित)—

कृपा कर यह भी बताया जाय कि कितने-कितने मुकदमे गत तीन साल के, दो साल के और १ साल के हैं, जो अब तक फैसले नहीं हुए और क्यों नहीं फैसला हो सका और उनमें से कितने रिन्यू किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई मुकदमा तीन साल या दो साल से ऊपर का नहीं है। १८ मुकदमे एक साल से ऊपर के हैं। यह सभी मुकदमें विवादास्पद हैं जिनमें अदालती कार्यवाही जारी है। कोई रिन्यू नहीं किया गया है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार का पद

*२६—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार (वित्त) का पद सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो फिर अभी उक्त पद का कोई व्यक्ति काम क्यों कर रहा है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति ने यह पद स्वीकार कर के उस पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है। सरकार ने अभी तक इस पद के लिये विश्वविद्यालय को कोई अनुदान नहीं दिया है।

बलरामपुर क्षेत्र में मार्ग निर्माण व्यय

*२७—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्थाई मार्ग निर्माण खन्ड बलरामपुर, जिला गोन्डा के लिये वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के लिये कितना फन्ड एलाट किया गया था और उसमें से कितना धन नवम्बर १९६५ के अन्त तक व्यय हो चुका है ? इसमें से कितना धन सामान खरीदने पर व्यय किया गया है तथा कितना निर्माण कार्य पर ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस खन्ड के लिये वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में ४१,२८,८०० रुपये की धनराशि एलाट की गई है। इस धनराशि में से १०,६८,५१५ रुपये ५८ पैसे नवम्बर, १९६५ तक व्यय हो चुके हैं। इस व्यय में से १,३४,२३० रुपये ९० पैसे सामान खरीदने में तथा ८,७५,६९६ रुपये ८७ पैसे निर्माण कार्य पर व्यय हुए।

[२५ फरवरी, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

श्री कुंवरसिंह, चकबन्दी अधिकारी, विधूना के विरुद्ध शिकायत

*२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री कुंवर सिंह, सी० ओ०, चकबन्दी विधूना, इटावा की धर्मपत्नी बीमा की एजेन्ट हैं और उन्होंने अब तक किन-किन व्यक्तियों के कितने-कितने मूल्य के बीमें किये हैं और कब से बीमे का कार्य कर रही हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*३—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (अनुपस्थित)—

क्या यह भी सच है कि जिन व्यक्तियों के उन्होंने बीमे किये हैं उनके मुकद्दमें उनके पति के न्यायालयों में चल रहे थे ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*४—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (अनुपस्थित)—

क्या उपरोक्त पृष्ठ-भूमि को दृष्टिगत रखते हुए सरकार पद के प्रभाव का दुरुपयोग करने की जांच के लिये, इस प्रश्न को सतर्कता आयोग को देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी यह प्रश्न नहीं उठता।

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[नरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

इटावा का एस० के० के० डिग्री कालेज बन्द होना

*६—श्री झारखन्डेराय (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि इटावा का एस० के० के० डिग्री कालेज गत १२ नवम्बर से अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। कालेज ११ नवम्बर, १९६५ को बन्द कर दिया गया था।

*७—श्री झारखन्डेराय (अनुपस्थित)—

यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

छात्र संघ की स्थापना की मांग के संबंध में विद्यार्थियों ने हड़ताल एवं उपद्रव शुरू किया। उन्होंने कालेज की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई और अधिक क्षति की आशंका हो गई थी। अतएव कालेज ११ नवम्बर, १९६५ से ७ दिसम्बर, १९६५ तक बन्द रखा गया।

किसान इन्टर कालेज, उस्का बाजार के अध्यापकों का बकाया वेतन

*८—श्री जगदीशप्रसाद पान्डेय (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के अधीन चलने वाले बस्ती जिले के किसान इन्टर कालेज, उस्का बाजार के किन-किन अध्यापकों के कितने कितने समय का वेतन बकाया पड़ा हुआ है ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८०४--८०५ पर)

*९—श्री जगदीशप्रसाद पान्डेय—

क्या सरकार तत्काल कोई ऐसी कार्यवाही करने जा रही है जिससे भुगतान जल्दी हो सके ? वेतन में विलम्ब का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—

जी हां । विद्यालय को देय अनुदान का शीघ्र भुगतान हो रहा है ।

विलम्ब का कारण प्रबन्ध समिति में झगड़ा तथा धनाभाव है ।

श्री जगदीशप्रसाद पान्डेय—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स की ढिलाई के कारण भी इसमें विलम्ब हो रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—

उनकी ढिलाई के कारण नहीं, पैसा न होने के कारण विलम्ब हो रहा है ।

श्री जगदीशप्रसाद पान्डेय—

क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वेतन मिलने में विलम्ब का कारण अनुदान को काट देना तथा हरिजन छात्रों को जो शिक्षा में छूट दी जाती है उसको विलम्ब से देना भी है ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि प्रदेश में बहुत सी ऐसी एडेड संस्थायें हैं जिनमें अध्यापकों को ६, ६ महीने तक वेतन नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उचित व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय—

जहां नहीं देते हैं वहां हम प्रबन्ध करते ही हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर के द्वारा भी कार्यवाही करते हैं ।

श्री रघुनाथसिंह—

उस कालेज में कितने अध्यापकों का वेतन रोका है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इस लिस्ट में जितने लोगों का जुलाई, ६५ से जनवरी, ६६ तक का वेतन बाकी लिखा है, अधिकांश का ....

श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि पुराने मैनेजर के पास स्कूल का कुछ रुपया उनके एकाउन्ट में पड़ा है, कुछ सरकार की तरफ से जो उनको सहायता मिलती थी उसमें कटौती हो गई, दोनों उसके हिसाब में जुड़वाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

जो रकम देय होगी सब दिलाई जायगी।

*१०-१२—श्री भीखालाल—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

अध्यापकों के लिए लाभत्रयी योजना

*१३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अध्यापकों के लिये बनाई गई लाभत्रयी योजना के नियमों को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया है ? यदि हां, तो अध्यापकों को दी जाने वाली मुख्य-मुख्य सुविधायें क्या हैं और उन्हें कब तक लागू कर दिया जायगा ? क्या सरकार नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

जी हां। योजना की † प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है जो १ अक्तूबर, १९६४ से लागू कर दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ सरकारी आदेश के पैरा २ में दिये हुए हैं।

*१४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत कितने प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्चतर विद्यालयों के शिक्षकों को सुविधा मिल सकेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

प्राइमरी तथा जूनियर स्तर पर १,४८,३०० और हायर सेकेन्डरी स्तर पर ४७,८७३ अध्यापकों तथा लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को लाभ होगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

जो सन् ६४ में रिटायर हो गये हैं और यह आदेश प्रसारित हुआ है, उसके बीच वालों पर भी यह व्यवस्था लागू की जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

बिलकुल उसी पर कार्यवाही की जायगी और जो अब तक रिटायर हो चुके हैं उनकी फेहरिस्तें बनाई जा रही हैं और बहुत कुछ कार्यवाही हो चुकी है।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को ट्रेजरी से पेंशन देती है, उसी तरह से इनको भी दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राममूर्ति--

अच्छा यही है कि मैनेजर के जरिये दिलाई जाय, वरना वे लोग उसको बहुत बुरा मानते हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

शिक्षा विभाग के जिला परिषदों और नगरपालिकाओं और डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के लिपिकों को भी इसका लाभ मिलेगा ?

श्री राममूर्ति--

जितने भी पुराने टीचर्स हैं सबको फायदा होगा।

*१५--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

[५वें गुरुवार के लिये प्रश्न ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जौनपुर जिले में अध्यापकों का बकाया वेतन

*१६--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जौनपुर जिले में कौन-कौन से हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट कालेज ऐसे हैं जो ३ महीने या उससे अधिक समय से अपने अध्यापकों का वेतन मंहगाई भत्ता नियमित रूप से नहीं दे रहे हैं तथा अध्यापकों का प्राविडेन्ट फन्ड प्रति माह डाकखाने में नहीं जमा हो रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय--

सूचना संलग्न तालिका (क) और (ख) में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८०६-८०७ पर)

*१७--श्री जगन्नाथ राव---

क्या सरकार उपरोक्त प्रकार के विद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बन्द करने तथा मान्यता बन्द करने पर शीघ्र विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

अभी ऐसी आवश्यकता नहीं है।

श्री जगन्नाथ राव-

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के २२ इंटरमीडिएट कालेज ऐसे हैं जिन्होंने अध्यापकों को ६ महीने से वेतन, मंहगाई भत्ता नहीं दिया है और बहुतों में प्राविडेन्ट फन्ड ही नहीं कटता है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

उनके अनुपालन अनुदान से एडजस्ट करावेंगे।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या कुटीर उद्योग इंटर कालेज, चक्की के १७ अध्यापकों ने मंत्री जी को यह लिखा है कि उनको कोई वेतन, मंहगाई भत्ता और प्रावीडेन्ट फन्ड नहीं मिला है और इस झूठी रिपोर्ट की जांच करावेंगे कि मिला है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, इस सारी सूचना में जो तालिका में है, स्पष्ट दिया हुआ है। एक विशेष प्रार्थना-पत्र के बारे में इस समय निवेदन कर सकना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

वे कहते हैं कि उस तालिका में उस स्कूल का नाम क्यों नहीं है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

जौनपुर के ट्रेजरी कर्मचारी

*१८--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर ट्रेजरी में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे है और उनका वेतन-क्रम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

जौनपुर ट्रेजरी में कुल ९ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका वेतन क्रम निम्नलिखित है--

ट्रेजरी हेड क्लर्क	..	१०५-१५-२५०, २० रु० प्रति मास विशेष वेतन।
असिस्टेन्ट ट्रेजरी हेड क्लर्क (जेड० ए० सी) --एक		१००-१०-१५० रु०
पेमेन्ट क्लर्क--दो	..	८५-६-१४५ रु०
अन्य क्लर्क--पांच	..	६०-४-८०-६० रो०-५-१२०।

*१९--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मंन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि कार्य की अधिकता को देखते हुये और उसे सुचारु रूप से संचालित करने के लिये वह उक्त ट्रेजरी में स्टाफ बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने और किस वेतन-क्रम में ?

श्री कैलाशप्रकाश--

उक्त ट्रेजरी में स्टाफ बढ़ाने के सम्बन्ध में अब तक कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उस पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

विधान भवन के रख रखाव पर व्यय

*२०--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में विधान सभा भवन की मरम्मत तथा रखरखाव में कितना धन खर्च हो चुका है तथा १९६५-६६ में कितना खर्च होने का अनुमान है ?

नोट--तारांकित प्रश्न १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में विधान भवन की वार्षिक मरम्मत तथा [रख रखाव पर १,८८,६१५ रु०, जिसमें नगरपालिका द्वारा लगाये गये भवन तथा जल कर की ९३,१३७ रु० की धनराशि सम्मिलित है, व्यय हुआ है तथा प्रथम खंड की छतों की विशेष मरम्मत के कार्य पर १,५०,००० रु०।

वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में इन मदों पर क्रमशः १,३९,००० रु०, नगरपालिका के कर की ९३,१३७ रु० की धनराशि सम्मिलित करने के पश्चात्, तथा ४,००,००० रु० व्यय होने का अनुमान है।

आगरा से जूता उद्योग सम्बन्धी मांग-पत्र

*२१---श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

क्या वित्त मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे की नवम्बर, १९६५ के पहले पखवारे में कि आगरा शू फैक्ट्रीज फेडरेशन, आगरा के प्रधान द्वारा प्रेषित कोई मांग-पत्र आगरा में जूता उद्योग की समस्याओं के बारे में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी हां। मामला सरकार के विचाराधीन है।

गलाथा ग्राम में फार्म का नीलाम

*२२---श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम गलाथा, तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर में कलकत्ते वालों का कोई १,८०० बीघे का लगभग २६,००० रुपये की मालियत का फार्म है जिसे जुडिशियल अफसर, बिन्दकी ने बहैसियत नीलाम अफसर, दिनांक २१ दिसम्बर, १९६४ को नीलाम कराया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां। २१-१२-१९६४ को ३९५ बीघे १९ बिस्वे का नीलाम हुआ है।

*२३---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गलाथा ग्राम के उक्त फार्म में कितनी कितनी भूमि कहां किन किन व्यक्तियों के नाम उक्त तारीख को किन कीमतों पर नीलाम की गई और अब कितनी बाकी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। नीलाम के लिये १४१९ बीघा २ बिस्वां भूमि स्वीकृत थी। ४७ बीघा ७ बिस्वां नीलाम होने को बाकी है।

(देखिय नत्थी 'ङ' भाग पृष्ठ ८०८ पर।)

*२४---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ में डिग्री कालेजों का ग्रीष्मावकाश

*२५---श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़), श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के विभिन्न डिग्री कालेज, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं, के ग्रीष्मावकाश के लिये बन्द होने की तथा ग्रीष्मावकाश

के पश्चात् खुलने की तिथि क्या है ? एक ही विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इन विभिन्न डिग्री कालेजों के खुलने और बन्द होने की तिथियों में अनेकरूपता क्यों है ?

श्री राममूर्ति—

लखनऊ विश्वविद्यालय ने डिग्री कालेजों के ग्रीष्मावकाश के लिये कोई विशेष नियम नहीं बनाये हैं अतएव कालेजों की प्रबन्ध समितियां अपनी सुविधानुसार ग्रीष्मावकाश के लिये कालेज बन्द करती हैं तथा खोलती हैं ।

बिन्दकी तहसील में दाखिल खारिज के मामले

*२६—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बतानेकी कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील की भिन्न-भिन्न गांव पंचायतों द्वारा कृषि कार्य हेतु सीरदारी एवं असामी अधिकार के लिये कितने पट्टे वर्ष १९६३-६४, १९६४-६५ एवं १९६५-६६ के ३० नवम्बर, १९६५ तक की अवधि में दाखिल खारिज हेतु तहसील में प्रस्तुत किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गांव समाजों में १९६३-६४ में ९४५,१९६४-६५ में १,८६६ तथा १९६५-६६ के ३० नवम्बर, १९६५ तक २८९ पट्टे दिये ।

*२७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त अवधि में दाखिल-खारिज निमित्त प्रस्तुत मुकदमों में जितने का निर्णय किया जा चुका है, संख्या कितनी है और उसमें सीरदारी व असामी के मुकद्दमों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

इन सभी पट्टों पर निर्णय हो चुका है ।

२५०३ सीरदारी और ५९७ असामी के पट्टे थे ।

अभावग्रस्त जिले

*२८—श्री राम किशोर वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के उन अभावग्रस्त जिलों के नाम क्या हैं जिनमें स वर्ष सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है ? इस स्थिति का मुकाबला करने के हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस वर्ष सूखे के कारण प्रदेश के किसी भी जिले में अभाव की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई । किन्तु सूखे से खरीफ १३७३ फसली में झांसी, बांदा, इलाहाबाद तथा प्रतापगढ़ जिले मुख्यतः प्रभावित रहे । सूखा ग्रस्त क्षेत्र को सहायतार्थ शासन द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये—

(१) मालगुजारी तथा सिंचाई शुल्क की वसूली १५ नवम्बर, १९६५ तक स्थगित कर दी गई । उक्त अवधि के लिये सभी प्रकार की तकावी, विकास ऋण तथा कृषि बीज-गोदाम की बकाया की वसूली भी निलम्बित कर दी गई ।

(२) नहरों को उनकी पूरी क्षमता पर चलाया गया और नलकूपों से सिंचाई के लिये दो तिहाई राज्य सहायता देने की तिथि ३० जून, १९६५ से बढ़ा कर ३० सितम्बर, १९६५ तक कर दी गई।

(३) इलाहाबाद, झांसी, बांदा तथा प्रतापगढ़ जिले में टेस्ट वर्क खोले गये।

(४) रियायती दर पर भूसा देने के लिये सरकारी ठेकेदार की नियुक्ति की गई थी जिसने आवश्यकतानुसार जिलाधिकारियों की मांग पर भूसा भेजा। मुफ्त चराई के लिये सुरक्षित वन खोल दिये गये।

(५) खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा अतिरिक्त खाद्यान्न का आबंटन किया गया।

(६) तकावी, अहेतुक सहायता तथा प्रकीर्ण अन्य सहायता कार्यों के लिये जिलाधिकारियों को धनराशि स्वीकृत की गई जो नियमानुसार वितरत की गई।

विद्यालयों में प्रशासकों की नियुक्ति

*२९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इण्टरमीडिएट एजूकेशन संशोधन अधिनियम, १९५८ के अन्तर्गत अब तक प्रदेश के कितने विद्यालयों में प्रशासक नियक्त किये गये ?

श्री राममूर्ति—

तीन विद्यालयों में।

सड़कों के सम्बन्ध में निर्णय

*३०—श्री झारखण्डेराय—

सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने निर्णय कर लिया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य भर में कोई नई सड़क पक्की करने के लिये नहीं ली जायगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रथम भाग—जी नहीं।

चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। १९६६-६७ की वार्षिक योजना के लिये यह निश्चय किया गया है कि मुख्य सड़कों के छूटे हुए आवश्यक पुल तथा भागों के अतिरिक्त किसी नई सड़क या पुल का निर्माण कार्य सम्मिलित न किया जाये।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*३१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[५ वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

वेतन अभिनवीकरण समिति की देहरादून व मसूरी में बैठकें

*३२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

सर्वश्री हरिनाथ तिवारी तथा माधव प्रसाद त्रिपाठी के विधान सभा के १९६५ के द्वितीय सत्र के ३ रे शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न १ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि पे कमेटी का कार्यालय, लखनऊ में होने तथा मुख्य मन्त्री द्वारा पहाड़ पर मीटिंग न करने का निदेश देने के बाद भी बैठकें देहरादून तथा मंसूरी में क्यों की गई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

वेतन अभिनवीकरण समिति ने अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने के उद्देश्य से अपनी बैठकें देहरादून और मसूरी में आयोजित कीं और इसके लिये मुख्य मंत्री जी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ।

*३३–३५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६–३७—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

*३८–३९—श्री कमलासिंह यादव—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

भदारी कलां निवासी भाईलाल के विरुद्ध शिकायत

*४०—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भदारी कलां, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ में श्री भाई लाल, पंच तथा उसके पिता व भाई के नाम कितनी भूमि सीरदारी तथा असामी का पट्टा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्री भाई लाल पंच नहीं है । उनके नाम २ बीघा १६ धुर क्षेत्रफल सीरदारी का पट्टा १ अक्टूबर, १९५५ को तथा ४ बीघा २ बिस्वां का पट्टा असामी का १४ अप्रैल, १९५९ को हुआ है । उनके पिता तथा भाई के नाम कोई पट्टा नहीं हुआ है ।

*४१—श्री भगवानदीन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री भाई लाल, पंच के पिता के नाम जमींदारी उन्मूलन के पहले कितनी भूमि थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्री भाई लाल के पिता के नाम जमींदारी उन्मूलन के पूर्व १६ बीघा ९ बिस्वां ११ धुर भूमि थी ।

*४२—श्री भगवानदीन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त पंच, भाई लाल ने, जो अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने परिवार को अनुचित लाभ कराया उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्री भाई लाल कभी भी न्याय पंचायत के पंच नहीं रहे । अतः उनके विरुद्ध पद क दुरुपयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रघुनन्दन त्रिपाठी का एल० टी० के लिए प्रार्थना-पत्र

*४३—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा उप निदेशक, सप्तम मंडल, गोरखपुर के अधीनस्थ जे० टी० सी० स्कूलों के कुछ अध्यापकों ने बी० एड० करने के बाद एल० टी० ग्रेड में पदोन्नति करने के लिये जुलाई, १९६५ में शिक्षा निदेशक को प्रार्थना-पत्र भेजा था ? यदि हां, तो ऐसे

कितने अध्यापक हैं और उनके नाम क्या हैं और उनके मामलों में सरकार कब फैसला लेगी ? क्या फैजाबाद जिले में भी कोई ऐसे अध्यापक हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, केवल एक । श्री रघुनन्दन त्रिपाठी । जे० टी० सी० ग्रेड के अध्यापकों को एल० टी० वेतन क्रम में पदोन्नति देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

उक्त अध्यापक फैजाबाद जिले में हैं ।

*४४–४५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६–४८—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर जिले के माल विभाग मे हरिजन कर्मचारी

*४९—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले के केन्द्र तथा तहसील कार्यालयों में कितने क्लर्क, चपरासी, अमीन (कलेक्शन), सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं, इनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री हुकुमसिंहबिसेन—

कानपुर कलक्टरी तथा तहसीलों में कुल ३४३ लिपिक, ३१६ कलेक्शन अमीन व ५७० चपरासी कार्य कर रहे हैं । इनमें से क्रमशः ६ लिपिक, १० कलेक्शन अमीन व ४९ चपरासी हरिजन हैं । जिला कार्यालय में "सुपरवाइजर" नाम का कोई पद नहीं है ।

*५०—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भविष्य में इन पदों पर नियुक्तियों के लिये जिला स्तर पर एक समिति शीघ्र गठित की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

*५१–५३—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।)

*५४–५५—श्री कल्पनाथसिंह—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

अमराई गांव के अग्नि पीड़ितों को सहायता

*५६—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २९ अप्रैल, १९६५ को ग्राम अमराई, तहसील व जिला लखनऊ में जो भीषण अग्निकांड हुआ था उसमें क्षतिग्रस्त परिवारों को सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि हां, तो क्या और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ग्राम ग्रमराही के ग्रग्निपीड़ितों को सहायतार्थ ५ बोरा ग्राटा जिसका मूल्य २४१.६५ होता है प्रदान किया गया। इसके साथ ही शासकीय देयों की वसूली भी स्थगित कर दी गई।

*५७–५९—श्री सोहनलाल घुसिया (जिला बस्ती)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६०–६१—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला ग्राजमगढ़)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

गांधी स्मारक इण्टर कालेज, राजेसुल्तानपुर में वेतन वितरण व्यवस्था

*६२—श्री इन्द्रासनसिंह—

शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गांधी स्मारक इंटर कालेज, राजे सुलतानपुर, जिला फैजाबाद की सहायता एवं फीस का रुपया सरकार द्वारा जमा कराकर ग्रध्यापकों का वेतन ग्रादि जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा वितरण गत कई वर्षों से हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति—

जी हां।

इस विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धक के वि रुद्ध एकाउन्ट्स सम्बन्धी ग्रनियमितताग्रों की शिकायत मई, १९६२ में प्राप्त हुई थी। रिकार्ड निरीक्षक द्वारा सील कर दिये गये थे। तत्कालीन प्रबन्धक, श्री शिवकू मिश्र ने सील तोड़ कर रिकार्ड्स निकाल लिये। जांच के उपरान्त जून, १९६२ से ग्रनुदान निलंबित करके जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा ग्रध्यापकों का वेतन वितरण कराया जा रहा है। विभागीय लेखा ग्रधिकारियों द्वारा, ग्रप्रैल, १९६५ में हिसाब किताब की पूरी जांच कराई गई। जांच की ग्राख्या पर ग्रावश्यक कार्यवाही हो रही है।

*६३–६४—श्री रक्षपालसिंह—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

बलरामपुर क्षेत्र में रोड रोलर तथा जीपें

*६५—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रस्थाई मार्ग निर्माण खंड सा० नि० विभाग, बलरामपुर (गोंडा) में १ नवम्बर, १९६५ से १५ दिसम्बर, १९६५ तक कितने रोड रोलर रहे तथा किस-किस दिन कितने रोड रोलर काम पर रहे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' ग्रागे पृष्ठ८०९–८१० पर)।

*६६—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रस्थायी मार्ग निर्माण खंड सामान्य विकास बलरामपुर (गोंडा) में इस समय कितने जीपें हैं तथा उनमें से कितनी जीपें किस तिथि से बेकार खड़ी हैं? तथा क्यों?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अस्थायी मार्ग निर्माण खंड (सार्वजनिक निर्माण विभाग) बलरामपुर (गोंडा) में इस समय दो जीपें हैं। उनमें से कोई जीप बेकार नहीं है।

*६७—श्री राजेन्द्रसिंह—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

एटा–अमापुर सड़क पर काली नदी का पुल

*६८—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा से अमापुर जाने वाली विभाग की सड़क पर काली नदी का पुल "उत्तर प्रदेश सेतु निधि" या किसी अन्य श्रोत से बनवाने हेतु विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो पुल कब तक बन कर तैयार हो जावेगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। इस स्थान पर पक्के पुल के बनाने की इस समय कोई योजना नहीं है। इस स्थान पर एक नावों का पुल बनाया जा रहा है। आशा है कि यह अगले वित्तीय वर्ष में बन कर तैयार हो जायेगा।

*६९—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

तीन वर्षीय डिग्री कोर्स

*७०—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के कितने कालेजों और विश्वविद्यालयों में तीन वर्षीय डिग्री कोर्स चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने धन देने की योजना निश्चित की थी और प्रदेश के कितने महाविद्यालयों में यह योजना अब तक लागू हुई और केन्द्रीय सरकार का कितना धन उपयोग हो सका?

श्री राम मूर्ति—

भारत सरकार ने तीन वर्षीय डिग्री कोर्स पर होने वाले अनावर्तक व्यय का १०० प्रतिशत तथा आवर्तक व्यय का ५० प्रतिशत देने के लिये अनुमति दी थी परन्तु राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनावर्तक तथा आवर्तक दोनों व्यय का १०० प्रतिशत वहन करने के लिये कहा था जिस पर भारत सरकार की अनुमति उपलब्ध न होने पर यह योजना इस प्रदेश में लागू नहीं की गई।

*७१—श्री कृष्णानन्द राय—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७२–७३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अस्थायी अफीलिएटेड कालेज

*७४—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कितने ऐसे कालेज हैं जो अस्थायी रूप से अफीलियेटेड हैं और जिनको खुले हुये तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं?

श्री राममूर्ति—

तीन कालेज ।

*७५—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

इनमें से कितने ऐसे कालेज हैं जिनको स्थायी अफीलियेशन के लिये उपकुलपति ने रेकमेंड कर दिया है पर चान्सलर ने सरकार की सिफारिशों के आधार पर अस्थायी अफीशिलयेशन ही दिया है ?

श्री राममूर्ति—

केवल एक कालेज ।

अतारांकित प्रश्न

भारत–पाक युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक

१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि चीन, पाकिस्तान के युद्ध में वीरगति प्राप्त उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे शहीद हैं जिन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई या सम्मानित किया गया है ? क्या सरकार जिलेवार ऐसे शहीदों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता तथा सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है । इस प्रदेश में ऐसे लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्मड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा दी जाती है । ऐसे लोगों की सूची भारत सरकार द्वारा समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रही है, लेकिन यह प्रकाशन जिलेवार नहीं किया जाता ।

राज्य सरकार केवल परमवीर चक्र, महावीर चक्र तथा वीर चक्र से विभूषित सैनिकों को आर्थिक पुरस्कार देती है। चीन तथा पाकिस्तान के युद्ध में वीरगति प्राप्त हुये ऐसे चक्र विजेताओं की संख्या ६ है जिनकी सूची संलग्न है । उनको दिया गया पुरस्कार भी उनके नाम के आगे दिखाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८११ पर ।)

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं कुछ जानकारी करना चाहता था । मेरा आज एक प्रश्न था जो अतारांकित कर दिया गया । मैं समझता हूं कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है । इसमें जो सरकार का उत्तर दिया हुआ है उस से भी यह स्पष्ट है कि उस पर पूरक प्रश्नों की आवश्यकता है । इस तरह के सवालों को अतारांकित करना ठीक नहीं है । यह सवाल सैनिक परिवारों के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष—

किसी भी विषय में राय में मतभेद हो सकता है । आप इस विषय में माननीय उपाध्यक्ष से बातें कर लें, इसके सम्बन्ध में मुझे मालूम नहीं है । जब तक मैं उसको देख न लूं उसके बारे म उत्तर नहीं दे सकता ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जो कामरोको प्रस्ताव आया है, उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है। वह गाजियाबाद, जिला मेरठ के पन्नालाल, श्याम लाल आदि किसानों की खेती के उजाड़े जाने के बारे में है। यह प्रश्न चूंकि कई मर्तबा आ चुका है इसलिये कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। अगर आप प्रश्न कर देते तो जल्दी उत्तर आ जाता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

सरकार से इस सम्बन्ध में आप एक वक्तव्य ही दिलवा दीजिये क्योंकि जो फसल गेहूं, टमाटर और आलू की खड़ी है उसको उजाड़ा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न बहुत दिनों से चल रहा है। अगर आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे देते तो जल्दी उत्तर आ जाता।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

फसल न उजाड़े जाने के बारे में मेरी माननीय मुख्य मंत्री से बातचीत हुई थी। उन्होंने टेलीफोन पर मुझे आश्वासन भी दिया था।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इसको मैं मंत्री जी के पास भेज दूंगा।

सैनिक परिवार से बढ़ा हुआ लगान वसूल किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

शेष नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनायें आयी हैं, उनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हू।

एक माननीय विकल जी की सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत राजस्व मंत्री से सम्बन्धित थी। माननीय राजस्व मंत्री जी ने मुझे लिख कर भेजा है कि यद्यपि विशेष संदेशवाहक बुलन्दशहर भेजा गया तथापि पूर्ण सूचना नहीं आ पायी है, इसलिये वे २८ फरवरी को वक्तव्य दे देंगे। इसलिये यह २८ फरवरी के लिये स्थगित किया जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

यह प्रश्न बुलन्दशहर का ही नहीं है, सारे प्रदेश का है। सारे प्रदेश में वसूली हो रही है। २७ जनवरी की सूचना पर अभी तक कोई उत्तर न आ सकना सरकार की उपेक्षा बताता है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप २८ तारीख को भी कह सकते हैं। आज २५ तारीख है, दो दिन बाद जब सदन बैठेगा तो वह वक्तव्य दे ही देंगे।

श्री रामचन्द्र विकल—

यह, श्रीमन्, एक जिले बुलन्दशहर की ही बात नहीं कि जहां उन्होंने सन्देशवाहक भेज दिया है, यह सारे प्रदेश का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वह २८ तारीख को वक्तव्य दे देंगे।

१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत् जोत कर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता

माल मंत्री (श्री हुकुर्मासिह विसेन)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—वृहत जोतकर के अन्तर्गत २,८५,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ९,९५,५४,४०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ३६,५९,३०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, आज करीब करीब मैं बीसवां बजट पेश कर रहा हूं, हर साल पेश करना पड़ता है और मुसलसल पेश कर रहा हूं, बीच में कोई गड़बड़ भी नहीं है । हमारा तरीका यह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारे आपोजीशन के भाइयों को मिले ताकि उनकी बातें हम सुनें और बाद में जो बातें जवाब देने की हों उनका हम आखिर में उत्तर दें । अपनी गल्ती अपने को नहीं मालूम होती दूसरे को ही मालूम होती है और वह प्रत्यक्ष रूप से ही बतायेंगे तो उस से हम मुस्तफीज होंगे । इसलिये इस वक्त कोई तकरीर न करके मैं चाहता हूं कि सभी भाई इस तरफ के और उस तरफ के अपनी राय जाहिर करें और हमें मौका दें कि हम उनकी बातों पर विचार करें । जो काबिले गौर होंगी उन पर हम गौर करेंगे और जो इधर उधर की लफ्फाजी होगी उस पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

कितना समय दीजियेगा, श्रीमन् ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी ने जो शब्द 'लफ्फाजी' प्रयुक्त किया है, वह संसदीय है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—

अगर वह शब्द बुरा है तो हम वापस लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

वह सदन के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, और उन्होंने अब वापस भी ले लिया ।

श्री भीखालाल—

समय कितना मिलेगा?

श्री अध्यक्ष—

१५ मिनट में मैं चाहता हूं कि आप भाषण पूरा कर लें, वैसे दो-चार मिनट ....

श्री भीखालाल—

आप ज्यादा सख्ती न करें समय के बारे में हमारे सामने घड़ी भी नहीं है पता नहीं चलता कितना समय हो गया ।

श्री अध्यक्ष—

आप २० मिनट ले लीजियेगा ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

यहां भिखारियों की तरह हम समय बढ़वाते हैं और हम लोगों को समय नहीं मिलता ।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर सभी माननीय सदस्य अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि सद्भावना से एक दूसरे का खयाल कर के माननीय सदस्य कम से कम समय लें ताकि अधिक से अधिक लोगों को समय मिले ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

पिछले साल १७-१७ बार हम खड़े हुये और समय नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

कम से कम समय लेने की चेष्टा सब लोग करें ताकि सब को समय मिल जाय ।

श्री भीखालाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—बृहत् जोतकर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य नीति सम्बन्धी चर्चा, सुझाव और शिकायतें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य भूमि सुधारों की आलोचना, बढ़े हुए लगान का विरोध भूमि वितरण व्यवस्था के दोषों की आलोचना, लगान की व्यवस्था की चर्चा, विभागीय प्रशासन के संबंध में सुझाव, विभाग की अन्य सामान्य नीतियों की चर्चा, सुझाव एवं शिकायतें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य दुर्भिक्ष सहायता में सरकार की उदासीनता, साधनों की कमी तथा सामान्य नीतियों पर चर्चा करना एवं सुझाव देना व शिकायत करना ।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब राजस्व विभाग के संबंध में कटौती का प्रस्ताव रखता हूं तो मुझे विशेष खुशी होती है और वह इसलिये खुशी होती है कि यह विभाग और इस विभाग का यह अनुदान जिस वर्ग से संबंध रखता है, मेरा संबंध उस वर्ग से है क्योंकि मैं एक छोटा सा किसान हूं और मैं उस वर्ग से आता हूं जो सदैव से पीड़ित रहा है और शोषित रहा है। दूसरे मुझे इस कारण से भी खुशी होती है कि इस विभाग से मेरा एक नजदीक का संबंध रहा है । इसलिये इन दोनों कारणों से किसानों की जो समस्यायें हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं और परिस्थितियां है, उनका मुझे ज्ञान है और इस विभाग के संबंध में जो उसका कार्य-कलाप, जो उसकी कमियां और जो उसकी कठिनाइयां हैं, उन पर भी मेरा नजदीक से सम्पर्क रहा है और ज्ञान है । माननीय, आज हमारे प्रदेश की ७५ प्रतिशत जनता खेती पर

आश्रित है और एक बहुत बड़ा समाज हमारे देश का कृषि पर ही निर्भर करता है। इसी से हमारे प्रदेश को जितनी आय है, उसका ६० प्रतिशत इस क्षेत्र का अंश है। तो यह विभाग और इस विभाग से संबंधित वर्ग इस प्रदेश की रीढ़ है और यह प्रदेश देश की एक रीढ़ है। लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जो किसान का वर्ग है वह हमेशा से उपेक्षित रहा है और आज भी उपेक्षित है। ये विचार मेरे ही नहीं हैं, ये विचार सरकार के पक्ष वाले माननीय सदस्यों और जिम्मेदार व्यक्तियों के और बड़े-बड़े विचारकों के हैं। केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री, माननीय सुब्रमनियम साहब ने १४ मई, १९६५, को दिल्ली में कृषि उत्पादकता परिषद् द्वारा आयोजित उत्पादकता सम्मेलन के जल्से का उद्घाटन करते हुए कहा था कि कृषि और कृषक समाज १७-१८ वर्ष से उपेक्षित रहा है और आज भी उपेक्षित है। हमारे प्लानर्स, नियोजन के चलाने वाले, समाज के अर्थ शास्त्री और अन्य लोगों का ध्यान इस तरफ विशेष रूप से नहीं गया है। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र की ओर सौतेले बेटे की तरह व्यवहार किया है। हमें धन्यवाद देना चाहिये इन दुर्भिक्ष की परिस्थितियों को जिनमें सरकार का ध्यान कुछ उधर की ओर आकर्षित हुआ है।

श्रीमन्, इतना ही नहीं, माननीय आचार्य विनोवा भावे जी, जो कि एक बहुत ही योग्य पुरुष हैं, बिचारक हैं और अहिंसा के पुजारी हैं, ने भी कहा है कि इन १८ वर्षों में हमारा किसान वर्ग उपेक्षित रहा है उसकी आर्थिक दशा बिगड़ती गयी है और जर्जर हो गयी है और यह स्थिति आ गयी है कि किसान अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। किसान खूनी क्रान्ति करने के लिये मजबूर हो जायगा। जब लोगों के ऐसे विचार हैं तो मैं अपने वयोवृद्ध माननीय मालमंत्री जी से जो कि २० वां बजट पेश कर रहे हैं, हर साल बजट पेश होता है, जो हमारे सुझाव लफ्फाजी समझकर ही जबाब दे देते हैं, नम्र निवेदन करूंगा कि अब परिस्थितियां बहुत बदल रही हैं। जिस तरह से देश की स्थिति हो रही है, खाद्यान्न के उत्पादन में कमी होती जा रही है, देश खाद्य के संबंध में कैसे आत्म निर्भर बन सकता है ताकि हमको दूसरे मुल्कों से गल्ले की भीख न मांगनी पड़े, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। उन हालात को देखते हुए हमारी तरफ से जो सुझाव आते हैं हम जो बातें रखते हैं उनको लफ्फाजी समझ कर के टालने की वे कोशिश न करें। मैं जानता हूं माननीय माल मंत्री जी बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी भाषण कला भी बहुत ही परिपक्व है, वह बड़ी अच्छी तरह से उत्तर भी देंगे। लेकिन आज वह समय नहीं है कि कितनी कड़ी से कड़ी आलोचना विरोधी पक्ष से की जाती है, और कितने कड़े शब्दों में माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देते हैं, या यों कहिये कि नहले पर दहला मंत्री जी कैसा लगाते हैं, यह समय नहीं है। अब समय आ गया है कि जो कुछ सुझाव दिये जाते हैं उन पर आप गंभीरतापूर्वक सोचें और जो खामियां हैं, तथा उसमें जो कमियां हैं उनको ढूंढ़ कर दूर करने की कोशिश करें ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आत्म निर्भर बन सकें और विदेशों से भीख न मांगें और मुर्गियों के खाने वाला दाना मंगा कर यहां के आदमियों को न खिलायें।

मान्यवर, इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं में करोड़ों रुपया खेती पर खर्च करने के बावजूद भी हमारा कृषि उत्पादन बढ़ नहीं सका। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। यह भी कारण हो सकता है कि हमारे प्रदेश में सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, हमारे प्रदेश में खाद के वितरण की समुचित व्यवस्था नहीं है, अच्छा बीज उपलब्ध नहीं है, अच्छे कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं है, बीमारियों को रोकने के अच्छे उपाय नहीं हैं, या नई पद्धतियों को अपनाने के लिये किसानों को ट्रेनिंग देने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, इन सब के लिये अलग-अलग विभाग जिम्मेदार हो सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि दैवी आपदायें आयीं, इसके लिये हम दैव को दोष दे सकते हैं, लेकिन एक जो मौलिक चीज है, कृषि उत्पादन पर जिसका गहरा असर पड़ता है वह है भूमि सुधार और उसका जिम्मेदार माल विभाग है और हमारे माल

[श्री भीखालाल]

मंत्री है। क्योंकि जब तक भूमि सुधार अच्छे नहीं होंगे मेरा निश्चित मत है कि खेती की पैदावार और कृषि उत्पादन बढ़ नहीं सकता। क्योंकि भूमि सुधार ही वह चीज है जो किसानों में एक इंसेटिव पैदा करता है, किसान महसूस करता है कि वे जमीन के मालिक हैं, वह महसूस करता है कि हमारी जमीन सुरक्षित है, इसको कोई छ नहीं सकता है। वह महसूस करता है कि कृषि क्षेत्र में हमारे स्तर को ऊंचा उठाने का सरकार की तरफ से प्रयास है, वह महसूस करता है कि हमको हर प्रकार का संरक्षण मिल रहा है और इस तरह से जब उसको प्रोत्साहन मिलता है तब खेती की पैदावार बढ़ती है। और अगर वह इंसेंटिव किसान को नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ नहीं सकता। तीन योजनायें समाप्त हो गईं, सरकार ने हर तरह का प्रयास किया, करोड़ों रुपया खर्च किया लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पैदावार नहीं बढ़ सकी। तो उसका मौलिक कारण है कि हमारे भूमि सुधारों में कहीं पर दोष है। इसलिये समय आ गया है कि उन दोषों को हम ढूंढें और उनको निकालने की कोशिश करें। ताकि हमारी कृषि व्यवस्था, हमारा भूमि सधार, हमारा कृषक जीवन, आज की आवश्यकताओं के अनसार हो, आज की परिस्थितियों के अनुरूप हो और हम अपने इस ढांचे को आगे बढ़ाने में सक्षम हों।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में प्रमुख भूमि सुधार तीन हुए---जमींदारी विनाश हुआ, जमीनों की चकबन्दी हुई, और जमीनों की हदबन्दी हुई। लकिन जहां तक भूमि सुधारों के उद्देश्यों का संबंध है, भावनाओं का संबंध है या जिन उद्देश्यों के लिये कानून बनाये गये, जिन भावनाओं से बनाये गये अगर सही तौर से लागू किए जाते, या लागू किये जायं, तो मैं इस राय का हूं कि वह हमारे प्रदेश के कृषक जीवन में क्रान्ति जरूर उत्पन्न कर देंगे, एक परिवर्तन कर देंगे। लेकिन वह क्रान्ति और परिवर्तन जो अच्छे के लिये होगा हम समझते हैं कि अभी तक नहीं हो पाया। भले ही हमारे माल मंत्री जी या सरकार इस बात पर आत्म संतोष कर ले कि हमने जमीन की व्यवस्था में या कृषक जीवन में क्रान्ति पैदा कर दी है, किन्तु यह सिर्फ आत्म संतुष्टि होगी, जब कि वास्तव में क्रान्ति पैदा नहीं हुई। क्योंकि उसकी कसौटी यह है कि हम कितना आगे बढ़े हैं, हमारा उत्पादन कितना बढा है, कृषक जीवन का आर्थिक ढांचा कितना मजबूत हुआ किसानों की आर्थिक स्थिति कैसी हुई। हमारा भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ४ हैं। पहला यह है कि कृषि उत्पादन और कृषकों की उत्पादन क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाया जाय। दूसरा उद्देश्य यह है कि कृषि की आय का समान और वाजिब बटवारा हो। तीसरे कृषक वर्ग में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। चौथे कृषक समाज में सामाजिक समानता हो। ये ४ कसौटियां हैं जिनको लेकर भूमि सुधारों को कसना है और उन्हीं कसौटियों को लेकर हमने अपने प्रदेश में भूमि सुधार किये हैं। कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं चीजों को लेकर भूमि सुधार की व्यवस्था प्रदेश में की है।

कांग्रेस एग्रेरेरियन रिफार्म कमेटी ने जो रिपोर्ट सन् ४९ में दी थी उसमें उसने यह सिफारिश दी थी कि 'कृषि के क्षेत्र में, कृषि के उत्पादन में हम एक स्थायी और सक्षम उन्नति तब तक नहीं कर सकते जब तक अच्छे भूमि सुधार न किये जायं। कमेटी की यह भी राय है कि जब तक इन्टरमीडियरी मौजूद हैं तब तक कृषि के क्षेत्र में उन्नति नहीं हो सकती, और जमीन जोतने वाले को मिलनी चाहिये।' अगर यह नारा कि जमीन जोतने वाले को मिले पूरा हो जाता है तो भूमि सुधारों का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जमींदारी कानन पास करने के बाद इस बात का प्रयास किया गया कि बिचवैये जो हैं उनको खत्म किया जाय और जमीन जोतने वाले को दी जाय। कानून में इस बात का प्राविधान किया गया कि जमीन जोतने वाले को मिले लेकिन यह शर्त पूरी कैसे होगी इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया। आज भी हम देखते हैं कि जमींदारी के पहले जो दोष थे आज भी वे विद्यमान हैं। हमारे प्रदेश की [कृषि व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष यह था कि कोई भी आदमी चाहे यह भी न जानता हो कि उसकी जमीन कहां है और कसी है, वह बड़े से बड़ा किसान हो सकता था। कोई भी

आदमी चाहे अपने हाथ से खेती भी न करता हो या उस गांव में जहां उसकी खेती है न भी रहता हो बड़े से बड़ा किसान हो सकता था। आज भी जमींदारी विनाश के बाद वह बात वैसी की वैसी ही है इस शर्त को पूरा करन का एक ही उपाय है कि कानून में इस बात की व्यवस्था की जाय कि जमीन के मालिक को स्वयं अपने हाथ से जमीन जोतनी पड़ेगी। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि व्यवस्था यही है कि जमीन उसके पास रहे जो उसे जोते क्योंकि बटाई या शिकमी पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। यह सही है कि जमींदारी विनाश कानून में इस बात का प्रतिबन्ध है कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन बटाई पर या शिकमी पर नहीं दे सकता। यह पाबन्दी थी जिसके आधार पर जमीन के मालिक को विवश किया जाता कि वह अपनी जमीन को अपने हाथ से जोते। और तभी वास्तव में जमीन जोतने वाले को मिले का नारा पूरा हो सकता है। लेकिन मैं कहने के लिये विवश हूं कि सरकार ने सामंती वर्ग को तो अवश्य तोड़ दिया लेकिन इसके साथ ही साथ कृषक जीवन में पूंजीवादी परिस्थिति और पूंजीवादी संबंधों का विस्तार प्रारम्भ किया और इसी कारण से माल मंत्री या उनकी सरकार ने जमीदारों से एक समझौता वाली नीति अपनाई और जमीदारी विनाश कानून में एक चोर दरवाजा बना दिया जो आज भी मौजूद है और जिसके रास्ते साझेदारी की व्यवस्था कर दी। इस व्यवस्था से बड़े-बड़े भू-स्वामियों और भूतपूर्व जमींदारों को मौका दे दिया गया है कि वे अपनी जमीन को बटाई पर या शिकमी पर उठा सकते हैं। केवल एक छोटा सा इकरारनामा साझेदारी का लिखाने की आवश्यकता है। इस तरह से वह नारा और उद्देश्य कि जमीन जोतने वाले को मिले, खत्म हो गया और वह पूर्ण रूप से सम्पन्न नहीं हुआ।

मैं यहां तक कहूंगा कि जमींदारी के खात्मे से आपका जो उद्देश्य इंटरमीडियरी खत्म करने का था वह पूरा नहीं हुआ। उनकी परिभाषा जरूर बदल गई और जो जमींदारों की शक्ल थी वह नहीं रही और अब उनकी बड़े भूस्वामी की शक्ल हो गई और वे आज भी जमीदारों की तरह किसान का शोषण करते हैं। सरकार की मालगुजारी जरूर बढ़ गई है लेकिन किसानों का शोषण अभी भी होता है। सरकार की समझौतावादी नीति का एक उदाहरण यह भी है कि हमारे प्रदेश में ८१,३५,७०० एकड़ जमीन सीर और खुदकाश्त की जमींदारों को दे दी गई और किसानों को अधिवासी के अधिकार केवल २१ लाख एकड़ सीर और खुदकाश्त जमीन पर दिये गये। यानी ८० फीसदी जमीन जमींदारों को मिली और २० फीसदी किसानों को मिली। जब कि जमींदारी के जमाने में जमीदार अपनी सीर व खुदकाश्त की केवल साढ़े चौदह फीसदी जमीन पर काश्त करते थे। अब उनको ८० फीसदी जमीन दे दी गई। आपने कानून में ऐसी कमियां रक्खीं जिससे आपने हजारों अधिवासी काश्तकारों की जमीनों की बेदखली का मौका दिया। १९५४ में जरूर आपने संशोधन किया और अधिवासियों को संरक्षण दिया लेकिन हजारों एकड़ जमीन इससे पूर्व बेदखल हो चुकी थी जो बचाई जा सकी। इसी तरह की समझौतेवादी नीति सरकार ने बड़े भूस्वामियों के प्रति अपनाई। इसी कारण से हमारे प्रदेश में जमीन का समान बटवारा नहीं हो सका और समानता पैदा नहीं हो सकी।

जमीनों के असमान बटवारे को दूर करने के लिए माल मंत्री ने जमीनों की हदबंदी का कानून बनाया। लेकिन बड़ा भूस्वामी जो आज इतना प्रभावी हो गया है कि उसने इस कानून को लुंज पुंज कर दिया है और सही माने में यह लागू नहीं हो सका। माल मंत्री ने घोषणा की थी कि ६ लाख एकड़ जमीन मिलने की संभावना है, और हर सूरत में ४ लाख ३७ हजार एकड़ जमीन अवश्य मिल जावेगी, लेकिन ३० सितम्बर, १९६५ तक यानी कानून लागू होने के चार साल बाद केवल २ लाख २१ हजार ७९८ एकड़ जमीन अतिरिक्त घोषित की

[श्री भीखालाल]

गई जिसमें से केवल १ लाख ५३ हजार एकड़ पर ही कब्जा मिल पाया है। ८९ हजार एकड़ जमीन बोयी गई है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा जमीन नहीं मिलेगी। शायद १०-२० हजार एकड़ जमीन और मिल जाय। इस प्रकार जमीन के समान बटवारे की बात हवा में रह गई और जो सामाजिक असमानता थी वह भी दूर नहीं हुई। खेतिहर मजदूरों की संख्या १९५१ के सेंसस में १५ फीसदी थी। १९६१ के सेंसस में भी १५ फीसदी उनकी तादाद मौजूद है। कौन सी आपने असमानता दूर की? भूमि सुधार इस प्रकार दोषपूर्ण हैं।

(इस समय १२ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए।)

मान्यवर, आखिरी बात मैं यह कहूंगा। जरूरत है कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाय, लगान कम किया जाय, सिंचाई की दरों में कमी हो लेकिन लगान बढ़ता है। किसान को यह इंसेंटिव मिला कि उसका लगान सवाया कर दिया गया। इसलिये कि देश में आपत्ति-कालीन स्थिति है और किसान भी अपना हिस्सा दे और इसमें साढ़े छः करोड़ रुपया सालाना वसूल कर लिया गया। पिछले साल हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा का बजट था ३ करोड़ ४९ लाख ८५ हजार और इस साल है ३ करोड़ ८९ लाख ८५ हजार रुपये इस प्रकार केवल ४० लाख की वृद्धि है। लेकिन उसके नाम पर साढ़े ६ करोड़ लगान बढ़ा कर किसानों से वसूल करें इसका कोई औचित्य नहीं है। आपने सारा सुरक्षा का व्यय किसानों पर डाल दिया जिन्होंने अपने जवान बेटे दिये दुश्मनों का मुकाबला करने के लिये। जब चीन का हमला हुआ तो साढ़े पांच करोड़ रुपया एन० डी० एफ० में इकट्ठा हुआ। उसका बहुत बड़ा हिस्सा किसान ने दिया। इस लड़ाई में तीन करोड़ रुपया वसूल हुआ। किसने दिया? हमारे किसान ने। उन्हीं के ऊपर साढ़े छः करोड़ और लादा जाय यह कौन सा न्याय है? सरकार ने छोटी छोटी जोतो पर भी लगान बढ़ा दिया जिनकी संख्या ७० फीसदी है और जिनको कोई लाभ भी नहीं होता। आपके आंकड़े चाहे जो हों किसान की आमदनी दिन पर दिन घटती जा रही है। उसके ऊपर लगान बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप उन किसानों की आमदनी पर निगाह डालें तो देहाती क्षेत्रों की पर कैपिटा इनकम १९५१ में २०७ थी, १९६०-६१ में १८३ रह गयी। सरकार ने १९६० के बाद से यह तरीका निकाला है कि रूरल और अरबन इनकम अलग अलग देना बन्द कर दिया है क्योंकि उससे भंडाफोड़ होता है। लेकिन मैं निश्चित मत का हूं कि किसानों को आमदनी घटी है। रूरल क्रेडिट और रिजर्व फन्ड की रिपोर्ट है कि किसानों की आमदनी घट रही है। क्योंकि उन पर कर्जे बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत में कौन सा औचित्य है कि किसानों का लगान बढ़ाएं।

इसके साथ-साथ हमारे पास जो बजट के दस साल के आंकड़े हैं उनमें हमने देखा हमेशा बजट घाटे का प्रस्तुत हुआ, लेकिन अन्त में मुनाफे का हो गया। केवल १९६५-६६ में घाटा १४ करोड़ का था अन्त में ५ करोड़ का घाटा रहा लेकिन और सालों में घाटा मुनाफे में बदल गया। सरकार के अनुमान के अनुसार हर साल आमदनी में औसतन १० करोड़ का इजाफा हुआ। यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष कोई नये कर नहीं लगाये जा रहे हैं इसलिये अगर औसतन ४ करोड़ के नये कर निकाल दिये जायं तो अन्दाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के अनुमान के हिसाब से इस वर्ष के बजट में भी ६ करोड़ रुपये की आमदनी का इजाफा होगा। इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में ३१ लाख का घाटा दिखाया गया है जो नाम मात्र का है और ६ करोड़ का अन्दाजन फायदा होगा। जब बचत ६ करोड़ बढ़ जायगी, तो कौन सा औचित्य है कि अभी से आप किसानों पर इतना कर लगा दें। इसलिये मेरी राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना है, जोरदार शब्दों में मांग है और केवल मेरी ही नहीं पूरे प्रदेश की मांग है कि यह अधिभार विधेयक आप वापस लें और सवाया लगान समाप्त करें। मैं चाहूंगा माननीय राजस्व मंत्री जो वृद्ध हो चुके हैं, पूरे प्रदेश की जनता की पुकार सुनकर उसके यश के भागी बनें। क्योंकि बाद में इसके लिये पूरी सरकार यश लेगी, माननीय सुचेत।

की यश लेंगी और लोग यह कहेंगे कि माननीय हुकुम सिंह जी ने प्रदेश के किसानों का कोई हित नहीं किया। इसलिये मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जो इस कार्य को करके यश के भागीदार बनें, उसके अपयश को अपने ऊपर न लें 'बाज पराये पाणि पर तू पंछीनु न मार' यह बदनामी और अपयश आप न लें और किसानों के ऊपर से अधिभार वापस लें।

एक बात मैं और इस विभाग के प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं। यह विभाग पूरे प्रशासन की रीढ़ है, लेकिन फिर भी यह विभाग सदा से उपेक्षित रहा है। इस विभाग की तहसीलों और जिलों में इमारतें खराब और जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई हैं। उनकी छतें खपरैलों की हैं जो बरसात में जोरों से टपकती हैं और स्टाफ को कागजात और रेकार्ड सम्हाल कर रखना मुश्किल हो जाता है, वह परेशान हो जाते हैं। लेकिन सरकार की निगाह उन पर नहीं जाती है कि उनका पुनरुद्धार हो जाए। हर तहसील में अभी तक एक-एक तहसीलदार और नायब तहसीलदार हुआ करते थे, लेकिन अब वहां पर ४-४ पांच नायब तहसीलदार हो गये हैं, लेकिन उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई नायब तहसीलदार बरामदे में बैठता है कोई कहीं बैठता है। उसी तरह से लेखपाल साल में कम से कम ३ महीने तहसील कार्यालय में हाजिर रहते हैं, लेकिन उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। नये ब्लाक बनते हैं, खुलते हैं, उनको तुरन्त बढ़िया जीप मिल जाती है, अफसरों और स्टाफ के बंगले और क्वार्टर अलोशान बन जाते हैं, कार्यालय को गोडरेज की अलमारियां मिल जाती है और फर्नीचर मिल जाता है। लेकिन तहसील कार्यालय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

अब एक गंभीर स्थिति इस विभाग से संबंधित उत्पन्न होने वाली है, उसकी तरफ में आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। इस विभाग में पहले हर तहसील में एक-एक तहसीलदार और नायब तहसीलदार होता था। जो नायब तहसीलदार की जगह से अपनी सर्विस शुरू करता था वह कुछ समय बाद तहसीलदार अवश्य हो जाया करता था। जो व्यक्ति नायब तहसीलदार के पद पर आता था वह नायब तहसीलदार ही बने रहने के लिये नहीं आता था, वह इसलिये आता था कि वह तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर हो जायगा। इसलिये उस विभाग में बेस्ट ब्रेन आते थे, बेस्ट और योग्य आदमी आते थे। लेकिन अब नायब तहसीलदारों की संख्या बढ़कर पहले से ५-गुना हो गयी है। जहां पर एक नायब तहसीलदार था अब ५-६ हो गये है, उसका परिणाम यह है कि अब उनको भविष्य में उन्नत करने का अवसर कवल १/५ और १-६ रह गया है। इसलिये बहुत से ऐसे नायब तहसीलदार ऐसे होंगे जो नायब तहसीलदार से सर्विस आरम्भ करेंगे और अपने रिटायरमेन्ट तक उसी पद पर बने रहेंगे। तो उनके लिये क्या इंसेन्टिव होगा, क्या प्रोत्साहन होगा कि वह इस विभाग में आएं? जब उनके लिये प्रमोशन की गुंजाइश नहीं है, तो एक ही रास्ता है कि उनके वेतन क्रमों को बढ़ाया जाए। इस समय उनका वेतन स्केल १२०-२०० रुपये का है और वेतन अभिवीकरण समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के लागू होने पर १६०-२८० रुपये हो जायगा। डिप्टी कलेक्टर का ग्रेड ३००-९०० रुपये का है, जिसको प्राप्त करने की अब उसे कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। इसीलिये उनकी तनख्वाह बढ़ाने की कृपा करें। नहीं तो इस विभाग में आपको सबसे ज्यादा निकम्मा और सड़ा हुआ स्टाफ मिलेगा।

दूसरी बात मैं आपसे कानून-गो की ट्रेनिंग के बारे में कहना चाहता हूं। जो लेखपाल कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग के लिये जाते हैं, उनके लिये प्रतिबन्ध है कि वह ४० साल की उम्र तक के जाते हैं, उससे ज्यादा उम्र के लेखपाल ट्रेनिंग में नहीं भेजे जाते। लेकिन सन् ५७ से वह ट्रेनिंग स्कूल बन्द कर दिया गया है और उस समय सरकार द्वारा यह आदेश निकाला गया था कि उनके लिये ५ साल तक की उम्र को कैरी बढ़ा दी जायगी और वह आदेश १९६२ तक ही प्रभावी था। लेकिन सन् ६२ तक वह स्कूल नहीं खुला। ६२ में वह अवधि समाप्त हो

[श्री भीखा लाल]

गयी, लेकिन वह स्कूल नहीं खुला, जिससे कि कुछ लोगों का हक मारा गया है, वह अब ४५ साल के ऊपर की उम्र हो जाने के कारण उसकी ट्रेनिंग में जाने से रह गये हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस अवधि को फिर से बढ़ा दिया जाय और उन्हें तब तक की छूट दे दी जाय जब तक कि वह स्कूल चालू न हो जाय।

*श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीय राजस्व मंत्री द्वारा जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, वैसे तो राजस्व विभाग की सब से अधिक जिम्मेदारियां प्रदेश में हैं। अगर कहीं दुर्भिक्ष पड़ता है या कोई बात कहीं हो जाती है तो राजस्व विभाग के कर्मचारी या अधिकारी घर-घर जाकर या मौके पर जाकर सब दुखों का निराकरण करते हैं। जहां तक काश्तकारों की दिक्कतों का सवाल है, तहसील के हेड-क्वार्टर पर या जिलाधीश के यहां प्रार्थना-पत्र देने पर जिलाधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। श्रीमन्, राजस्व विभाग ने सब से पहले हमारे उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन किया। कुछ लोग थोड़े से जमींदार थे और सब बेचारे काश्तकारों को परेशान करते थे। जमींदार साहबान और तालुकेदार साहबान के नाम ४ हजार ८ हजार बीघा सीर थी जिसका उनको पता नहीं था कि किस गांव में उनकी जमीन है और काश्तकार उसको जोतता-जोतता जिन्दगी भर मरता था। तो सब से बड़ी राहत हमारी सरकार ने जमींदारों की जमीन समाप्त करके किसानों को दी। उसके बाद हदबन्दी लागू की गयी। हदबन्दी में ४० एकड़ से कोई ज्यादा रख नहीं सकता था। इसमें ज्यादा जमीन काश्तकारों को मिली। अब चकबन्दी से फायदा हुआ है। मैं तो कह सकता हूं कि जिस गांव में चकबन्दी हो गयी है वहां तो कायापलट ही हो गयी। (एक आवाज-स्वर्ग हो गया है) मुकामी सूरत से भले ही कुछ गड़बड़ हो गयी हो...

श्री अधिष्ठाता—

आपस में बातें न की जायं।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

मुकामी सूरत से कुछ थोड़ा गड़बड़ हुआ हो तो हो लेकिन जहां तक चकबन्दी का ताल्लुक है जिन मुकामों में चकबन्दी हुई है वहां तो बिलकुल कायापलट हो गयी और फसल चौगुनी अठगुनी और दसगुनी हो गयी। काश्तकार फसल ठीक करता है, पक्के कुएं बने हैं। वे ठीक से काम करने लगे हैं। फसल बढ़ गयी है। हो सकता है कहीं कुछ गलतियां हों लेकिन मैं जानता हूं कि उससे फायदा हुआ है। मेरे परगने खेड़ा बझेड़ा जिला शाहजहांपुर में चकबन्दी खत्म होने जा रही है और हमारे यहां जो ए० सी० ओ० है और सी० ओ० है उनके बारे में मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा है। अगर अधिकारी लोकल होता है और उसी स्थान का है तो वह बिलकुल गड़बड़ नहीं कर सकता, वह भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। और उन लोगों से प्रभावित होते हुए भी जो यह कहते हैं कि अगर हमारा काम नहीं होगा तो नाक कान कटवा लेंगे तो शायद वह समझने लगें कि कौन इल्लत में पड़े, मुकामी नेता हमारा भला करते हैं तो होने दो। तो यह सारी परेशानी है जिनकी वजह से गड़बड़ होती है। वैसे मैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पक्ष में नहीं हूं लेकिन सच्ची बात कह देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। हमारे यहां जो ए० सी० ओ० हैं भी नूरुल इस्लाम साहब जो एक मुसलमान हैं लेकिन मैं यह गारंटी से कह सकता हूं कि यू० पी० में शायद ही कोई ऐसा ईमानदार अधिकारी होगा और जो काम सिफारिश से होता था उनके रहते सब काम ठीक से होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एम० एल० ए० होने से हम ईमानदार नहीं हो जाते हैं और अधिकारी या कर्मचारी होने से ही कोई बेईमान नहीं होता। हमें अपने गरेबां में सरडालकर देखना चाहिये। हम किसी से गलत काम लेंगे और गलत काम के लिये प्रोत्साहन देंगे तो यह पंचायती राज हो या कांग्रेसी सरकार हो इसमें मारेल ऊंचा नहीं उठ सकता है। अगर कोई ईमानदार आदमी है और ईमानदारी से काम करता है तो उसकी सराहना करनी चाहिये। उसको अगर बेईमान कहा जायगा तो यह उचित नहीं है। हां, यह बात जरूर है जो आदमी गड़बड़ करते हैं उनकी शिकायत करनी चाहिये। मेरे यहां एक अफसर गड़बड़ करते थे उनकी शिकायत की गई और शिकायत करने पर उनका यहां से ट्रान्सफर किया गया। हमारे यहां खेड़ा बम्हेड़ा में एक सी० ओ० हैं वह भी गड़बड़ करते हैं। जब वहां पर चकबन्दी कमिश्नर गये थे तो उनसे शिकायत की गई और उनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है। उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा। लेकिन साथ ही साथ जो ईमानदार अफसर हैं उसको प्रोत्साहन देना चाहिये।

दूसरी बात यह निवेदन करूंगा कि जिन गांवों में चकबन्दी हो गयी है वहां तो ठीक हो गया लेकिन जिन गांवों में चकबन्दी नहीं हुई है और उनको छोड़ दिया गया है उन गांवों में कागजात दुरुस्ती नहीं हो पाई है। ५०, ६० साल से कागजात वैसे ही पड़े हैं। वहां भी उसी तरफ से कागजात की आइना की तरह करने की आवश्यकता है जैसे चकबन्दी के इलाके में हो गये हैं। चकबन्दी के कारण कागजात दुरुस्त हो गये हैं और किसानों में लिटीगेशन रह नहीं गया है। जहां पर चकबन्दी नहीं हुई है वहां पर करने की आवश्यकता है। मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में भी यह निवेदन करूं कि वहां पर ४, ५ रामगंगा वगैरा नदियां हैं। वहां पर बहुत से लोगों ने तकावी ली थी जिसको ३, ४ साल हो गये हैं। उन लोगों पर बहुत सा बकाया पड़ा हुआ है। तहसील वाले भी क्या करें, वे बेचारे तकादे के लिये जाते हैं लेकिन वे गरीब काश्तकार मशबूर हैं। उनकी जमीन कट गई है। उनके पास कोई भी आमदनी का साधन नहीं रह गया है। ४, ५ साल उस तकावी को लिये हुये हो गये हैं तो ऐसी हालत में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच की जाय। जिनकी जमीन २, ३ साल से कट गई है और जिनकी आमदनी कोई नहीं रह गई है उनकी जांच कराकर उनसे वसूलयाबी को रोका जाय और काट दिया जाय।

हाकिम परगना पुवायां ने कुछ जमीन जंगल की नाजायज तरीके से कुर्क करा ली है। इस तरह की हरकत अधिकारी कर रहे हैं। हमारे जिले में डिप्टी कलेक्टर ऐसे ही भेजे जाते हैं जो दूसरी जगह से शिकायत होने पर हटा दिये जाते हैं। न मालूम उनको क्यों शाजहांपुर भेज दिया जाता है? परगनाधीश एक बरेली में थे उनकी शिकायत हुई तो उनको शाहजहांपुर भेज दिया गया। मैं चाहता हूं इस तरह के लोग वहां न जायं तो जिले का लाभ ज्यादा हो सकता है। भ्रष्ट अफसर के खिलाफ जरूर शिकायत करनी चाहिये और सरकार के पास उन भ्रष्ट लोगों की शिकायत अगर जाती है तो सरकार को जरूर उसको देखना चाहिये और काम करना चाहिये।

*श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय माननीय भीखालाल ने कुछ बातों का उल्लेख किया। मेरी भी यह धारणा है कि अपने प्रदेश के अन्दर जितने भूमि सम्बन्धी कानून बने थे सिद्धान्त में तो ठीक हैं लेकिन चाहे चकबन्दी का कानून हो, चाहे अधिकतम जोत सीमा का कानून हो, चाहे बृहत जोत का कानून हो, चाहे जमींदारी विनाश सम्बन्धी कानून हो, उनके कार्यान्वयन में निश्चय ही अपने प्रदेश के अन्दर गड़बड़ी है। उन गड़बड़ी के कारण उनका लाभ किसानों को नहीं हो पाया। उन कानून के बारे में जो एक विशेष बात होनी चाहिये थी जिसका उल्लेख किया गया है कि अधिकतम जोत के कानून से जमीन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपालसिंह]

मिलनी चाहिये थी, भूमि का वितरण होना चाहिये था, जो ज्यादा जमीन है वह सरकार के पास आनी चाहिये थी उसका उनको किसी प्रकार से लाभ नहीं हो पाया। मैं उनमें से दो एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आप बृहत जोत कर को ले लें। यह लार्ज लैंड होल्डिंग्स का कानून सन् ५७ में बना, अब फिर बृहत् जोत सीमा के नाम से आया, लेकिन उससे जो कर मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। और यह किन लोगों पर है? बड़े-बड़े जागीरदारों और बड़े-बड़े लोगों का मामला है जिनके पास बहुत बड़ी जमीन है। उसकी वसूली का यह हाल है कि एक करोड़ था उससे अधिक रुपया वसूल होना चाहिए था। आंकड़ों की पुस्तिका में दिया है कि ३९,४३,५०० रुपया वसूल हुआ है और ४६,४४,००० बाकी है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

जरा आगे आ जाइये, माईक्रोफोन पर।

श्री रक्षपालसिंह—

तो यह ४० प्रतिशत के करीब वसूल हुआ है और सरकार को फिक्र भी नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों का मामला है। मेरा आरोप है कि बड़े-बड़े लोगों पर राजनीतिक प्रभाव डाल कर इस ढंग से वसूली की जा रही है। अधिकतम जोत सीमा आरोप विधेयक के सम्बन्ध में बड़ा शोर हुआ कि हदबन्दी हो रही है, अधिकतम सीमा निर्धारण हो रही है और उससे भूमिहीनों को जमीन मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। २,२१,७८९ एकड़ जमीन सरकार ने कहा कि हमको मिलनी चाहिए, लेकिन यह घोषित होने पर केवल १,५३,००० एकड़ जमीन पर अभी तक सरकार कब्जा कर पायी है और जहां तक व्यवस्था होने का सवाल है, ८९,००० एकड़ जमीन की व्यवस्था हो पायी है। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से सरकार की नीति जानना चाहता हूं।

भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानून के बारे में एक उल्लेख किया गया कि अनिश्चित अवस्था होने के कारण उत्पादन नहीं हो पा रहा है। मैं दो एक जिलों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं—एक टेहरी गढ़वाल और एक उत्तरकाशी। वहां जमींदारी टूटी है और महाराजा के राज्य में और २–३ तरह की शिकायतें थीं जो सही हैं। कांग्रेस के समेत सब लोगों का डेपुटेशन मुख्य मंत्री से मिला। एक तो यह शिकायत थी कि महाराजा के जमाने में जितना लगान बढ़ा हुआ था वैसा ही रखा गया और जमींदारी खत्म होने के बाद यह हुआ है कि पहाड़ी एरिया में जो स्लैट पोर्शन्स हैं, जो तिरछी जमीन है जिसमें खेती नहीं हो सकती है उनको भी नापा गया और ज्यादा नापा गया और पुराना लगान कायम है जो कि तिगुने अधिक किसानों को देना पड़ता है। इसी तरह से रामपुर स्टेट के बारे में पिछली बार भी चर्चा हुई कि लगान सही और समान जिलों के बराबर किया जाना चाहिए, उसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं।

चकबन्दी की बात यहां पर की गयी कि कितना भ्रष्टाचार है। प्रदेशीय चकबन्दी कमेटी में जिन बातों का उल्लेख हुआ, जो बन्दोबस्त हुए उसमें बहुत सी गड़बड़ी थीं, उसकी रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद और भी बहुत सी गड़बड़ी हो गयी हैं, उनका सुधार होना चाहिए।

श्रीमन्, सरकार ने धारा २७ में जो संशोधन किया है वह धारा ४९ के रहते हुये बिलकुल निरर्थक हो जाता है। हाकिम परगना वगैरह धारा ४९ का हवाला देकर मुकदमों को खारिज कर देते हैं। इसलिये जो धारा २७ में आपने संशोधन किया है किसानों के हित में, उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिये हमारी यह भी मांग है कि धारा ४९ में भी सुधार होना चाहिये।

चकबन्दी का काम खत्म होने की स्टेज पर है। उसका लाभ बड़े-बड़े लोगों को ही पहुंचा है। अच्छी उपजाऊ जमीन छोटे-छोटे किसानों को नहीं मिली है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

खागा क्षेत्र में चकबन्दी को स्थपित कर दिया गया है। वहां पर उसी के कारण नहर का काम भी रुका हुआ है। अगर वहां चकबन्दी होना है तो उसको तुरन्त कराना चाहिये, वरना इस बात की घोषणा करना चाहिये कि वहां चकबन्दी नहीं होगी।

एक प्रार्थना मेरी यह भी है कि हमारे यहां के निगम साहब ने जो प्रार्थना-पत्र दिया है अपने ट्रांसफर के बारे में उस पर भी सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। उनको वहां दवा आदि की सुविधा नहीं है। उनको कहीं दूसरी जगह ट्रान्सफर कर दिया जाय।

एक दो सुझाव मैं इस विभाग के कर्मचारियों के बारे में देना चाहता हूं। कलेक्शन अमीनों को जो स्थायी करने का आपने काम किया है वह बहुत अच्छा है। उनकी दो-तीन मांगें और हैं जो उचित हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। उनकी मांग यह है कि जब वे बाहर जायं तो उनको लेखपालों की तरह भत्ता मिलना चाहिये। दूसरी मांग यह है कि तहसील में उनके निवास की व्यवस्था होनी चाहिये। तीसरी मांग यह है कि उनको चूंकि ३-४ हजार रुपये तक लेकर आना जाना पड़ता है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिये उनको लाइसेंस आदि मिलने चाहिये।

लेखा संगठन के कर्मचारियों की सेवा नियमावली भी शीघ्र बननी चाहिये और उसकी घोषणा सरकार को करनी चाहिये।

अलाभकर जोत के सम्बन्ध में जो जन संघ की शुरू से मांग रही है उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिये। ऐसी जोतों पर लगान माफ करना चाहिये।

सरकार जहां यह दावा करती है कि उसने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसको, आज जब कि हमारे सैनिक कारगिल आदि चौकियों से वापस आ रहे हैं, लड़ाई समाप्त हो गयी है, सर चार्ज अब वसूल करने का क्या अधिकार है। मैं चाहता हूं कि सरकार ने यह जो पिछले साल सर चार्ज लगाया है उसको वह वापस ले और आज सदन में उसकी घोषणा करे। नहीं तो जनसंघ तो अपनी घोषणा कर ही चुका है, वह आन्दोलन करेगा।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि गांव में आज एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। सरकार ने घोषणा की थी गांव समाज की भूमि के बारे में कि वहां सहकारी खेती होगी। इससे लोगों का मन खेती में नहीं लग रहा है। सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि सहकारी खेती नहीं होगी ताकि लोगों का मन खेती में लगे।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय माल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने बड़े गौर से, कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय भीखालाल जी का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार सम्बन्धी कोई योजना नहीं बनायी गयी। मैं समझता था कि उनकी तरफ से उसके लिये कोई स्पष्ट सुझाव हमारे सामने आयेगा, मगर मुझे बड़ी निराशा हुई कि उसके पूरे भाषण में ऐसा कोई सुझाव नहीं आया। एक बड़े आश्चर्य की बात उन्होंने रिफार्म्स कमेटी के आधार पर इंटरमीडियरीज को खत्म करने के सम्बन्ध में कही। श्रीमन्, कांग्रेस सरकार ने जमींदारी एबालीशन करके अपने वादे को पूरा किया और सब से पहला काम यह किया कि उसने इन्टरमीडियरीज को समाप्त किया। छोटे बड़े किसान हो सकते हैं, उनमें विषमता हो सकती है, एक जमींदार खुद काश्त कर सकता है

[श्री रामलखन शुक्ल]

लेकिन काश्तकार और सरकार के बीच में अगर कोई और डील करता है, ऐसा अगर कोई जन्तु है, अगर आप ऐसा कोई इन्टरमीडियरी बताते हैं तो हम एक मत से कहेंगे कि उसको तुरन्त ही समाप्त होना चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई स्थिति इस समय नहीं है और कोई भी इन्टरमिडियरी नहीं है जो छोटे काश्तकार और सरकार के बीच में दलाली का कार्य करता हो। केवल विशेष परिस्थितियों में किसी दूसरे को जमीन जोतने के लिये देने का नियम है वरना वह जमीन शिकमी को चली जायगी। जहां तक लैंड डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है उसमें भी सरकार ने कार्य किया है। उसके लिये भी कानून बनाया गया। इस ओर भी क्रान्तिकारी कदम उठा कर सरकार ने लैंड डिस्ट्रिब्यूशन का एक सहज मार्ग खोल दिया है। इसके लिये सरकार ने ३० एकड़ का प्रतिबन्ध लगाया और छोटे किसानों के लिये कब्जे की मान्यता सरकार ने दी। सरकार ने ग्राम सभाओं की जमीन की व्यवस्था करने की ओर भी कदम उठाया और उसके लिये तहसीलदार और ग्राम समाज के प्रधान की सम्मिलित जिम्मेदारी ठहरायी। यह दूसरी बात है कि कुछ जगह उसका मिसयूज हुआ हो। सरकार ने जिस सिद्धान्त का ऐलान किया था कि वह काश्तकार की भलाई के लिये कार्य करेगी, उसके अनुसार उसने कार्य किया है, उस नीति का पालन किया है।

एक बात यह भी कही गयी कि किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। यह सभी जानते है और मानते हैं कि गल्ले के भाव कम नहीं हुए हैं, बढ़े हैं। जब गल्ले के भाव महंगे हुए हैं तो किसानों की आमदनी बढ़ी है अन्यथा यह मानना पड़ेगा कि गल्ले के भाव गिरे हैं। परस्पर विरोधी बात नहीं कही जा सकती कि एक ओर तो हम कहें कि गल्ले के भाव बढ़े हैं और दूसरी ओर कहें कि किसानों की आमदनी घटी है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

किसानों के उपयोग में आने वाली चीजों के घटे हैं या बढ़े हैं। अगर बढ़े हैं तो किस अनुपात में बढ़े हैं।

श्री रामलखन शुक्ल—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सिम्पिल लाजिक है कि या तो यह मानिये कि गल्ले के भाव बढ़े हैं तो आप को मानना पड़ेगा कि किसानों की आमदनी बढ़ी है और अगर आप यह मानते हैं कि किसानों की आमदनी घटी है तो आपको मानना होगा कि गल्ले के भाव घटे हैं। यह आप नहीं मान सकते कि गल्ले के दाम तो बढ़े हैं लेकिन किसानों की आमदनी घटी है। यह बात दूसरी है कि छोटे किसानों को कोई लाभ न हुआ हो। लेकिन जिनके पास गल्ला अपने इस्तेमाल से अधिक था उनकी आमदनी बढ़ी है। इस तथ्य से आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं।

एक बात बहुत जोर से कही गयी कि जो सवाया लगान है उसको हटाया जाय। इस सदन में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की लड़ाई के समय आपातिक अधिभार लगाया गया था। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि ताशकन्द का समझौता गलत हुआ है, हाजीपीर पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया है, पाकिस्तान फिर गड़बड़ कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कह दिया जाता है कि आपातिक अधिभार की अब जरूरत नहीं है क्योंकि इमरजेंसी अब खत्म हो गयी है। इन परस्पर विरोधी बातों के कहने से काम चलने वाला नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से अलोकप्रियता का खतरा मोल लेकर भी यह कह देना चाहता हूं कि किसानों का यह कर्तव्य है कि वह इस आपदकाल में सरकार की मदद करें और देश की रक्षा में योगदान दें। क्योंकि हमारे और रिसोर्सेज तो हैं नहीं क्योंकि हम इनकम टैक्स और सेलसटैक्स तो लगा नहीं सकते हैं, वह तो केन्द्रीय सरकार का काम है, हमारा तो मेन रिसोर्स ही कृषि है। इसलिये मैं निर्भीकता से कहता हूं कि अगर हमें देश का निर्माण करना है और उसकी सुरक्षा करनी है तो हमें इस कार्य में किसानों को अपना साझीदार बनाना ही होगा। किसान कभी भी यह बरदाश्त नहीं कर सकता कि कोई यह कह कि किसानों ने देश के ऐसे समय में साथ नहीं दिया था।

यह आपदकाल है और किसानों का यह कर्तव्य है कि वे इसमें हिस्सा लें। देश की सुरक्षा के काम में किसानों के लिये भी योग का अवसर है और भागी बनना चाहिये। इसमें कोई एतराज की बात नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करूंगा। संयोग से हमारे खाद्य मंत्री जी अभाव की पूर्ति के भी मंत्री हैं और अनेक अवसर आते हैं जब कि बाढ़ और सूखे से हमारा क्षेत्र ग्रस्त हो जाता है और हम आपके पास दौड़ते हैं और आप सहायता भी करते हैं लेकिन इस समस्या का मौलिक हल है कि प्रकृति के प्रकोप से जो प्रहार होता है उस से बचाने के लिये एक कमीशन की अलग से नियुक्ति करें और वह यह देखें कि किस तरह से उस संकट से लोगों को बचाया जाय। इस तरह से निश्चित रूप से प्रकृति के प्रकोप के विरुद्ध जनता की सहायता हो सकती है।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि हमारे यहां गोरखपुर के कमिश्नर ने जहां तक हमारी जानकारी है एक ऐसा सरकुलर निकाल दिया है कि जो लगान में छूट दे रखी थी गत वर्ष से पहले की बाढ़ में उसकी वसूली का काम शुरू कर दिया जाय और वह वसूली आरम्भ हो गई है। यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। मैं चाहता हूं कि उस वसूली को आज की दशा में रोकने के लिये अविलम्ब कदम उठाया जाय और फौरन वह बन्द की जाय। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की तरफ से पेश हुआ है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। बड़े इतमीनान के साथ मैंने श्री रामलखन शुक्ल के भाषण को सुना। वह बहुत पहले के समाजवादी हैं। हमें आशा नहीं थी कि थोड़े दिन में ही कांग्रेसी होने के बाद उन की रीति नीति इतनी बदल जायगी। हमें बड़ी चिन्ता होती है कि उधर जाने से आत्मा कैसे बदल जाती है। बड़ी चर्चा की गई कि इस सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कर दिया और उससे किसानों को बड़ा भारी लाभ हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितना लाभ उनको हुआ है, क्या लगान कम हो गया या जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन मिल गई? यह कुछ भी नहीं हुआ। और नहीं तो उन्होंने ताशकन्द समझौते की चर्चा कर दिया कि सुरक्षा अभी बाकी है। सेना वापस हो गई समझौते के बाद और सब ठीक हो रहा है वह आप देख रहे हैं, पूरे देश में किसी सूबे में लगान नहीं बढ़ा और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के नाम पर साढ़े सात करोड़ किसानों पर थोप दिया गया, यह चार आने की बढ़ोत्तरी सरकार ने थोप दी और सरकारी कर्मचारियों ने वह वसूल भी करना आरम्भ कर दिया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जल्द से जल्द संशोधन लाकर ऐक्ट को संशोधित करें और यह कर वापस लें ताकि किसान अधिक अन्न उपजाने में इस धन को लगा सके। यह किसानों की आवाज है। दूसरे सीलिंग का कानून बनाया गया लेकिन किसानों को उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ इसको हमें देखना चाहिये माननीय रामलखन जी ने बड़ी तारीफ की लेकिन इस सीलिंग से किस को क्या मिला? जितने बड़े जमींदार थे जिनके पास काफी सीर खुदकाश्त थी वह सब अपने चाचा, चाची, भाई, भतीजों के नाम पहले से बांट दी गयी और किसानों को जिनके पास भूमि नहीं थी, एक इंच भी जमीन नहीं मिली। मंत्री जी के जो लेखपाल से लेकर कलेक्टर कमिश्नर तक के लोग हैं यह सब तो अब अहा हो गये हैं। बड़ी ईमानदारी से वह काम करते हैं, ईमानदारी की यह हद है कि इन्तखाब के लिये २० रुपया लेखपाल को, २० रुपया कानूनगो को और तहसीलदार को और भी ज्यादा चाहिये। इस तरह से आपके विभाग की हालत है। सभी कर्मचारी रिश्वत पर तुले हुए हैं और किसान को जर्जर कर दिया है। जो जमीनें आपने सड़क या रलवे लाइन के लिए ली हैं, उनके लिए न तो कोई मुआवजा ही किसान को मिल पाया है और उल्टे उससे मालगुजारी वसूल हो रही है। एक मिसाल में सुरेन्द्र सिंह मजीठिया जी की देता हूं जिन्होंने गन्ना मिल में ले जाने के लिए

[श्री बांकेलाल]

अपनी रेलवे लाइन के लिये काश्तकारों की जमीन ले ली है लेकिन मुआविजा देना तो दूर रहा, उल्टे किसानों से लगान वसूल हो रहा है। इसी तरह से एक सड़क हाता से कैप्टेनगंज के लिए बनायी गयी थी, उस सड़क के लिए जो जमीन ली गयी थी, उसके लिए भी किसानों से मालगुजारी वसूल हो रही है। उन्हें कोई मुआविजा नहीं दिया गया है।

दूसरी बात यह है कि आज तक किसानों की नवइयत तक दुरुस्त नहीं हुई है। उनके बाप की मृत्यु हो गयी है लेकिन उनके वारसान के नाम कागजातों में नहीं हैं। पटवारी खूब रिश्वतें मांगते हैं। हमारे इलाके में घोघरा, गोदरवार और प्रवरही गांव हैं वहां पर जमीन काश्तकारों को पट्टे पर दी जाती है। जैसे एक परिवार में ३ भाई होते हैं तो पट्टा एक भाई के ही नाम पर होता है। तीनों भाई जोतते बोते थे लेकिन अब यह हो रहा है कि जिसके नाम पट्टा लिखा हुआ है, वह अब अपने किसी भाई को जमीन जोतने के लिए नहीं देता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन व्यक्तियों के नाम छूट गये हैं, उनके नाम भी खाते में इन्द्राज करा दिए जावें।

चकबन्दी के बारे में माननीय शुक्ल जी ने बड़ी तारीफ की है। मैं भी कहता हूं कि चकबन्दी बड़ी अच्छी चीज है लेकिन वह यदि ईमानदारी से हो तभी ठीक है लेकिन आज वह ईमानदारी से नहीं हो रही है। आपके जो अफसर लोग जाते हैं वे रिश्वत ले रहे हैं। अभी तक मेरे इलाके में नवइयत तक नहीं दुरुस्त हुआ है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं जानना चाहता हूं कि यह "नवाइदा" शब्द क्या है?

श्री बांकेलाल---

"नवइय्यत" शब्द है मेरा मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का बाप मर गया हो, उसके वारिस का नाम खाते में दर्ज नहीं हुआ है उनका नाम दर्ज कर दिया जाय।

दूसरी बात मुझे कहनी है वह यह है कि एक आदमी के नाम पट्टा लिखा था राजा साहब ने। उन खेतों को जोत तो रहे हैं कई आदमी लेकिन जिसके नाम से पट्टे हैं वह कोशिश करता है कि सबके हिस्से की जमीन हम जोत लें क्योंकि खाते में हमारा नाम है। जहां तक चकबन्दी का सवाल जैसा कि मैंने अभी कहा, कोई बुरी चीज नहीं है। मैं उसका विरोध नहीं करता लेकिन वह अच्छी तभी है जब कि ईमानदारी से काम करें।

अन्त में मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि आप बढ़ती लगान को वापिस कर लें। इस के लिए किसान आप से बहुत आशा लगाये बैठे हैं। आज प्रदेश में पहले जो लगान था उस से भी इस बढ़ती के भार से ६-७ करोड़ बढ़ गया है। पहले यह २४ करोड़ के करीब था। यह अब लगभग ३१ करोड़ हो गया है। लगान बढ़ा है। और आप ने जो कब्जा लेने के लिए काश्तकारों को, बर्ग नब लगा दिया है, इसकी रोक थाम कीजिये वरना बड़ा झमेला पैदा हो रहा है। बर्ग नब कानूनगो लिख कर के लोगों को तबाह कर रहा है।

दूसरी चीज यह है कि मुद्दत से जो काश्तकार खेत जोतता चला आ रहा है तो ४ साल का झिकमी केवल उस का है, उस का नाम खाते में दर्ज नहीं हो रहा है। इस पर भी आप को गौर करना चाहिये। आप ने कहा किसान इस वक्त फायदे में है पर वह हमेशा नुकसान में है। इस लिए कि चीजों का जो दाम निर्धारित किया जाता है वह श्रम के मुताबिक नहीं किया जाता है। मैं कहता हूं कि जब सीमेंट, मिट्टी का तेल, कपड़ा लोहा, किसान के काम आने वाली सब चीजें महंगी हैं, तो गेहूं अपने आप ही महंगा होगा। अन्न इसलिए भी महंगा है कि-पैदा ज्यादा नहीं होता। माननीय सिंचाई और कृषि मन्त्री की कमी है, क्योंकि जहां पानी देना चाहिए वहां पानी नहीं पहुंचा पाते हैं इसलिए अन्न की कमी है और इसीलिए अन्न महंगा हो गया

है। अब कमी रहेगी तो विदेशों में सुचेता जी और इंदिरा जी को आंचल फैलाना पड़ेगा खाने के लिए। यह तो आप की ज्यादती है और इसलिए कि जमीन का बटवारा अगर आप कर दें ढंग से और उन को दे दें जिन के पास ताकत है तो अन्न संकट दूर हो जाय। लेकिन खेती तो है हुकुम सिंह जी के पास जो सावां और कोदों नहीं पहचानते, और जोतेंगे ४०० एकड़। राम-मूर्ति जी जोतेंगे या जितने कांग्रेस में बैठे हैं सभी बड़ी जोतें जोतते हैं फिर कैसे ये लोग बटवारे वाले कानून को पसन्द करेंगे? ये कभी नहीं पसन्द करेंगे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कहती है धरती को उस के हाथ में दो जिस के हाथ में ताकत है, जो अन्न पैदा कर सकता है। गरीबों को धरती दो और अलाभकर जोत वाले जितने काश्तकार हैं उनके ऊपर से लगान हटाओ तब अन्न बढ़ेगा। इसलिए मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह इस तरफ ध्यान दें कि चवन्निया लगान जल्दी से जल्दी वापस कर लें नहीं तो इस के विरोध में बड़ा भारी आन्दोलन छिड़ेगा और आप के दरवाजे पर धरना देंगे हम लोग। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय माल मन्त्री के जरिये जो ग्रान्ट्स पेश की गयी हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव माननीय भोखा लाल जी ने पेश किया है उसका विरोध करता हूं। उन्होंने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये जो दलीलें दीं मैं ऐसा समझता था कि अगर वें कुछ मौलिक सुझाव रखते इस प्रस्ताव को पेश करते हुये कि लैण्ड रिफार्म्स में, आराजियात के रिफार्म्स में किन-किन चीजों की जरूरत है तो मेरा खयाल यह है कि शायद ज्यादा अच्छा होता। लैण्ड रिफार्म्स के सिलसिले में उन्होंने कह दिया कि कोई लैण्ड रिफार्म्स नहीं हुये और फिर उस के बाद ही उन्होंने जमींदारी अबालिशन, लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट और चकबन्दी का तसफिरा किया। सीलिंग और सी० एल० आर० डी० का तसफिरा आया। मैं नहीं समझ सका कि ये सारे के सारे कानून आखिर किस मर्ज की दवा थे। क्या उनका मंशा, और मकसद आराजियात का सुधार नहीं था? लैन्ड रिफार्म्स कहीं का नहीं है? यह अलग बात है इन कानूनों को जिस तौर पर बरता गया, उनमें किसी तरह की खामियां रहीं। इन कानूनों के इम्पिलीमेंटेशन में कोताही और गलतियां रहीं। मैं इस वजह से उस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने जिले की कुछ खास समस्याओं की और माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्नाव जिला गंगा के किनारे लम्बा फैला है। दो तीन साल से कानपुर और उन्नाव जिले में गंगा का रुख तबाही की ओर हो गया है। उसके कारण उन्नाव के सैकड़ों गांव की जमीन गंगा के पेटे में समा गयी है और दूसरी ओर कानपुर के लिए पानी तथा बिजली की समस्या पैदा हो गयी है। उन्नाव जिले के गरीब काश्तकार जो गंगा के किनारे आराजियात जोतते थे और अपनी जिन्दगी के साधन मुहैया करते थे उन के सामने अब प्रश्न यह पैदा हो गया है कि वह अपनी जिन्दगी कैसे गुजारें। शास्त्री जी वहां गये और सब भी की, लेकिन अब सवाल इतना है कि जो लोग इस कटान के पहले उन आराजियात को जोतते थे, स्टेट लेबिल पर ऐसे अहकामात सरकार जारी करे कि उन्हीं को वे दी जायं। बस्ती और देवरिया जिले में इस तरह की समस्या हल हो गयी और माननीय मन्त्री जी यहां भी इस समस्या का हल निकालेंगे।

दूसरी सी० एल० आर० डी० का मसला है। सन् ५४ से ६२ फसली से अधिवासियों को सीरदारी के अख्तियारात दिये गये और उस वक्त से उनके कागजात बनने शुरू हुए। मालूम यह हुआ कि सन् ५४ से सी० एल० आर० डी० का रुपया न वसूल कर के २, ४ साल पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जियाउर्रहमान]

से वसूल किया जा रहा है और बाकायदा उज्रदारी की गयी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। यह माना हुआ कानून है कि लैन्ड रेवेन्यू के एसेसमेंट के वक्त हम को ज्यादा उदार होना चाहिये और लोगों की उज्रदारी सुननी चाहिये। एक मर्तबा एसेसमेंट होने के बाद उस की वसूली में कोई कोताही न हो, लेकिन उनको ठीक से सुना भी न जाय, यह कहां तक उचित है? हुआ यह है कि जो लगान ५९ फसली में था उस को सी० एल० आर० डी०में दूना कर दिया गया है, एक आदेश निकाला कि इन समस्याओं का हल होना चाहिये। बिला वजह काश्तकारों को टैक्स किया जा रहा है वह नहीं होना चाहिये। इससे न केवल समाधान होगा बल्कि एक जनप्रिय सरकार के लिए यह जरूरी कदम है जिसे उसको उठाना चाहिये।

एक चकबन्दी की समस्या है। मैं चकबन्दी की शिकायतों में जाना नहीं चाहता हूं जो यहां पर होती हैं। हमें अपने दिलों को टटोलना चाहिये कि हमारा किस तरह का है और अपने जाती मफाद के लिए उसका कहां तक इस्तेमाल किया है। इसलिए मैं इन शिकायतों में जाना नहीं चाहता हूं। मेरे जिले में चकबन्दी की एक खास शिकायत है। चाहे वह किसी गलती की वजह से हो या किसी भी वजह से हो लेकिन वह यह है कि हमारे यहां सफीपुर तहसील में गूलों का जिन के जरिये खेतों में पानी पहुंचता था, तथा चकरोड्स का प्राविजन नहीं हो पाया है, जिस से काश्तकारों को बड़ी मुसीबतें है। हमारे सामने जब यह समस्या आयी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इरिगेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया कि इस समस्या का हल निकाला जाय। लेकिन दोनों डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे पर टालते हैं और कहते हैं कि गूल बनाना हमारा काम नहीं है। इस तरफ आप को तवज्जह देना चाहिये। यह मोटी मोटी समस्यायें हैं।

*श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

अधिष्ठाता महोदय, आज आप ने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। जहां तक हमारे प्रदेश में किसानों का और जमीन का सवाल है यह बड़ा भारी सवाल है। चकबन्दी हमारे प्रदेश में १९५४ से शुरू हुई और अभी तक चल रही है। इस से किसानों का बड़ा फायदा हो सकता है और हुआ है। लेकिन कुछ कारणवश, कुछ कार्यकर्त्ताओं की वजह से और व्यक्तिगत प्रलोभनों की वजह से उनका नुकसान रहा। यह सरकार की स्कीम है और बहुत अच्छी स्कीम है लेकिन इसमें भी बड़ी गड़बड़ी हुई। न सब को ईमानदार कहा जा सकता है और न सब को बेईमान कहा जा सकता है। चकबन्दी से पैदावार बढ़ सकती है। लेकिन जिस आदमी का अच्छा खेत ले लिया जाय और बुरा चक मिले तो उस को दुख होगा ही, क्योंकि अपनी चीज हर एक को अच्छी लगती है। इसलिए उसने शिकायत की, लेकिन वह महत्व नहीं रखती। जब तक कटौती का काम नहीं होगा, चक नहीं बन सकते हैं। इस में २४ हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं और सभी अस्थायी हैं। केवल एस० ओ० सी० कमीशन के अन्तर्गत आता है और बाकी सी० ओ० ए० सी० ओ, लेखपाल, कानूनगो, आदि सभी अस्थायी हैं और एक माह के नोटिस पर अलग किये जा सकते हैं। जब आदमी को अपनी नौकरी का पता नहीं तो वह क्या काम करेगा यह सोचा जा सकता है। वह समझेगा कि नौकरी का पता नहीं है इसलिए कर ले काम भज ले राम। बेईमानी का एक कारण यह भी हो सकता है। उन लोगों को पता नहीं कि उन को कब नौकरी से अलग कर दिया जाय क्योंकि यह आप के हाथ में होता है। तो जो बेईमानी करते हैं वह जायज करते हैं। उनको कर लेना चाहिये, क्योंकि उन की नौकरी का ठिकाना नहीं। कहते हैं कि बेईमान हैं तो बेईमानी कर लेनी चाहिये। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि पांच साल तक जो यहां चकबन्दी में काम करेंगे उन को मुस्तकिल कर दिया जायगा। पता नहीं क्या हुआ ? मान लीजिये सी० ओ०, ए० सी० ओ० बेईमान हैं, लेकिन दफ्तर में करीब-करीब १०० आदमी बैठे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुये हैं कम से कम उनको मुस्तकिल कर देना चाहिये। यह तो बेईमानी करने के लिए खेत पर नहीं जाते ? उन के पास लखनऊ में रहने का ठिकाना नहीं है। खानाबदोश की तरह हैं।

दूसरी बात यहां तहसीलदारों का सवाल है। मैं जिला मैनपुरी की बात बता रहा हूं। शिकोहाबाद में जो तहसीलदार हैं शायद वह डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं, उनका रवइया बड़ा गलत है। मैं कहना नहीं चाहता था वह मोहमडन हैं। मैं उनसे एक बार मिला उन्होंने बड़ी कटुता की बात कही। पाकिस्तान बनने के पहिले की बात है। गांव के बाहर पाकिस्तान बना हुआ था। बाद में लोगों ने गांव के अन्दर कबरें डाल दीं। जब पाकिस्तान का मामला शुरू हुआ तो झगड़ा चलता रहा। जब चकबन्दी हुई तो उसके बदले चक गांव के बाहर दे दिया गया इसलिए कि कबरिस्तान गांव के अन्दर नहीं होना चाहिये। तहसीलदार साहब आये। लोगों ने उनकी शिकायतें कीं। उस बीच में जब में उन से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मैं वह मुसलमान हूं जिस ने हिन्दुओं के खून से मसजिदें चुनवा दी हैं।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

कौन तहसीलदार ?

श्री रामसिंह (मैनपुरी)—

शिकोहाबाद में हैं आज कल।

इतना अभद्र व्यवहार किया उन्होंने। इनके खिलाफ लोगों ने शिकायतें कीं, पता नहीं क्या हुआ उनका। कुछ नहीं हो सका। आज चकबन्दी चलते चलते बारह साल हो गये। सी० ओ०, ए० सी० ओ० अगर बारह साल का कब्जा लिख देते हैं तो वह पक्का मान लिया जाता है, लेकिन उन के बारह साल काम करने के बाद कुछ नहीं हो सका। सी० ओ, ए० सी० ओ० का रिंग मास्टर एस० ओ० सी० बैठा हुआ है। जैसे रिंग मास्टर घोड़े को सरकस में नचाता है वैसे ही वह उनको नचाता है।

श्री बांके लाल जी ने एक बात कह दी कि कमिश्नर, लखपाल भ्रष्ट हैं। मैं यह बुरी बात समझता हूं। यह बात सही है कि लेखपाल २० रुपया ले लेता है। लेकिन लेखपाल कमिश्नर के बराबर नहीं होते (व्यवधान) उनका नाम लेना चाहिये था। दूसरे आदमी को बेईमान बनाना चाहते हैं। उन की ईमानदारी को सारे प्रदेश में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब से वह डिपार्टमेंट में आये हैं इसके ऊपर कम भार हो गया है। इसकी वजह से किसानों को बहुत राहत मिलेगी। तो कम खर्च किया गया, जिस की वजह से किसानों को काफी पैसा मिलता है, काफी बचत किसानों को हो जायगी।

श्रीमन्, में बिलकुल भूमिहीन आदमी हूं। मैं एक अछूत आदमी हूं, इसीलिए शायद मेरे पास कोई जमीन नहीं है। एक बीघा भी जमीन मेरे पास नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अब मिल जायगी।

श्री रामसिंह (मैनपुरी)—

कोई नहीं देता है, एक बीघा भी जमीन देने को कोई तैयार नहीं है। श्रीमन्, जहां तक चकबन्दी का सवाल है, जहां पर हो चुकी है, वहां पर लोगों के कुएं बने हुये हैं, पेड़ खड़े हैं लेकिन उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। मेरे जिले की एक शिकायत है जिसे मैं आप के सामने पेश करना चाहता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उसे तो मेरे पास भेज दीजियेगा।

श्री रामसिंह (मैनपुरी)—

भेज तो दूंगा, लेकिन यहां पर भी बता दूं। एक जैदी साहब हमारे यहां ए० सी० ओ० साहब हैं, मैनपुरी जिले में—

श्री अधिष्ठाता—

उनका नाम मत लीजिये।

श्री रामसिंह (मैनपुरी)—

अब तो उनका नाम खोल चुका हूं। जैदी साहब से वहां के लोगों को काफी शिकायतें थीं, जिनकी रिपोर्ट की गयी तो अब उनका ट्रांस्फर हो गया।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं राजस्व विभाग के वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के अनुदानों का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताबों का विरोध करता हूं। मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुये माननीय भीखालाल जी ने जिन ख्यालात का इजहार किया है, जिस तरह से उन्होंने कहा, उस से यह स्पष्ट है कि वह इस विभाग की खामियां निकालने में ज्यादा सफल नहीं रहे और यह विभाग सुचारु रूप से चल रहा है। उन्होंने ने जो टीका की, उन्होंने जो आलोचना की वह ऐसे अल्फाज म हैं जिस से यह साफ जाहिर होता था, मान्यवर, जहां तक राजस्व विभाग का ताल्लुक है, यह विभाग आज भूमि सुधार के लिए सारे भारतवर्ष में अपना जवाब नहीं रखता। आजादी की लड़ाई लड़ी गयी, उसमें भूमि सुधार को एक आब्जेक्ट बनाया गया। जमींदारों और तालुकेदारों ने जो किसानों के साथ जुल्म किया था और जिससे किसान पीड़ित थे, आजादी की भावना के साथ साथ किसानों में एक यह भी भावना पैदा हुई है कि उस जुल्म के जुवे को उतार कर अपने कंधों से फेंक दें। तो आजादी की लड़ाई के साथ-साथ भूमि सुधार की लड़ाई भी लड़ी गयी और उस में हमें सफलता मिली। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में जो वायदे जनता से किये थे, उसे उसने पूरा किया।

माननीय भीखालाल जी ने स्वयं इसे स्वीकार किया है कि तीन बड़े-बड़े भूमि सुधार के कानून आये। जमींदारी व्यवस्था खत्म की गयी, यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह एक बहुत बड़ी बात थी, एक क्रान्तिकारी कदम था। इस से प्रदेश के लाखों किसानों को कितनी बड़ी राहत मिली, वह उस भूमि के मालिक बन गये, जिस को स्वयं वह जोतते थे। इस के बाद जब यह देखा गया कि बहुत संख्या में बड़े जमींदारों के पास बड़ी मात्रा में जमीनें हैं, जिसका वह सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिस का वह सही प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं और इस के अलावा बहुत से भूमिहीन किसान खेती के इच्छुक पड़े हुये हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है और वह जोतने को जमीन चाहते हैं, तो सरकार ने जोत चकबन्दी कानून लागू कर दिया। उस के साथ यह भी किया गया कि कोई शख्स ज्यादा जमीन खरीद नहीं सकता। साढ़े बाहर एकड़ से ज्यादा कोई जमीन खरीद नहीं सकता। जिस के पास जमीन नहीं है, यदि वह खरीदे तो भी वह साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद नहीं सकता। इसके लिए सीमा मुकर्रर की गयी है। इसके अलावा चकबन्दी से कृषि उत्पादन के अन्दर जो बढ़ोत्तरी होगी, और हो रही है, उसका जवाब नहीं है। तो कैसे कहा जा सकता है कि राजस्व विभाग किसी से पीछे है। इस प्रदेश के राजस्व विभाग को सारे भारत वर्ष में फख्र की निगाह से देखा जा सकता है और उस को फालो करने की कोशिश की भी जाती है। उन्होंने कहा कि उस में खामियां हैं जिस की वजह से खाद्योत्पादन में कमी हुई है। लेकिन वह इस चीज को स्पष्ट नहीं कर सके कि क्या खामियां हैं।

उन्होंने साझेदारी को लेकर बड़ी आलोचना की। उन्होंने शायद यह कहा कि वे किसान हैं लेकिन शायद उनको यह पता नहीं है कि उस साझेदारी की बिना पर ही खेतिहर मजदूर अपना पेट पालता है। किसान मक्का बोकर खेतिहर मजदूर को दे देते हैं कि तुम निराई करो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और वह उस की रखवाली करता है। अगर साझेदारी को खत्म कर दिया जाय तो खेतिहर मजदूर, उसकी बीवी, उस के बच्चे और उस के परिवार के दूसरे लोगों की रोजी छिन जायगी। जिस समय खेत कट जाता है तो उन्हें काफी मात्रा में गल्ला प्राप्त हो जाता है और वह सुविधा साझेदारी के खत्म होने से खत्म हो जायगी। गन्ने की खेती में अक्सर यह किया जाता है कि गन्ने को बोकर लोग मजदूरों को देते हैं और वह सारे साल खुदाई करता है, पानी देता है। तो यह तो बहुत अच्छा तरीका है। मैं समझता हूं कि इस को निगाह में रखा जायगा और अगर साझेदारी को खत्म कर दिया जायगा तो मैं सही कहता हूं कि उससे खेतिहर मजदूर में असन्तोष होगा और किसान उसको साझे पर जमीन नहीं देगा क्योंकि उस से यह होगा कि जल्दी से बेदखल हो जायेंगे और इससे खेतिहर मजदूरों की जो उन्नति हो रही है उसको समाप्त न करके उसको रहने दिया जाय। हर बड़े किसान और छोटे किसान इसको करने में अपना लाभ समझते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मुमताज साहब, आप बांकेलाल जी को एक बार देख लीजिये, नहीं तो बेचैनी बनी रहेगी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं इस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि तहसीलें जब बनाई गई थीं तब समस्यायें दूसरी थीं। उनका डिलिमिटेशन होना बहुत आवश्यक था। आज अगर आप देखिये तो बहुत सी तहसीलों के क्षेत्र ऐसे हैं जहां उनका कोई न कोई तहसील में न हो कर दूसरी तहसील में चला गया है और वह हिस्सा तहसील के हेडक्वार्टर से नजदीक है लेकिन वहां कोई यातायात की सुविधा नहीं है। इसलिये डिलिमिटेशन होना आवश्यक है। इसके अलावा मैं यह समझता हूं कि जो विकास खंड हैं उनको राजस्व की प्रशासनिक इकाई बनाया जाना चाहिये। इससे उनको लाभ हो सकता है। अगर विकास खंड की एक विकास इकाई बना दी जाय तो इससे तहसील का ताल्लुक बेहतर हो जायगा और राजस्व प्रशासन में सतर्कता उत्पन्न होगी।

मान्यवर, इसके साथ साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि लेखपाल और पंचायत मंत्री का एकीकरण करा देना चाहिये। इससे भी एक लाभ हो सकता है। पंचायत सेक्रेटरी अलग और लेखपाल अलग यह कुछ अच्छा नहीं लगता। दो-दो व्यक्ति हों और एक पंचायत का और दूसरा राजस्व का काम करे तो यह कुछ अच्छा नहीं मालूम होता है। इसलिये इनका एकीकरण कर देना चाहिये। एक बात और आप से निवेदन करूं जिसको देख कर मुझे दुख हुआ। मैं मेरठ जिले के अन्दर गया तो वहां पर लोगों ने मुझे दिखाया कि बहुत ही जरखेज जमीन एक्वायर कर ली गई मोदी की किसी फैक्टरी के लिये। वहां पर बड़ी हरी भरी खेती खड़ी थी और सिंचाई का भी वहां पर साधन उपलब्ध था और काफी वह रकबा था। सड़क की दूसरी तरफ कल्लर की जमीन पड़ी थी जिसके अन्दर फैक्टरी लगाई जा सकती थी पर उसको नहीं लिया गया।

*श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस राजस्व विभाग का किसानों से विशेष सम्बन्ध है। सही पूछा जाय तो किसानों का इस विभाग से बहुत ही नजदीक सम्बन्ध है। यह अतिशयोक्ति न होगी अगर यह कहा जाय कि इस विभाग ने किसानों के हित में बहुत काम किया है। राजस्व विभाग ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी समाप्त करके एक अनुकरणीय काम किया है। दूसरा सराहनीय कार्य यह किया है किसानों के हित में कि सरकार ने चकबन्दी की। मैं इन दोनों कार्यों की प्रशंसा करता हूं। चकबन्दी का कार्य ऐसा है जिसमें भलाई के साथ साथ कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकिशोर वर्मा]

गड़बड़ भी होती है । यदि यह सही भी हो लेकिन इसको मैं ज्यादा महत्व न देते हुए यह निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसी योजना थी जिससे प्रदेश के प्रत्येक किसान को, जहां पर चकबन्दी लागू हुई है, लाभ हुआ है। उससे उत्पादन भी बढ़ा और एक विशेष बल और प्रेरणा किसानों को उससे मिली लेकिन कुछ काम ऐसे हुए जिनसे किसानों का न तो फायदा हुआ और न उससे इस विभाग को कोई आमदनी ही हुई । आप देखें कि सरकार ने एक अधिकतम जोत सीमा आरोपण कानून पास किया जिसमें यह कहा गया कि जिनके पास ज्यादा जमीन है, उसमें से एक निश्चित मात्रा उनके पास रखकर जो अधिक जमीन निकलेगी वह ले ली जायगी । उसका परिणाम यह हुआ कि जिनके पास ज्यादा जमीन थी, होशियार किस्म के आदमी थे उन्होंने जब यह कानून इस सदन में मौजूद था तो अपनी सारी जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में अपने परिवार के सदस्यों के नाम, अपने नौकरों के नाम और अपने सगे सम्बन्धियों के नाम लिख दी । दूसरी तरफ सरकार ने उनके लिये यह छूट दे दी कि जितनी जमीन उनके पास है और उनके अधिकार में है अगर उससे अधिक उनके परिवार के दूसरे सदस्य जमीन लेना चाहें तो इसमें कोई रुकावट नहीं है । जिनके पास कम जमीन थी उनको यह सुविधा दी कि वह १२॥ एकड़ जमीन अपने पास रख सकते हैं । कम जिनके पास हो वे इतनी कर सकते हैं जिससे १२॥ एकड़ हो जाय । यह समाजवाद इनकी तरफ से बरता गया जो मेरी समझ में नहीं आया । सरकार को इस पर विचार करना चाहिये और नीति में परिवर्तन करना चाहिये । जिन लोगों ने गलत तरीके से चोरी से अपनी जमीन अपने परिवार वालों के नाम कर दी इसकी एक जांच होनी चाहिये दृढ़ता के साथ और उस जमीन को निकालकर सरकार को उस पर कब्जा करना चाहिये जिससे प्रदेश के गरीबों को जमीन देकर उनका हित किया जा सके, उनको काम मिल सके और रोजी मिल सके । अब मान्यवर, जमींदारी उन्मूलन हुआ । अच्छा कार्य हुआ, प्रशंसनीय था । आशायें बहुत थीं किसानों को और वह पूरी हुई । पंचायतें बनाई गईं और उन को जमींदारों के अधिकार प्रदान किये गये । लेकिन दो एक बातें ऐसी हैं कि जिन के कारण आज का किसान परेशान है । यह कहा गया कि बंजर भूमि में जो किसान के पेड़ हैं वे किसान के ही रहेंगे और जो जमींदार के पेड़ हैं वे गांव समाज के हो जायेंगे । लेकिन हुआ इसका उल्टा ही । इस संबंध में मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे गांव समाज के रजिस्टर में किसानों के पेड़ दर्ज कराने की व्यवस्था करें ताकि जो एक अराजकता फैलने की आशंका है वह समाप्त हो सके ।

इस के अतिरिक्त जो चकबन्दी हुई उस से भी बड़ा लाभ हुआ है । उस में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि निकाली गयी है और उस के बाद भी काफी भूमि परती पड़ी हुई है । उस हेतु दिये गये प्रयोजनों का अधिकारी अलग अलग मतलब निकालते हैं । गांव समाज मैनुअल में दी गयी टिप्पणी का लाभ उठा कर ज्यादातर अधिकारी उसे उठाने की परवाह नहीं करते और उसे वह उठाना नहीं चाहते । मैं इस बात को सही मानता हूं कि आज अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता है और कृषि योग्य भूमि पड़ी रहे यह ठीक न होगा । यद्यपि शासन ने एक आदेश जारी कर के दस प्रतिशत के बजाय ८ प्रतिशत ऐसी भूमि छोड़ने को कहा है और यह भी कह दिया कि यदि सुरक्षित भूमि की आवश्यकता नहीं है तो उसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बंधन भी हटा देना चाहिये और जो भूमि कृषि के लिये दी जाय वह आसामी की परिभाषा के अन्तर्गत न दे कर उसे सीरदारी की परिभाषा के अन्तर्गत देना चाहिये । इस से फायदा यह होगा कि एक तो मालगुजारी ज्यादा आयेगी और दूसरे अन्न उत्पादन अधिक होगा और तीसरे जिस जमीन से लाभ नहीं हो रहा है, उस पर अन्न उत्पादन होने लगेगा । आज ऐसी जमीन का लाभ केवल पंचायत प्रधान, अन्य अधिकारी आदि ले लेते हैं । ११५ की कार्यवाही की इस में व्यवस्था है, लेकिन उस में एक भी मुकदमें का निपटारा नहीं होता । प्रधान को मुकदमा लड़ने से कोई लाभ नहीं होता । तो इस तरह इस सारी जमीन को उठाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये । आज की स्थिति में इस का बेकार पड़े रहना उपयुक्त न होगा । दूसरे आबादी और खाद के गड्ढों की जमीन छोड़ी गयी । यद्यपि कानून में यह व्यवस्था नहीं है

कि जब तहसील के अधिकारी जायं तभी भूमि का वितरण किया जाय, लेकिन तहसीलदारों ने एक नियम बना रखा है कि जब वे पहुचते हैं तभी जमीन तकसीम की जाती है और अगर जमीन १०० रुपया बिस्वां पर उठायी जाती है तो ९० रुपया आपस में बंट जाता, है और दस रुपया कागज पर चढ़ाया जाता है । बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिन का साबित करना मुश्किल होता है, लेकिन आप किसी भी तहसील को ले लीजिये, कितनी जमीन उठायी गयी और गांव समाज खाते में कितना पैसा आया और वास्तव में किस रेट पर वह उठायी गयी, यह देख लें तो सब स्पष्ट हो जायगा । अगर एक गांव, एक तहसील दिखलवा लें तो पुष्टि हो जायगी । जब कोई सवाल किया जाता है तो उत्तर ऐसा आ जाता है कि कोई जानकारी नहीं है और सरकार की ओर से जो कहा जाता है कि वह सत्य कहा जाता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप स्वयं जांच करवा लीजिये और इसकी उचित व्यवस्था कीजिये ।

यह भी देखने में आ रहा है कि एक किस्म की भूमि के लगान में भी अन्तर है । जिसके पास कम जमीन है उसके पास ज्यादा लगान है और जिसके पास ज्यादा जमीन है उस पर कम लगान है और सबसे कम लगान है जमींदारी की भूमि का । जब जमींदारी खत्म हुई और जमींदारों ने सीर पर कब्जा किया तो उस का लगान सर्किल रेट से बांध दिया गया जो कि अन्य किसानों पर लगे लगान से कई अंश बहुत कम है । यह एक अहम प्रश्न है, सारे प्रदेश के किसानों का और सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे किसान को महसूस हो कि यह जनतंत्रीय सरकार वास्तव में उनकी हितचिन्तक है । हर गांव में भूमि की एक श्रेणी होती है, चौहानी, मंझा, बरहा इत्यादि । हर एक किस्म की भूमि का एक लगान होता है । तो चाहे कम हो या ज्यादा हो लेकिन एक किस्म की जमीन का एक लगान हो, अगर ज्यादा है तो कम होना चाहिये और कम है तो ज्यादा कर दिया जाय । अगर सब मिलाकर घाटा होता है जो हमारे भूतपूर्व जमींदारों की जमीन है उस पर कुछ ज्यादा लगान बढ़ा देना चाहिये जिससे वहां की मालगुजारी में कोई असर न पड़े । इंदराज कब्जे की दुरुस्ती लेखपाल करेगा और पड़ताल करके कानूनगो को रिपोर्ट देगा और कानूनगो मौके पर जाकर चेक करेगा, यह व्यवस्था है । स्वतंत्रता के बाद कानूनगो बढ़ाये नहीं गये, जितने थे उतने ही बने हुये हैं । काम का बोझा इतना डाल दिया गया कि सुरक्षा फंड का काम वह करे, गांव समाज की एक-एक चीज की व्यवस्था कानूनगो करे और दूसरे काम करे तो जितनी कब्जे की रिपोर्ट दी जाती है वह गांव में जाती नहीं है, किसान को बुलाया जाता नहीं । कोई किसान पहुंच गया और जिससे जैसा पैसा मिल गया उसका निपटारा हो गया। यह विचारणीय सवाल है । मैं चाहता हूं यद्यपि उसका सार कुछ भी लिया जाय कि जो पुरानी परम्परा थी कि कोई फार्म होता था उस पर लेखपाल कब्जा लिख देता था और वह किसान को दे देता था । फिर किसान उसकी अपील कर सकता था वही व्यवस्था लागू करनी चाहिये । इस नयी व्यवस्था से रिश्वत शुरू हो गयी है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

*श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने बहुत दिनों के बाद मौका दिया । यह प्रस्तुत अनुदान सीधा किसानों से संबंधित है । सौभाग्य है कि हमारे पुराने नेता ठाकुर साहब जो कि कर्मठ सदस्य और कार्यकर्त्ता रहे हैं, इस वक्त माल मंत्री हैं । किसानों की मूल समस्यायें आपके हाथ में हैं सुलझाने के लिये । यह अनुदान जो प्रस्तुत है उसका सबने समर्थन किया है । हमारे विपक्ष के साथियों ने अपने अपने तरीके से इसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वैजनाथ पांडेय]

आलोचना की, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सरकार ने जो काम किये हैं उससे हम सब को, किसानों को, लाभ हुआ है ।

श्रीमन्, हमारी तहसील में किसानों की कुछ समस्यायें हैं जिनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अपनी तहसील के बारे में मुझे यह निवेदन करना है हमारे यहां पूरी तहसील अवर्षण से ग्रसित है और किसान हर तरह से तबाह हो गया है । मेरा खयाल है कि उन गरीबों की फरियाद आप लोगों तक नहीं आ पाती है । आज वहां के किसानों की हालत यह है कि उनको जिन्दगी बसर करना मुश्किल हो गया है । हमारी हंडिया तहसील के बारे कमिश्नर और जिलाधीश ने भी रिपोर्ट की है । हमने भी आपके सामने दफा ५२ के जरिये वहां की परिस्थिति को रखा है । लेकिन पता नहीं, आपकी जो व्यवस्था सहायता देने के सम्बन्ध में है, उससे उनको लाभ क्यों नहीं पहुंच रहा है । हमारे यहां के लोगों को कोई सहायता नहीं मिली है । वहां १०० फीसदी धान की फसल नष्ट हो गयी, ७० फीसदी बाजरे की फसल नष्ट गयी, लेकिन लगान की फिर भी वसूली जारी है । वहां के किसानों की हालत ऐसी नहीं है कि उनसे लगान वसूल किया जाय । जिस तरह से उन लोगों से लगान वसूल किया जा रहा है वह ठीक नहीं है । मैं चाहता हूं हमारी हंडिया तहसील की सरकार फिर से जांच करवाये ।

सरकार ने पटवारी प्रथा को समाप्त किया, उसके बाद लेखपाल आये । इन्दराज की जो प्रथा पहले थी, वही यह लोग भी अपनाये हुए हैं । बड़ा गलत इन्दराज ये लेखपाल करते हैं । मौके पर बिना जाये, बिना पड़ताल किये ही इन्दराज कर देते हैं । मौजा कुंवर पट्टी परगना खैरागढ़, तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद में एक किसान मर चुका है, उसकी एक बेवा है, अंसारी बिरादरी की, उसके तीन नाबालिग बच्चे हैं, उसके खेत को भगवती प्रसाद लेखपाल ने दूसरे के नाम कर दिया है । दूसरा आदमी उस पर कब्जा किये बैठा है और वह बेवा बेचारी मारी-मारी फिर रही है । उसका मुकदमा भी चल रहा है । एक कांग्रेसी उसकी सहायता भी कर रहा है मगर उसको मारने की फिकर में लोग रहते हैं । सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

एक सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि कानूनगो की पोस्ट बिलकुल बेकार है, इसे खत्म करना चाहिये । लेखपाल और नायब तहसीलदार के बीच काननगो की जरूरत नहीं है । वह सीधे काश्तकारों तक नहीं पहुंच पाता । इस सुझाव पर भी सरकार विचार करने की कृपा करे ।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय.....

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

उनके दल से बांके लाल जी बोल चुके हैं । मुझे इस पर एतराज है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायें, मुझे अधिकार है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

परन्तु अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिये ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मेरा तो इस अनुदान पर बात करने का बिलकुल मन नहीं था पर अभी पार्टी के कोई सदस्य नहीं थे और कुछ चकबन्दी की बात यहां चली तो मुझे भी कुछ बात कहनी पड़ रही है । माननीय शास्त्री जी हंस रहे हैं कि राधेश्याम तुम लिखकर तो दे ही देते हो, बोलोगे क्या ? खैर ।

कांग्रेस सरकार ने जमींदारी खत्म की, हद बन्दी की और १२-१/२ एकड़ से ज्यादा खरीदने की मनाही की । वैसे तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं परन्तु सबसे बड़ी शिकायत हमको इस सरकार से यह रहती है कि अच्छे से अच्छे काम में यह खराबी पैदा कर देती है । जमींदारी मुआवजा देकर खत्म की, उसका फायदा कहां हुआ है ? हमारी तरफ तो उसका शायद एकाध अंश ही फायदा हुआ हो । जहां-जहां बड़ी रियासतें थीं वहां तो ऐसा लगा है कि राजा और जमींदार खत्म हुए और किसानों को राहत मिली । पर जहां खुद ही लोग छोटे -छोटे जमींदार थे, छोटे-छोटे काश्तकार थे, वहां पर मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जैसे कोई आदमी १० रुपये लगान देता था, उससे दसगुना यानी १०० रुपये आपने पहले ही ले लिये। आधा उसका लगान कर दिया। तो उससे आप ५ रुपये साल लगान के हिसाब से ५ वर्ष में २५ रुपये ले लेंगे, इस प्रकार उससे कुल १२५ रु० लिये गये । बीच वाला तो केवल ५० रुपये ही लेता था । तो यह ७५ रुपये ज्यादा उस छोटे काश्तकार पर कैसे पड़ गये ? अगर सरकार ने बिला मुआवजा जमीदारी खत्म की होती तो ठीक भी होता । इसलिये यह कोई बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन सरकार ने नहीं किया ।

४।। करोड़ एकड़ जमीन, मैं मोटी बात कह रहा हूं, इस प्रदेश में उपजाऊ है । २ करोड़ एकड़ परती है । ८२ प्रति सैकड़ा अलाभकर जोत वाले लोग हैं, ५ प्रतिशत मध्यवर्ती किसान हैं और ७ प्रतिशत बड़े काश्तकार हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अलाभकर वाली जोतों का लगान७।।। करोड़ रुपये बृटिश सरकार को जाता था यह और समाजवादी कहलाने वाली सरकार ने उनसे २३।। करोड़ रुपया लेती है। ४ आने बढ़ाया, यह दूसरी बात है। पौने तीन गुने से ज्यादा आप लगान वसूल करते हैं । २३।। करोड़ रुपये लगान की वसूली में इस सरकार का २०, ३० करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। मुश्किल से ५, ६ करोड़ रुपया लगान से मिलता होगा । फिर अगर हम यह कहते हैं कि लगान बिलकुल माफ कर दिया जाय, तो क्या बेजा बात कहते हैं ? अलाभकर जोतों से लगान ६।। करोड़ से ज्यादा मिलता ही नहीं और उसकी वसूली में ४।। करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है । इस तरह से मुश्किल से १।।, २ करोड़ रुपया से ज्यादा नहीं मिलता है । अगर कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन यह सरकार वास्तव में करे तो हमारे जैसे समाजवादी व्यक्ति को मानने में कोई एतराज नहीं है ।

कहते हैं कि इन्होंने सीलिंग की। उसमें ३० लाख एकड़ जमीन के आंकड़े इस सरकार को मिले हैं । सन्त विनोवा भावे को बड़े-बड़े जमींदारों ने ऊबड़-खाबड़ जमीन दे दी । अच्छी जमीन उन लोगों ने दबा रखी थी। सरकार का सीलिंग का कानून आने से २ साल पहले ही बड़े-बड़े लोगों को पता चल गया था और उन्होंने लड़कों के, उनके लड़कों के नाम जमीन कर दी। सरकार को कुछ नहीं मिला । मुमताज भाई कहते थे कि १२।। एकड़ से ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं । यह भी फर्जी बात है । जब एक आदमी ने अपने लड़कों इत्यादि के नाम करके अधिक जमीन रख रखी है तो कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं है । जिस दिन मेरे दिमाग में यह बात भर जायगी कि यह सरकार सचमुच समाजवाद की ओर अग्रसर है तो उसी दिन मैं सरकार की मुखालिफत करना छोड़ दूंगा, इसे मैं अपना पेशा नहीं समझता ।

अभी संकटकाल के समय ४ आने लगान का बढ़ाया । माननीय माल मंत्री जी ने कहा था कि जब आपत्तिकाल खत्म हो जायगा तो इसको फौरन हटा दिया जायगा । फिर जो कुछ आपने कहा था उसी का आप ऐलान कर दीजिये । हम कोई नयी बात नहीं कहते । अब कौन

[श्री राधेश्याम शर्मा]

सा संकट है । फौज भी हट गयी, हाजी पीर और टिथवाल भी खाली हो गया । अब आप ऐलान कर दीजिये कि चवन्नी लगान हटा दिया जाय । या हमारी एक बात मान लीजिये । कांग्रेस पार्टी से ह्विप हटा लीजिये और साफ-साफ वोट हो जाने दीजिये कि चवन्नी लगान को समाप्त किया जाय या नहीं ।

चकबन्दी की बड़ी तारीफ की गयी हमारे जिले में चकबन्दी हुई अभी डेढ़ साल हो हुआ है । मैंने चकबन्दी के कमिश्नर मिस्टर केहरसिंह से कहा कि कांग्रेस वालों के इलाके में चकबन्दी कर दीजिये, कांग्रेस सरकार पूरे तरह से हार जायगी । विरोधी पक्ष के लोग न जाने किस प्रकार किस-किस की शिकायत करके अपनी जान को बचाते हैं । जिस भी क्षेत्र में चकबन्दी हो जाती है किसानों की हालत एकदम खराब हो जाती है । मामूली से मामूली पटवारी, ए० सी० ओ० और कानूनगो १–१ लाख रुपया कमाते हैं । और यह जो जोट सामने बैठी है–माल मंत्री जी और रामकुमार शास्त्री जी की, ये बेचारे बिलकुल भी देर नहीं करते, फौरन ही शिकायत की जांच करते हैं । उनके दफ्तर से कागज फरवट जायगा और आठवें दिन मेरे पास चिट्ठी पहुंच जायगी कि तुम्हारा प्रार्थना-पत्र फलां-फलां जगह जांच के लिये भेज दिया गया था जांच के बाद आरोप निराधार पाये गये । लेकिन आपकी जांच का तरीका बिलकुल गलत है । उससे मुझे तकलीफ होती है । इस बारे में चकबन्दी कमिश्नर, केहरसिंह से मैं ३–४ बार मिला । बड़े ढंग से मिलते हैं । एक रोज तो बता रहे थे कि उन्होंने ६८ ए० सी० ओ० को निकाल दिया है और अपने दफ्तर में बैठकर वे यह भी मान लेते हैं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है और वे पकड़ने की कोशिश भी करते हैं । लेकिन मुख्य बात यह है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका ही खराब है । एक दरख्वास्त आपके यहां से कमिश्नर के यहां गयी, वहां से एस० ओ० सी० को भेजी गयी, वहां से सी० ओ० को । सी० ओ० ने उसको ए० सी० ओ० को भेज दिया जिसके खिलाफ शिकायत की गयी थी और कभी-कभी तो, अगर कानूनगो की शिकायत है तो कानूनगो के पास भी पहुंच जाती है । अब वह ए० सी० ओ० और कानूनगो ५० गांव में जाते हैं और कहते हैं कि प्यारे लाल जी ने यह दरख्वास्त दी थी, वह हमारे ही पास आ गयी है जांच के लिये । यह आपका जांच का तरीका है । इस तरह से आपका काम चल रहा है ।

अब चकबन्दी में लूट ही यही बात नहीं है । जब चकबन्दी का काम खत्म हो जाता है उसके बाद भी उसका काम चलता ही रहता है, जैसे शादी के बहुत दिनों तक शादी का काम चलता रहता है । चकबन्दी के बाद हमारे यहां देखिये तो गूलें खत्म, कुलाबे समाप्त, बिलकुल अराजकता ही हो गयी । मैं तो बहुत सावधान था । कलेक्टर वहां गये, मीटिंग्स बुलाई गयीं, चार-चार बार । तमाम आफीसर्स आये । दिन-रात दौरे हुये न जाने कितना पैट्रोल फुक गया लेकिन फिर भी काम अधूरा ही रह गया । बड़ी मुश्किल से परिश्रम करके स्वयं ही थोड़ा बहुत ठीक कराया गया । अगर यह बात कोई कहता है कि चकबन्दी का काम सही चल रहा है तो वह गुमराह करता है, वह बिलकुल गलत है और उसकी जितनी भर्त्सना की जाय वह कम है । इस में किसी एक आदमी का दोष नहीं है सारा ढांचा ही फर्जी है और उस में सारे ही लोग ऐसे हैं ऊपर से नीचे तक जो कि स्थायी नहीं हैं और जो समझते हैं कि पता नहीं कब नौकरी चली जायगी । हमारे यहां उसके फलस्वरूप गूल चकरोड सब खत्म हो गई, कितने लोग रैंड हैण्डेड पकड़े गये लेकिन कुछ नहीं हुआ । होता यह है कि लाख लाख, दो-दो लाख एक-एक आदमी बनाकर विभाग छोड़ देता है और दूकान कर लेता है और कमाना आरम्भ कर देता है । अगर कहा जाय कि इस तरह की हदबन्दी, चकबन्दी और जमींदारी अबालिशन कोई समाजवादी कदम है तो यह बिलकुल थोथी और झूठी बात है । सच्ची बात यह है कि यहां किसी चीज की ठोस बुनियाद में नहीं जाया जाता और सब मामला बेकार हो जाता है ।

मैं कहूंगा कि आज ही रात को श्री राम कुमार जी शास्त्री हमारे साथ चलें तो हमारे क्षेत्र में ही कम से कम दस हजार किसान चकबन्दी विभाग के लिये उन के सामने रोयेंगे, प्रदर्शन करेंगे और हजारों दरख्वास्तें उन के पास पहुंचेगी जिन में चक रोडों की, रिश्वत की, गूलों की, तमाम

शिकायतें होंगी। नतीजा यह है कि जिन क्षेत्रों में चकबन्दी होती है वहां २ साल तक उपज कम हो जाती है क्योंकि कुलावों और गूलों की गुंजायश नहीं रहती। वैसे तो मैं जानता हूं कि माल मंत्री जी सब बातों को जानते हैं, मैं उन के यहां देख आया हूं वह बड़े सादे तरीके से काश्त करते हैं। वह किसान की तकलीफ को समझते हैं लेकिन मुश्किल यह है कि जनतंत्र में जो कुछ भी नौकरशाही करती है वही दिमाग में भर जाता है और जो कुछ सरकारी नौकर करते हैं वही सही समझा जाता है। इसी तरह से धीरे-धीरे प्रजातंन्त्र की कड़ियां टूटती हैं और उस के बाद एनार्की होती है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह चकबन्दी कर्मचारियों के साथ सख्ती से काम लें और उन्हें सजायें दें ताकि वह ठीक हों। यह मैं मानता हूं कि आप कुछ करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी कड़ाई होनी चाहिये वह नहीं बरती जा रही है। अगर दो चार जगह ही सख्ती से काम लिया जाय तो आज नहीं तो कल सारा काम ठीक से चलने लगेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय माल मंत्री को अपने विचारों से अवगत कराता हूं और वह मेरी बातों पर जरा गम्भीरता से सोचें, मैंने कोई भाषण के लिये या विरोध के लिये अपना भाषण नहीं दिया है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आदरणीय सदन के समक्ष जो कटौती का प्रस्ताव हमारे भाई भीखा लाल जी ने पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। इस में शक नहीं है कि भीखा लाल जी ने बहुत संयमित भाषा में और अपने अनुभवों के आधार पर उन अनुदानों के सम्बन्ध में अपने जिन विचारों को प्रकट किया है वह बहैसियत एक किसान के काफी महत्व रखते हैं। विशेषकर उनकी जो आलोचना हुई है वह काफी अहमियत इसलिये रखती है कि उन्होंने माल महकमे में सेवा भी की है। लेकिन जब वह यह कहने को लगे कि भूमि सुधारों में कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया गया है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। सदियों से दबा हुआ यहां का कृषकवर्ग जिस तरह से कराह रहा था, यदि माल मुहकमे में आपने काम किया होगा तो आप उसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, चकबन्दी का आयोजन हुआ। हमारे माननीय राधेश्याम, जो अपने को समाजवादी विचार का कहते हैं, अगर सरापा यह कहें और आंख में धूल झोंक कर दिन को भी अन्धेरी रात बतलावें, तो वे यह कह सकते हैं। मैं इनके साथ उनके किसानों के बीच में गया और जिस गांव में चकबन्दी का काम हो रहा था, इनके सामने उस गांव के किसान इकट्ठा हुए थे और कोई अनाभज्ञ व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वहां जिला मैजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। वहां चकबन्दी के चक रोड में एक कुंआ आ जाता था जिसको बचाने की बात थी। जब मैं मौके पर पहुंचा तो अधिकारियों से कहा कि जब जी० टी० रोड तक टेढ़ी है और कुंआ बचाने की वजह से यदि चक रोड थोड़ी टेढ़ी हो जाय तो उसमें कौन सी बात है। लेकिन हमारे माननीय मित्र का इतना कीमती वक्त था कि वे चन्द लमहे तक ही वहां अपनी तशरीफ रख सके और फिर वहां से चले गये। उस वक्त उनको चाहिए था कि हमको बतलाते कि यहां-यहां इस तरह की गड़बड़ी है। उनका कहना यह था कि वे बराबर किसानों के बीच में भ्रमण करते है और आपने यह भी फरमाया कि जितना समय वे अपनी कांस्टीट्युंसी में देते हैं, शायद उतना समय कांग्रेसी एम० एल० ए० नहीं दे पाते हैं।

श्रीमन्, न मालूम कितनी बार उन्होंने यह बात कही। मैं इनका आदर करता हूं और और चूंकि हमारा दफ्तर और इनका दफ्तर साथ-साथ है। हमने इस बात की कोशिश की कि इनकी जो शिकवा शिकायत है उसका रफा दफा जहां तक हो सके—कर दिया जाय। हमने वर्षहा वर्ष आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में किसानों के लिए काम किया है पंडित जवाहर लाल जी के साथ और रफी साहब के साथ भी। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कारेस्पांडेंस यानी लिखा-पढ़ी करने का एक तरीका है। मैं पूछता हूं कि आखिर कौन सा तरीका अख्तियार किया जाय जिससे किसी किसान की शिकवा शिकायत कोई हो कि चकबन्दी द्वारा उसे परेशान

[श्री रामकुमार शास्त्री]

किया जा रहा है तो उसे दूर किया जाय ? इसका तरीका तो यही है कि उसकी जांच करा ली जाय और उसे तो कराया ही जाता है। इसका एक तरीका है कि इसे आयुक्त के पास भेज दिया जाय ताकि वह कोई रास्ता निकाल सके कि किसानों को राहत मिले। किसान भी ऐसे हो सकते हैं, अधिकारी भी ऐसे हो सकते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी गलती को महसूस करते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ऐसा एकाध ए० सी० ओ० हो जो किसी तरह की गड़बड़ी करता हो, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मथुरा जिले में जहां-जहां शिकवा शिकायत की गयी उसको सुधारने की पूरी कोशिश की गयी। यह कहना कि चकबन्दी में कोई सुधार नहीं हुआ है इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। बहुत से आदरणीय सदस्य हैं जिनसे अगर कहा जाय कि आपके यहां चकबन्दी का काम बन्द कर दिया जाय तो मेरा ख्याल है कि वे उसको पसन्द नहीं करेंगे। वे तो चाहते हैं कि उनके यहां चकबन्दी हो। असल बात यह है कि माननीय राधेश्याम जी के यहां चकबन्दी खत्म हो गयी है और अब शायद उनके पास असंतोष फैलाने के लिए कोई जरिया नहीं है इसी वजह से वे बहुत परेशान व बेजार हैं। वे अपने को किसानों का सेवक कहते हैं लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि जमींदारी प्रथा के खत्म करने से बड़े किसान हों या छोटे किसान हों, सभी का फायदा हुआ..

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि २ एकड़ वाले काश्तकार हमारे यहां ६६ प्रतिशत हैं और फिर जब उसके बच्चों में बटवारा होगा तो आपकी चकबन्दी रहती कहां है, माननीय राधेश्याम जी का कहना है कि आपका कानून ऐसा है कि १०-२० वर्ष के बाद आपके खेत छोटे छोटे ऐसे ही हो जायेंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री---

उस चीज को हम कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, जो वर्तमान स्थिति है, जो टेन्योर सिस्टम है, जिस तरह से भूमि व्यवस्था है, उसी तरह से हम चकबन्दी की व्यवस्था कर रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदय, भाई भोखालाल जी ने यह भी फरमाया है कि उत्पादन यों नहीं बढ़ सकता है और कुछ अग्रेरियन कमेटी का भी हवाला दिया है। जिस अग्रेरियन कमेटी का हवाला दिया गया है, उस कमेटी से मेरा भी ताल्लुक रहा है। इलाहाबाद जिले में इंडिया तहसील है। उस समय वहां पर नौक्स साहब सेटिलमेंट आफिसर थे। प्रतापगढ़ जिल में भी पट्टी तहसील में किसान आन्दोलन चला और वहां पर जो किसानों को परेशानी थी, अगर मेरे भाई राधेश्याम जी तुलनात्मक दृष्टि से देखे होते तो वह स्वीकार करते कि जमींदारी उन्मूलन से और चकबन्दी से क्या लाभ हुआ है।

श्री राधेश्याम शर्मा---

वह तो हम देख आये हैं कि क्या सुधार हुआ है।

श्री रामकुमार शास्त्री---

मुझे अफसोस है कि यहा पर यह कहा जाता है कि चकबन्दी से कोई राहत नहीं हो रही है, किसानों के लिए कहा जाता है कि कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है। श्रीमन्, जब जमींदारी प्रथा थी उस समय काश्तकारों को झुका दिया जाता था और मुर्गा बना दिया जाता था। सुबह जब कि राम का नाम लेने का समय होता था उस समय यह किसान अपने घर पर कराहता था पर आज किसान को इससे राहत मिल गयी है। वह अपनी जमीन का मालिक है। हमने भूमिधरी और नवइयत के सिस्टम चलाये जिससे किसानों को राहत मिली। न जाने किसानों के खेतों में कितने कितने टुकड़े बिखरे हुए थे। पर कनसोलिडेशन के हो जाने की वजह से, उनकी वह जमीन भी इकट्ठी हो गयी है और जो जमीन मेड़ से बेकार हो जाती थी वह भी बच गयी है। छोटा किसान हर मौके पर भी नहीं

पहुंच सकते थे तो इससे उनकी कितनी परेशानी दूर हुई है, उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इससे किसान की खेती में तरक्की हो सकती है या नहीं। जिस गांव के रकबे के १२-१२ हजार टुकड़े रहे उसमें अब ११ सौ टुकड़े हो गये हैं। चकबन्दी की हालत तो यह है कि जिस इलाके में चकबन्दी नहीं करा पाते हैं, वहां के लोग चकबन्दी के लिए परेशान होते हैं। आपके सलमपुर जो देवरिया में है वहां चकबन्दी हो रही है। शेष लोग बड़े ही परेशान हैं कि चकबन्दी उनके वहां पर भी पूरी हो जाय। गंडक योजना की वजह से उत्तरी इलाका देवरिया रोक दिया गया है क्योंकि गोंडा में सरयू कनाल योजना चल रही है। अतः दक्षिणी भाग में चकबन्दी रोक दी गई है। अनुमान है कि सन् १९७० ई० तक हो। अब हम बलरामपुर को लेने जा रहे हैं। और पचासों काश्तकार चाहते थे कि जल्द से जल्द चकबन्दी होनी चाहिए। जाके पांव न फटी बिवाई वह क्या जाने पीर पराई। सारा वक्त तो लखनऊ में गुजारते हैं और खेतीबारी करने वाले पर जो बीतती है उसको वह क्या जाने। मेरे मित्र ने जो यह कहा कि भूमि व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ तो यह तो वही बात हुई कि आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। आप फरमाते हैं कि समन्वय हो। तो इस देश की तो संस्कृत और सभ्यता ही में समन्वय की नीयत का पालन किया जाता रहा है। लोगों को समझाबुझा कर ही हम काम करते हैं, लाठी चला करके कोई काम नहीं कर सकते हैं। जो क्रांतिकारी व्यवस्था माननीय माल मंत्री ने किसानों की जिन्दगी में लाने का प्रयास किया है वह कोई मामूली बात नहीं है। यह हमारा और इस देश का सौभाग्य है कि इतने बुजुर्ग और तजुर्बेकार, जो २० साल से मुसलसल इस बजट को पेश करते चले आ रहे हैं, हमारे माल मंत्री हैं। फिर भला आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने क्रांतकारी कदम नहीं उठाए। जिस महकमे को उन्होंने पकड़ा उसीसे किसानों को राहत पहुंचायी।

दुर्भिक्ष की बात आयी। इतना बड़ा सूबा है और ऐसे खित्ते हैं, जैसे बांदा, इलाहाबाद जहां पर सूखा पड़ जाने की वजह से ऐसी हालत पैदा हुई। उसके लिए सरकार ने काफी मिकदार में मूसे का इंतजाम किया, लगान की मुल्तवी की और अगर हालत वाकई खराब होगी तो छूट भी देंगे।

(इस समय २ बजकर ३९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

कुछ मित्रों को बड़ी गलतफहमी है कि वहां पर लगान वसूली की जा रही है। दरअसल वह स्थगन है जिसको लोग समझते हैं कि छूट दी गई। स्थगन तो वसूल किया ही जायगा। इसलिए कोई बात कहने से पहले माननीय सदस्य स्थिति का विवेचन कर लिया करें। आप गांवों में जा कर स्लोगन से काम चलने वाला नहीं है। वह जमाना गुजर गया जब स्लोगन से आप लोगों के दिमाग पर असर पैदा कर सकते थे। जमींदारी प्रथा के पहले जितने काश्तकार की तरक्की के रास्ते में हर्डिल्स थे, वे खत्म हो रहे हैं।

हमारे मित्र कहते हैं कि कुछ टेक्निक्स हैं जिन के आधार पर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, यह तो हमको करना ही है और शांतिपूर्ण तरीके से करना है। मारपीट करके हम कोई काम नहीं कर सकते।

सीलिंग के बारे में कहा गया कि १ लाख, २ लाख एकड़ जमीन मिली फुल। आपको माननीय सदस्य कि हम कहां से निकाल रहे हैं। चारों तरफ से हम निकाल रहे हैं और सभानुसार कानून बना कर, कायदे कानून बना कर उस दशा में सरकार बराबर जागरूक है।

कब्जा गास्तिबाता के बारे में भी बात कही गई। आज अगर गांव सभापति नेपोटिज्म करता है, अगर उनके ऊपर हम सख्ती करें तो इससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। इस काम में हमारा और आपका दोनों का सहयोग लाजिमी है और मैं समझता हूं कि अगर हम अपने कर्तव्य

[श्री रामकुमार शास्त्री]

और अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तो निश्चय ही इस तरह की शिकायतें दूर हो सकती है। लेकिन मैं माननीय भीखा लाल जी से पूछना चाहता हूं कि जिन नायब-तहसीलदारों की आप प्रशंसा करते हैं उन्हीं के महकमे में ११५-सी सेक्शन के जो मुकदमात जाते हैं वे कौन लेने वाले हैं। जो नायब तहसीलदार ख्वाब देखते हैं कि हम तहसीलदार हों, डिप्टी कलेक्टर हों, भगवान करे ऐसा हो और सरकार भी चाहती है कि वे ऐफीशियेंटली अपना काम काज करें। लेकिन अगर उनकी नजरों के सामने कब्जा गासिबाना होता है और उसको नजरअंदाज करते हैं तो वे अपने फर्ज का ठीक तरह से अंजाम नहीं देते हैं। हमारी तरफ से व्यवस्था है कोई कब्जा गासिबाना कर लेता है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है विधि के आधार पर। उस कब्जा गासिबाना को रोकने के ही लिये सरयू नदी के तट पर वह भी डूबने से बचे और हम भी बचे।

सीलिंग में लाखों एकड़ जमीन हम ले आये। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को चीरना तो मुमकिन नहीं है। जितना भी संभव है उतनी हम पैदा कर रहे हैं। राधेश्याम जी आयुक्त महोदय, चकबन्दी के पास पहुंचे और उनकी वह प्रशंसा करते हैं। आयुक्त महोदय भी हमारे परिवार के अन्दर है। उनके विभाग का अगर प्रश्न है। अब वह स्वयं गलत रास्ता नहीं पकड़ते तो अपने समाज के किसी अंग को, अपने अफसरान को गलत रास्ता नहीं पकड़ने देंगे। अच्छा काम करेंगे तो उसका पारितोषिक उनको भी मिलेगा। अब अगर गांव के ही गांव में पट्टीदार है। एस० सी० ओ० गया, उसका कोई वहां ठिकाना नहीं। जहां तमाम निफेरियस एक्टिविटीज होती हैं। जहां एस० सी० ओ० पहुंचा और उसको वह पट्टीदार गुमराह करता है, प्रलोभन देता है तो वह मुमकिन है गुमराह हो जाय। ४० जिलें भर के काम के लिए उसको कोसा जाय यह कहां तक उचित है। २४० जिलों में चकबन्दी पहुंचाई गयी तो सुबह से ले कर रात तक जो उन्होंने अच्छा कार्य किया उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। इतना कठोर काम है कि पहले पूरे गांव का साबिक नक्शा रखा जाता है, पार्क होने पर नया नक्शा बनता है। उसमें २५, २५ एकड़ के चक काटे जाते हैं। फिर उसमें जितनी भी गाठें होती हैं उसका रकबा निकाला जाता है। यह कोई मुबालगे की बात नहीं है। भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं, चाहे टोडरमल का ही जमाना रहा हो, वरन सारे संसार में इस प्रकार के सुन्दर चकबन्दी के कार्य का उदाहरण नहीं मिलेगा लेकिन राधे श्याम जी ने सारा वजूद ही खत्म कर दिया।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अगर आपकी बात मान ली जाय तो फिर सरकार की ही जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक वह बैठ न जाएं तब तक बीच में आप न बोलिए।

श्री रामकुमार शास्त्री—

हम और आप किसानों के प्रश्न को उठाते हैं और उत्पादन को हम बढ़ाना चाहते हैं। जो वास्तविक स्थिति है उस पर परदा न डाला जाय। इस पर परदा नहीं डालना चाहिये मेरे मित्र ने कहा है कि यह विभाग शासन की रीढ़ है। वास्तव में है। मुझे तो आये थे दो रोज हुये। लेकिन अपने घर में भी और सदन में भी ३६/३७ साल से हम ऐसे नाचीज को भी किसानों की सेवा करने का मौका मिला है। जहां तक हो सकता है हतुलइमकान यह सेवा करने के लिए अच्छा महकमा है। समन्वय की नीति या साझेदारी की नीति का जिक्र माननीय भीखालाल जी के मुंह से जेबा नहीं देता था क्योंकि तर्जुबा था और वे जानते थे और वे बहुत काम किये हुए हैं। जो काम बड़े-बड़े ऋषि मुनियों ने नहीं किये वह काम यह महकमा करने जा रहा है। माननीय राधेश्याम जी मेहरबानी करके दो लफ्ज तो प्रशंसासूचक कह देते, मैं रोज उनकी खिदमत करता हूं और महकमा सेवा कर रहा है उसके लिए तो वे कुछ ध्यान रखकर कह देते। इसलिए सीलिंग तथा चकबन्दी आदि के जितने काम किये गये

हैं वे सब किसानों के कल्याण के लिए ही किये गये हैं। इस बजट के अनुदान का मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शास्त्री जी ने कहा कि मैं उनके साथ गांव में गया था तो उस समय उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जिस गांव में वे गये थे वह तो अच्छा गांव था और चकबन्दी वालों ने चुनकर रखा था। सिर्फ कुंये का झगड़ा उनको मिला। इसके बाद मैंने बीसियों बार कहा है और माननीय केहरसिंह जी ने भी कहा है कि आप सारे मामले को देख लें कि कहां गलत काम हो रहा है। लेकिन जब देखते ही नहीं हैं तो कैसे दिखाया जाय। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय(जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय शास्त्री जी ने बहुत समय लिया और काफी तारीफ की और इतनी तारीफ की कि कोई कह सकता है हमें इसमें शुबहा है बहुत से लोग इसके लिए उधर बैठे हुए हैं और कुछ इधर से टूट कर उधर चले गये हैं। नये लोग काफी प्याज खाते हैं और खुद उन्हें पालिश करने की जरूरत नहीं है। इसमें दो राये नहीं हैं कि जमींदारी उन्मूलन से किसानों को राहत मिली है जिससे ठाकुर साहब की जड़ें जमी हैं। चकबन्दी में जहां घूस खोरी नहीं पनपी वहां फायदा हुआ है। गोरखपुर कमिश्नरी में तथा अपने सारे प्रदेश में पारसाल जो छट मिली जिसको शास्त्री जी ने कहा कि स्थगित कर दी गई, पीछे से वह लगान छोड़ा गया। जो करीब-करीब काफी लोग बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं। इनमें से कितने ही गांव बीसियों साल से बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जिनकी मालगुजारी १० रुपये थी उनको इस तरह से जानकारी हो गई कि हमारी सिर्फ मालगुजारी ५ रुपये है और दो पुश्तों से वह दे रहा था। लेकिन आज ५ रुपये की जगह पर उससे साढ़े बाइस रुपये वसूल किये गये। साढ़े २२ रुपये के करीब जो उससे वसूल किया गया वह वसूली इतनी तेजी से की गयी कि बीच-बीच में बिना वारंट कितने ही लोगों को पकड़ कर दिन भर बैठाया और उनके मवेशियों को खदेड़ा। बहुत ज्यादतियां हुई। उसका असर किसानों पर यह पड़ा कि जो बड़े काश्तकार थे उनको अपने गल्ला ऐडवांस में बेचना पड़ा डेढ़ सेर की जगह पर तीन सेर के हिसाब से। जो छोटे काश्तकार थे उनको तेल की फसलों को काट कर चारे में बेचना पड़ा, क्योंकि उनका सेटिलमेंट ऐडवांस में बेचने से नहीं हो सकता था। इस तरह से अधिक से अधिक रुपया वसूल करने के फेर में किसानों को जो ठेस लगी वह तीन-चार साल के अन्दर रिकवर नही हो पायेगी। शास्त्री जी को पता होगा कि बांसी व नौगढ़ तहसीलों में छूट मिलती आयी थी। वहां के किसान के आर्थिक ढांचे को जो चोट लगी है, जो उसको अपनी खड़ी फसल काट कर बेचनी पड़ी, उससे कम से कम चार साल तक वह नहीं पनप सकता। इस तरफ जरा भी तवज्जह नहीं दी गयी। पैदावार बढ़ाने की बात कही जाती है। सारे भूमिसुधारों के बावजूद भी अगर उत्पादन नहीं बढ़ता तो उसका कारण पूंजी की कमी है। उस पर आप आज येनकेनप्रकारेण जो छूट उनको मिलती रही है उसको वापस लेने में कोई कसर नहीं रखते। इतना बड़ा सूखा पड़ा। भगवान आप को सद्बुद्धि दे, उनको फिर से छूट दे। एक की जगह पर सवा चार वसूल हो रहा है। इस तरह से किसान की पूंजी घटती जा रही है उसका असर पैदावार पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। जबकि उसके खेत गिरवीं हो जायेंगे और वह ठीक से खेती नहीं कर पायेगा।

दूसरी चीज यह है कि जो आप का दुर्भिक्ष का नियम है वह बहुत पुराना है। पूरी खेती पर जब आठ आने से ज्यादा नुकसान होता है तब छूट मिलती है। जब किसान मर जाता है तब छूट मिलती है। अगर एक-एक खेत का अलग-अलग हिसाब लगाया जाय तो किसान को राहत मिल सकती है।

[श्री जागदीशप्रसाद पांडेय]

तीसरा सुझाव जोतकर के संबंध में है। करीब-करीब कर के जितने विभाग हैं सबमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। बृहत जोत कर में जितने मुकदमे चलते हैं एस० डी० ओ० असली अफसर है लेकिन संबंधित नायब-तहसीलदार और क्लर्क के सामने फाइलें होती हैं वही फैसला कर देते हैं। जिन पर कर नहीं लगना चाहिए उनके ऊपर कर लग जाता है और जिन पर लगना चाहिए वह बच जाता है। उसको आपको देखना चाहिये। उसका असेसमेंट प्रापर अफसर के द्वारा किया जाना चाहिये। बहरहाल उसमें छट की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां तक छट की व्यवस्था है, कहीं पर कोई गुंजाइश है नहीं। उसमें भी कैलेमिटीज के लिए काश्तकार को छूट मिलनी चाहिए। ४० एकड़ का सील कर दिया गया उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। कैलेमिटीज के साथ-साथ यदि दोनों फसलें नष्ट हो जाती है, तो उन्हें छूट नहीं मिलती है, इससे जो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है, उस पर आपको विचार करना चाहिये।

माननीय भीखालाल जी ने जो नायब तहसीलदारों की बात कही, वह अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है। जब से कलेक्शन और रेगुलर दोनों के नायब-तहसीलदारों के एमेलगेमेशन हो गये हैं, तब से इस विभाग की हालत बहुत खराब हो गयी है। उससे भ्रष्टाचार पैदा हो गया है, और भ्रम उत्पन्न हो गया है। कहीं-कहीं पर तहसीलदार इतनी ज्यादा संख्या में हो गये हैं जितनी संख्या में वहां पर कानूनगो हैं। इसलिए उनकी संख्या को घटाया जाना चाहिए और उनको रेगुलराइज करके अच्छे ग्रेड के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष महोदय, में आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे राजस्व की मद पर, जिसका किसान से सीधा-सादा संबंध है, बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, आप मेरी तरफ देखें, मैं आपके ही माध्यम से सरकार से कह रहा हूं। मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं लेकिन श्रीमन्, ४ आना का लगान जो बढ़ा है, उसके संबंध में मैं राजस्व मंत्री महोदय से यह बात बहुत सफाई से कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस के करीब-करीब ९९ और ९८ फीसदी सदस्यों की यह राय है कि इस चार आने के लगान को वापस ले लिया जाना चाहिए। मैं यह बात श्रीमन्, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अपने तमाम साथियों की तरफ से कहता हूं। अब ४ आने के लगान का इस वर्ष कोई तुक नहीं है क्योंकि खरीफ की फसल पानी बिना सूख गयी है और रबी में पानी बरसा ही नहीं। साल ब साल रबी और खरीफ दोनों फसलें तबाह हो गयीं। महंगाई की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जाती है। इसके लिये दूसरे लोग तो अपने टी० ए०, डी० ए० की मांग कर लेते हैं, जोरों से कर रहे हैं। लेकिन किसान एक ऐसा बेवस प्राणी है उत्तर प्रदेश का जिसके दुख: दर्द को कहने वाला कोई नहीं है, सदन के बाहर भी उनकी कोई समाश्रत नहीं है। सदन के अन्दर मैं कहूं तो शास्त्री जी हमारी हंसी उड़ायें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब लगान बढ़ाया गया था और मैं वहां पर उसके विरोध में माननीय सदस्यों से दस्तखत करा रहा था, उस समय शास्त्री जी दस्तखत करने वालों में से आगे थे, लेकिन आज चूंकि वह सरकार में है वह उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज भले ही वह उसकी ताईद करें, लेकिन जिस तरह से मैं उसके विरुद्ध हूं वह भी हृदय से नहीं चाहते हैं और कांग्रेस के सदस्य भी नहीं चाहते और श्रीमन्, आप भी जो कुर्सी पर बैठे हैं, उसे नहीं चाहते ह—जो बात ईमानदारी की है वह यह है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह चकबन्दी की है। चकबन्दी एक अच्छी चीज है। मैं उसका स्वागत करता हूं। हमारे यहां तहसील बिलग्राम में चकबन्दी हो रही है। मैंने माननीय मंत्री जी से ६३, ६४ और ६५ में भी कहा था, आज भी कहता हूं कि चुनाव के पहले-पहले इस तहसील में चकबन्दी कम्पलीट करा दें। चकबन्दी से इतना बड़ा फायदा हुआ है काश्तकारों को जिसका एहसास उन्हीं को हुआ होगा जिनके इलाके में चकबन्दी हुई है और जिसके

इलाके में नहीं हुई है उनकी समझ में वह फायदा नहीं आ पाया है। जब उनके यहां हो जायगी तो वह भी जान जायेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इलाके पानी से डूबे हुये हैं उनको छोड़ दिया जाय और जब तक उनके पानी के बहाव का इन्तजाम न हो जाय और सिंचाई का इन्तजाम न हो जाय तब तक वहां चकबन्दी स्थगित रहे। जहां तक लगान का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश सरकार को जमींदारी उन्मूलन से पहले जो आमदनी थी उससे तिगुनी हो गयी है और चार आना. प्रति रुपया और बढ़ा दिया गया तो आमदनी चौगुनी हो गयी। पिछले साल बिलग्राम तहसील, जिला हरदोई के तहसीलदार ने रिपोर्ट की कि यहां छट देनी चाहिये लेकिन एक महावीर सिंह साहब आपके लखनऊ से गये और उन्होंने उनका जवाब तलब कर लिया। तो क्या सरकार की यह नीति है कि जो सरकार की राय हो वही नीचे से रिपोर्ट आये या जो रिपोर्ट नीचे से आये उस पर सरकार अपनी नीति बनाये। विकेन्द्रीकरण की नीति है या केन्द्रीकरण की नीति है। आपके सेक्रेटरी महोदय की राय पर कार्य होगा या तहसीलदार की राय जो उसकी रिपोर्ट है उस पर कार्य होगा। उसकी राय को यहां से काट दिया जाता है। मैं मुतालबा करता हूं कि सही तरीके से सही नुकसान की रिपोर्ट पर उससे जवाबदेही करना हमारे साथ और किसानों के साथ जुल्म है। मैं खुद उस तहसीलदार को ५० गांवों में ले गया था और उसके बाद रिपोर्ट आयी लेकिन महावीर सिंह साहब ने जवाब तलब कर लिया। तिगने से ज्यादा लगान आप ले रहे हैं तो फिर क्या काश्तकार का यह मतलबा सही नहीं है कि अगर उसका नुकसान हुआ है सूखे में, ओले में, पाले में तो आपको उस लगान को छोड़ना होगा। कोई फिर महाबीर सिंह की जेब से नहीं जाता। किसान का पैसा सरकारी खजाना है और उसका अगर नुकसान हुआ है तो उसका ही पैसा उसको छट हो जाता है। मैं मांग करता हूं कि इस वर्ष चौवन्नी लगान तो खत्म ही किया जाय और हरदोई जिले को पूरी लगान की छट दी जाय। जिला परिषद् हरदोई ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया है कि चूंकि खरीफ की फसल सूखे में गई और रबी की फसल बगैर पानी के गयी तो चौवन्नी लगान खत्म किया जाय और छट दी जाय।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अलाभकर जोतें उत्तर प्रदेश में बहुत हैं। हरदोई, रायबरेली और उन्नाव जिले की बाबत कहना चाहता हूं कि अवध के जितने जिले हैं उनमें जिस तरह से ताल्लुकेदारी का अभिशाप था और जिस तरह से अवध के काश्तकार कांग्रेस के साथ रहे हैं और जिस प्रकार जमींदारी खत्म करने में मदद दी है और जिनके बल पर आज लखनऊ और दिल्ली की सरकारें बनी हुई उन काश्तकारों को क्या सहूलियतें हैं। मैं अपने पड़ोसी जिलों की बात कहता हूं वे जिले अवध के जो ताल्लुकेदारी जिले हैं उनकी हालत बहुत खराब है, पूर्व की तरफ तो इन्तजाम हो ही रहा है, पश्चिम वैसे ही मालामाल है, रह गया अवध का इलाका इटावा जिले तक जो बिल्कुल चकनाचूर है और इनकी तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की साढे आठ करोड़ की तादाद में आज भी करीब करीब दो करोड़ इंसान ऐसे हैं जिनकी आमदनी ३० पैसे से कम है। करीब-करीब ७५, ८० लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी १२ पैसे से कम है। १२ पैसे से ३० पैसे आमदनी वाले करीब-करीब ३ करोड़ इंसान ऐसे हैं जिन में ८५, ९० फीसदी काश्तकार शामिल हैं और जिनकी आमदनी १२ पैसे से ३० पैसे तक मुश्किल से है। उनका क्या इन्तजाम होगा। उनके लिये नियोजन मंत्री का विकास और निर्माण कहां है। राजस्व मंत्री महोदय का लगान काश्तकारी कहां से आये। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस विषय में कुछ बातें साफ होनी चाहिये। यह ३, २।।। करोड़ इंसान जिनकी कम से कम आमदनी है और जिनमें ८५, ९० फीसदी किसान शामिल हैं उनका क्या होगा जो इस समाजवाद को लाने में मुख्य अंग है। इस साढ़े आठ करोड़ में ३ करोड़ लोगों को सबसे पहले जरूरत इस समाजवाद की है। यह समाजवाद आपको इस लाल बत्ती के उस पार भी कहीं दिखाई नहीं देता। समाजवाद को लाने की जिम्मेदारी इस कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। मेरा तो यह आखिरी साल है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि इन पांच वर्षों में हरदोई जिले के लिये सरकार ने बिलकुल

[श्री जे० पी० मिश्र]

कुछ नहीं किया। जो ६७ में आने वाले लोग हैं अगर सरकार ने अब भी मेरी बात पर तवज्जह दी तो जनवरी ६७ में १०, २० विरोधी सांसद आ जायं नहीं तो सब कांग्रेस पार्टी के सदस्य चुन कर आ सकते हैं।

श्री कमलापति यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय भीखालाल जी ने इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी जो मित्र बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पूर्वी जिलों के साथ कुछ पक्षपात करने का संकेत किया था। मैं अपने माननीय मित्र को बतलाना चाहता हूं कि जो पटेल आयोग केन्द्रीय सरकार ने बड़ी मुश्किल से कायम किया था उसमें चार जिलों के लिये काम करने की बात कही गयी है। उसका साक्षात प्रमाण यहां पर रावत जी मौजूद हैं। इनकी सबसे बड़ी फौज पी० डब्लू० डी० की गाजीपुर जिले में है। वहां पर एक एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, ४ असिस्टेन्ट इंजीनियर, और १२ से १८ ओवरसियर काम कर रहे हैं। जब से यह पटेल आयोग कायम हुआ है इन २, ३ साल के अन्दर ८ मील लम्बी सड़क भी नहीं बन पाई है। यह इस बात का प्रमाण है कि पटेल आयोग के अन्दर क्या काम वहां पर हो रहा है जो और सड़कों का काम वहां पर हुआ है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं मैं रावत जी से कहना चाहता हूं कि वह अपनी फौज को वहां से वापस बुला लें। हमको इस तरह के आयोग की जरूरत नहीं है जब कि इस पटेल आयोग का सारा रुपया नौकरशाही में ही खत्म होने वाला है।

जहां तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी कानून इस सम्बन्ध में अभी तक बने हुये हैं वह सब पुराने कानून जर्जर हो चुके हैं। अब उनकी कोई जरूरत नहीं रा! गई है। इस प्रदेश की परिस्थिति अब ऐसी आ गई है जिसमें पुराने कानून में हेरफेर करने की आवश्यकता है। खासतौर से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान फेमिन कोड और लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां तक फेमिन कोड का सवाल है मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। वह जर्जर हो गया है। उससे कोई रिलीफ किसानों को नहीं मिलती है। वह पुराना कानून हो गया है। यह देखा जाय कि फेमिन रलीफ के अन्दर जो रिलीफ दी जाती थी वह जमींदारों के जरिये से दी जाती थी इसलिये उस पर विशेष ध्यान नहीं गया। लेकिन अब जमींदारी खत्म हो गई है। इस सरकार का सीधे-सीधे सम्बन्ध काश्तकारों से है। वह फेमिन रिलीफ का कानून १,८०० के जमाने का बना हुआ है। वह आज भी लागू है। यह पुराना हो गया है। सदन में मैं राजस्व मंत्री को बहुत बार कहते सुनता हूं कि फेमिन कोड के मुताबिक जब तक वहां से सिफारिश नहीं आती है तो हम रिलीफ कैसे दें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर फेमिन रिलीफ के अन्तर्गत आपने यह फंड ग्रांट किया है और अगर इसके लिये आप १९३६ में कायदे कानून बना चुके हैं तो क्या वजह है कि पुराने कानून में आपने परिवर्तन नहीं किया। इसका मतलब तो यह है कि सरकार चाहती है कि किसान भले ही बर्बाद हो जायं लेकिन उनको किसी किस्म की रिलीफ न दी जाय। मैं समझता हूं कि सरकार को किसानों को ध्वस्त नहीं होने देना चाहिये। किसान अगर मर गया तो एडमिनिस्ट्रेशन कायम नहीं रह सकता। आपके विभाग में यह है कि किसान तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप उसे हलाल करने का प्रयत्न न करें वरना आपकी बात भी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा।

जहां तक कंसालिडेशन ऐक्ट का सवाल है, उसके भले बुरे में मैं नहीं जाना चाहता। वह विधेयक सर्वसम्मति से पास किया गया था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनके कारण आज जनता में निराशा हो रही है। शुरू में कंसालिडेशन में बहुत ईमानदारी थी, लेकिन जैसे ही हमारे कर्मचारी मैदान में आये, जनता परेशान हो गयी। करप्शन बहुत बढ़ गया और नतीजा यह हुआ कि हम लोगों को सरकार से कहना पड़ा कि उन पर सख्ती की जाय। उसके परिणामस्वरूप बहुत से सी० ओ० आदि निकाले गये, और इस विभाग के लोग आज तक स्थायी

नहीं किये जा रहे हैं। इसलिये कंसालिडेशन में जब तक सख्ती नहीं की जायगी, यही दिक्कत रहेगी। मुझे खुशी है कि राजस्व मंत्री और शाक्षी जी ने इस बात को माना है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में चकबन्दी में बहुत सी खराबियां हैं, रेकार्ड्स खराब हैं, मैप्स गलत हैं। मैं सरकार का ध्यान सेक्शन २७ के साथ साथ सेक्शन ४९ की तरफ दिलाना चाहता हूं। ये दोनों कंट्रेडिक्टरी प्राविजन्स हैं। सेक्शन २७, १९६५ में बना था, उसमें दिया हुआ है :

"(2) All entries in the record of rights prepared in accordance with the provisions of sub-section (1) shall be presumed to be true until the contrary is proved."

तो यह रेकार्ड फाइनल समझे जायेंगे जब तक कि वे कंट्रेरी प्रूव न हो जायं। इसका मतलब यह है कि वे ओपेन टु चैलेंज हैं। इसके साथ ही मैं आपका ध्यान सेक्शन ४९ की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

"(49). No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules thereunder."

तो इसका मतलब यह हुआ कि ४९ का जहां तक ताल्लुक है उसमें कोई भी कोर्ट इंटरफेन नहीं करेगा। जो रिकार्ड होगा वही फाइनल माना जायगा और दूसरी तरफ आप उसे ओपेन चैलेंज रख रहे हैं तो अगर मंत्री जी चाहते हैं कि सेक्शन २७ में जो प्राविधान आप अमेंडमेंट के जरिये कर रहे हैं, अगर उसे कायम रखना है, तो सेक्शन ४९ के अन्तर्गत भी आपको सुधार करना होगा। सेक्शन ४९ में जो अमेंडमेंट आपने किया है उसमें आपने सेक्शन ४ की जगह तब सेक्शन को आफ सेक्शन ४ कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिये यह जो दो कंट्रेरी प्राविजन्स ऐक्ट में आ गये हैं इनके लिये सरकार को विचार कर उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

और एक दिक्कत कंसालिडेशन ऐक्ट के अन्तर्गत है। सेक्शन ५ की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सेक्शन ४ में जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो सारी प्रोसीडिंग्स स्टे हो जाती हैं और जब धारा ५२ का नोटिफिकेशन हो जाता है तो स्टे केसेज बिगिन होते हैं तो जब वह रिओपेन होंगे दफा ५२ के नोटिफिकेशन के बाद फिर अगर चाहेंगे कि चकबन्दी कानून लागू हो तो वह नहीं हो सकता। क्योंकि वे लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत होंगे। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्टे केसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत आवेंगे, वे चकबन्दी ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं आ सकते। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सेक्शन २७, ४९ और ५ की तरफ ध्यान दें और उनमें आवश्यक सुधार करें।

अब मैं थोड़ी बात सी० एल० आर० डी० के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें हम डबल रोस्टर रेट से लगान वसूल करते हैं। उस आदमी को हम कोई अपार्चुनिटी नहीं देते कि वह अपने केस को लड़ सके या वह ऐतराज कर सके। नतीजा यह होता है कि काश्तकार से डूने रेट से लगान वसूल किया जाता है जब कि पहले काश्तकार को यह दे चुका है। दूसरे अगर चार भाई हैं और एक भाई के नाम से रिकार्ड में इंट्री है तो बाकी तीनों भाई सीरदार माने जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वह एक भाई जिसके नाम इंट्री है अपना नाम सीरदारी में बढ़वा लेता है और तीनों भाई उस लाभ से वंचित रह जाते हैं और उन तीनों से डूने रोस्टर रेट से लंगान वसूल किया जाता है। यह अनामली है इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। दूसरे चकबन्दी में बहुत सी भूमि दूसरों को ट्रांसफर की गयी है। बाप की जिन्दगी में लड़कों के नाम सीरदारी चकबन्दी में की गई है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका पता लगायें कि किन लोगों को भूमि ट्रांसफर हुई है। जिनके नाम सीरदारी होती है वह ट्रांसफर नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा भी हुआ है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों के लिये आपको ऐक्शन लेना चाहिये

[श्री कमलासिंह यादव]

आपातिक भार का जहां तक सवाल है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ज्यादती की है। जो किसान अलाभकर जोत वाले हैं उनके साथ बहुत ज्यादती की गई है। उनको एक्जेम्पशन मिलना चाहिये। वह बड़े काश्तकार हों या जमींदार तब रहे हों, भूमिधर (शरहमोआइयन) सीर या खुदकाश्त वाले जमींदारों का लगान प्रति एकड़ ८ आने, १ रुपया, डेढ़ रुपया है और जो मौरूसी या आकुपेंसी टेनेंट्स से सीरदार हुये हैं उनका लगान हमेशा ८-१०-१५ रुपया रहा है। तो सीर खुद काश्त वाले जो कि मालिक रहे हैं उनका लगान कितना बढ़ा और उस प्रपोर्शन में उनका कितना बढ़ा जो कि मौरूसी और आकुपेंसी टेनेन्ट्स रहे हैं। इसलिये भूमि का सुधार करें और यह एकरेज पर लगाया जाय, तभी थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। ताशकन्द समझौते के बाद इमरजेन्सी का तो कोई सवाल नहीं है, इसलिये आपातिक भार कानून को वापस करें।

जहां तक लेखपाल और सेक्रेटरी का सवाल है, हर जगह ब्लाक वगैरह बन चुके हैं और मध्य प्रदेश में देखा गया है कि जितने बी० डी० ओ० थे वे खत्म हो गये और कोई फायदा भी नहीं है सिवाय इसके कि सौ रुपया बांटने के लिये १,००० रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको स्थायी रखना है तो राजस्व विभाग भी उसके अन्दर कर दिया जाय और लेखपाल और सेक्रेटरीज का एकीकरण कर दिया जाय और उनसे मल्टीपरपज काम लिया जाय। यह देखा गया है कि तकावी के सम्बन्ध में इतनी दिक्कत होती है कि ब्लाक के अफसर तहसीलदार के पास भेज देते हैं और खूब रिश्वतखोरी होती है और महीनों लग जाते हैं। तहसीलदार लेखपाल के पास भेज देता है। फिर तकावी वक्त पर नहीं मिलती। इसलिये एकीकरण होना चाहिये।

एक चीज देखी जा रही है कि चक रोड जो चकबन्दी में बने है, सब का खात्मा हो गया, जब कि इतनी देर से बने। यह काम अच्छा हुआ था, मैं उसकी तारीफ करता हूं। अगर आज वह अच्छे रूप में दिखाई देते तो उनसे बड़ा फायदा होता, लेकिन उनका खात्मा हो गया। उससे फिर चकबन्दी का कोई निशान नहीं रह जायगा। इसलिये मंत्री जी से चाहूंगा कि चकरोड्स का फिर से निर्माण कराया जाय और वह रुपया दे जिससे यह दिक्कत दूर हो जाय यह नक्शा गलत है। नक्शे के मुताबकि कहीं कोई चक नहीं है। जहां लाखों की तादाद में मुकदमें चल रहे थे उनको कम करने की कोशिश की गयी। आज भी सैदपुर का जीता जागता प्रमाण है। आज रेकार्ड्स और चक ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की है। कंसालिडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट के मुताबिक सरकार ने कागजात तैयार नहीं किये, क्योंकि उस पर टैक्स सरकार ने किसानों से वसूल किया। सरकार ने रुपया लिया है और फिर भी रेकार्ड्स ठीक नहीं हुआ तो उससे सरकार का बहुत ही निकम्मापन साबित होगा।

*श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय कई रोज से जो यहां बजट भाषण सुनने को मिले है तो कुछ ऐसे साथियों ने जिनके लिये अगर मैं यह कहूं कि वह समाज विरोधी ग्रुप के है, समाज का शोषण करना जिनका पैतृक धंधा रहा है, उनके मुंह से भी सुना कि कांग्रेस समाजवाद लाने में असफल हो रही है, सरकार निकम्मी बन रही है, तो ऐसा मालूम हुआ कि समाजवाद आने में अब देर नहीं रह गयी। इसलिये कि समाजवाद की उपयोगिता है और विपक्ष वाले भी उसको समझने लगे हैं। वे लोग जो सदा समाज को रौंदते रहे हैं, उनके खून पसीने से फायदा उठाते रहे हैं, आज वे लोग भी समाजवाद का नारा लगाने लगे हैं। कांग्रेस ने जब जमींदारी खत्म की, तो हुआ क्या? जो जमींदार थे वे कुछ तो जनसंघ में चले गये, कुछ सोशलिस्ट पार्टी में चले गये कुछ और पार्टीज में चले गये। आज यहां बैठ कर एक ही काम करते हैं और वह यह कि कांग्रेस को गाली देते हैं, कहते हैं कांग्रेस ने यह नहीं किया, कांग्रेस ने वह नहीं किया। (व्यवधान) मालूम होता है सारी गरीबी को मिटाने का ठेका विरोधी पक्ष में ही ले रखा है। जिस जमात के बल पर यह लोग मजा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठाते रहे हैं आज यह उनके हिमायती बनते हैं। इनको भी उनसे मुहब्बत पैदा हो गयी है। (व्यवधान)

एक बात यह कही गयी कि जमींदारी जो खत्म की गयी वह बिना मुआवजे के करनी चाहिये थी, जमींदारों को मुआवजा नहीं देना चाहिये था। (व्यवधान) मालूम होता है कि सारी अक्ल का ठेका विरोधी पक्ष ने ही ले रखी है। श्रीमन्, यह शोषक जमात के लोग आज गरीबों के मुआइन्दे बन कर यहां बैठे हैं। (व्यवधान) मैंने देखा है कि जब भूमि सीमा निर्धारण विधेयक यहां पर चल रहा था उस समय सोशलिस्ट पार्टी के लोग, कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग, तथा सभी विपक्ष के लोग रातों को इकट्ठा होते थे और यह सलाह करते थे कि किस तरह से हम लोगों की जमीन बचाई जाय। वे सब सलाह करते थे कि कौन सी ऐसी सीमा रखी जाय जिससे इन लोगों की जमीन बच जाय। उसमें कांग्रेस वाले भी कुछ जाते थे। उस वक्त यह खलबली मची थी कि कांग्रेस सरकार सीमा बांधने जा रही है, किस तरह से जमीन को बचाया जाय। (व्यवधान) कृपा करके मुझे बोलने दीजिये।

सोशलिस्ट पार्टी के लोग एक नारा बुलन्द करते है कि अलाभकर जोत वालों से लगान माफ कर दिया जाय। मैं श्रीमन् यह सुझाव देना चाहता हूं कि अलाभकर जोत वालों की जमीन लेकर जो भूमिहीन लोग हैं उनको वह जमीन दी जाय और उनसे बजाय २ रुपये के १० रुपये बीघा की दर से लगान वसूल किया जाय। वह जमीन आप गरीबों को दीजिये। मैं उन सब जगहों के बारे में कहता हूं, जहां के सभापति सोशलिस्ट है, वहां भी एक इंच जमीन भूमिहीनों को नहीं दी गयी है। मैं यह नहीं कहता कि चकबन्दी अधिकारियों में बुराइयां नहीं है लेकिन ऐसे भी नेता लोग हैं जो अपनी नेतागिरी कायम रखने के लिए गलत शिकायत करते हैं और गलत लोगों का समर्थन करते हैं। एक जगह तो ऐसा किया कि जमीन में सिंचाई कर दी गयी है और पेड़ों की हरी डाल काट कर उसमें गाड़ दी गयीं और कहा गया कि यहां तो हमारा बाग लगा हुआ है। (एक आवाज यह कांग्रेसियों की ओर से होता होगा)। हां, जब इस तरह का काम कांग्रेस में रह कर न हो सका तो सोशलिस्टों में वह चला गया।

श्रीमन्, मेरा कहना तो है कि यह चकबन्दी का जो काम हुआ है किसानों के हक में इससे अच्छा काम आज तक कोई नहीं हुआ। हां, उसको ध्वस्त करने के लिये कुछ विरोधी जमाअतों ने कुछ राजनीतिक हथकंडे और ऊल-जलूल तरीके अपनाये और दोषी चकबन्दी के अधिकारियों को ठहराने की कोशिश की। मैं नहीं कहता कि अधिकारियों में बिलकुल दोष नहीं है। वहां भी ऐसे-ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने कुओं की कीमत ३०—४० रुपया लगायी है जब कि वह जानते हैं कि ३० रुपये में एक गड्ढा भी नहीं खुद सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि ३० रुपया कीमत वह कैसे लगा देते हैं। इस ओर रेवेन्यू अधिकारियों का ध्यान शीघ्र जाना चाहिये कि मूल्यांकन में जो अधिकारी गलती करते हैं, वे न किया करें।

इसके अलावा बहुत से जाली काम भी होते हैं। मैंने इस बारे में कई बार अधिकारियों स अनुरोध किया। चकबन्दी में रिश्वतखोरी रोकने के लिये मेरा एक सुझाव है कि जिस अधिकारी के खिलाफ रिश्वत की शिकायत हो उसको वहां से तब्दील कर दिया जाय, चाहे वह शिकायत गलत ही क्यों न हो। अगर उसका ट्रान्सफर वहां से कर दिया जायगा तो लोग यह सोच कर कि चकबन्दी में रोज ट्रान्सफर हो जाते हैं, उसको रुपया देना बन्द कर देंगे। यह भी बात नहीं है कि उसमें हम लोगों का कोई दोष न हो। हम भी अपने स्वार्थ के लिये कई तरह के तरीके अपनाते हैं। कानपुर की ही एक मिसाल है। एक शख्स के कोई लड़का नहीं था। अपने भतीजे के नाम वह जमीन को करना नहीं चाहता था। उसने वह जमीन अपने भांजे के नाम कर दी। भतीजे ने किसी प्रकार से लेखपाल को रुपया देकर उस जमीन पर अपना कब्जा लिखा लिया। हजार दो हजार खर्च कर के जिला स्तर पर मुकदमा जीत लिया और जब वह डी० जी० सी० के स्तर पर

[श्री ज्वाला प्रसाद]
आया तो लखनऊ चले आये और डिप्टी डायरेक्टर के यहां पहुंचे और वहां पर भी हजार, दो हजार खर्च कर के मुकदमा जीतने की कोशिश की लेकिन वहां के एक उच्च अधिकारी ने उन को धक्का देकर निकाल दिया और कहा कि हम यह काम नहीं करते। मैं आप से कहूंगा कि आज गांव समाज की जमीन की ऐसी छीछालेदर हो रही है और कोई भी सुधार एस० डी० ओ० यह तहसील-दार की तरफ से नहीं हो रहा है।

एक और बात की तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि हमारे यहां जमुना के किनारे ऐसी मिट्टी बाढ़ से छूट जाती है। कि जिसको जोतना भी नहीं पड़ता और उस में बहुत अच्छी पैदावार होती है। उसको ऐसे लोग जो धमकाने वाले हैं, ठाकुर जमात वग़ैरा के लोग, जबरदती जोत लेते हैं। इस को सब हाकिम जानते हैं और कानूनगो, तहसीलदार अमीन भीमन् सब को मिला लेते हैं और उन से दस बीस मन का वादा करा लेते हैं। और पचासों बीघा जमीन पर इस तरह से कबजा कर लेते हैं। कानपुर में ही एक लाख की क्षति जमुना किनार मौलैया भूमि से हुई है। वह भूमि किन्हीं भूमिहीनों को, दे दें हरिजनों को बाम्हणों को या ठकुरों को या उग्रसेन जी को ही दें दे तो उनके खानदान का भी भला हो सकता है बजाय इसके कि सोशलिस्ट बनकर बड़े बड़े किसना उस पर कब्जा कर लें। इस से वहां के गरीब किसानों का भला हो सकता है। इन विचारों के साथ में अन्त में मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा---

माननीय सदस्य नोट कर लें (व्यवधान)

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष से....

श्री ज्वालाप्रसाद---

आप ऐसे ही समाजवादी हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---

ज्वाला प्रसाद जी आप बैठें। दोनों साहब बैठें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

आप बैठ जाइये। वर्ना क्या यहां भी बंगाल की असेम्बली हो जायगी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

दयाराम जी, आप अपना भाषण जारी करिये।

श्री दयाराम शाक्य---

उपाध्यक्ष महोदय, दोनों पक्षों से इस तरह स जो उग्रता स बात आ रही है वह अच्छा नहीं है। बजाय इस के कि जो अच्छाइयां है और बुराइयां हैं उन पर ठीक से प्रकाश डाला जाता, मैंने आज सरकारी पक्ष के कई भाषण सुने तो मुझे दुख हुआ कि उधर के लोग सब अच्छा ही अच्छा देखते हैं। यह अपने मुंह मियां टिट्ठू बनदे की बात है। यहां पर हम इसलिये एकत्र होते हैं कि किसी चीज के पक्ष और विपक्ष में, उस की अच्छाई और बुराई दोनों पहलुओं पर विचार करें ताकि दोनों पक्ष आ जायं और बीच का एक रास्ता निकले। इसीलिये हम यहां विभागों की नीति पर विचार विनिमय करते हैं कि जो बुराइयां हैं वह प्रकाश में आवें और दूर हों।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहूंगा कि चकबन्दी का कानून बनाया गया लेकिन उसकी उपयोगिता जो सोची गई थी वह पूरी नहीं हुई। सोचा गया था कि हम एक सीमा निर्धारित करेंगे और जो जमीन उससे बचेगी वह भूमिहीन किसानों के काम आयेगी और उस म अब

उपजने से अन्न की समस्या हल हो जायगी। परन्तु यह देखा गया है कि उस समय बड़े बड़े लोगों को मैकेनाइज्ड फार्म के नाम पर काफी जमीन छोड़ दी गयी जिन पर आज भी वे खेती कर रहे हैं। मेकेनाइज्ड फार्म्स का सब को अनुभव है कि उनमें फसल बहुत कम पैदा होती है और वास्तविक उद्देश्य जो अधिक अन्न पैदा करने का था वह पूरा नहीं हो पाता है। जिन लोगों पर ६०-६१ में वृहत जोतकर लागू हुआ अगर उन्होंने सन् ५९ में किसी दूसरे काश्तकार को दे दी और वे भूमिधर हो गये और आज सन् ६६ तक भी भूमिधर हैं भूमि की सीमा के निर्धारण में उनकी भूमि गिनी जानी चाहिये थी पर उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिये। बड़े बड़े काश्तकारों की भूमि में से ही पूरी भूमि की सीमा निर्धारण के बाद सीमा के बाहर की भूमि ली जानी चाहिये परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है और काश्तकारों को तरह तरह से परेशान किया जाता है।

चकबन्दी का बहुत राग अलापा गया। जिस उद्देश्य से चकबन्दी की गयी वह तो यह था कि सब खेत एक साथ अलग अलग एक एक चक के अन्दर इकट्ठा हो जायेंगे और इससे खेती की फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी लेकिन वह उद्देश्य आज पूरा नहीं हो रहा है। आज चकबन्दी की आड़ म काश्तकारों को परेशान किया जाता है, उनको लूटा खसोटा जाता है। इसलिये इन सारी बातों को सरकार को तथा माननीय मंत्री महोदय को देखना चाहिये। डाइरेक्टरेट का एक आर्डर चकबन्दी डिपार्टमेंट को जाता है कि इतने प्लाट्स की चकबन्दी हो जानी चाहिये लेकिन अधिकारी इस बात का खयाल नहीं करते कि इतने दिनों के अन्दर इतने प्लाट्स की चकबन्दी हो सकेगी भी या नहीं। इस तरह से उनके ऊपर एक तरह से लाद दिया जाता है कि वे इतने खेतों के चक जरूर बनावें। इसका नतीजा यह होता है कि नक्शा वहां से बन कर आ जाता है कि इतने प्लाट्स पर चक बन गये लेकिन मौके पर जाकर देखा जाय तो मालूम होता है कि सारे रेकार्ड्स गलत हैं। यही कारण है कि किसी का प्लाट्स २ बीघा कम है तो किसी का एक डेढ़ एकड़ ज्यादा है और इसी को लेकर तमाम मुकदमे-बाजी चल रही है। इसलिये सरकार को इस बात को भी देखना चाहिये कि उसकी उपयोगिता ठीक है या नहीं है। सरकारी पक्ष और मंत्री महोदय तथा सारे डिपार्टमेंट को यह देखने की कोशिश करनी चाहिये कि काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। तभी हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। गांवों के अन्दर बहुत सी भूमि भूमिहीनों को देने के लिये तथा जिनके पास मकान नहीं है, उनके लिये मकान बनाने के लिये छोड़ी गयी थी लेकिन वह भूमि भी उनको न देकर बड़े-बड़े काश्तकारों को दे दी गई है। इस तरह से इन सारी बातों को भी देखना चाहिये लेकिन वह नहीं किया जाता।

जहां तक लैंड एक्वायर करने की बात है, किसानों की अच्छी उपजाऊ जमीन किसी न किसी बहाने ले ली जाती है और उसका मुआवजा बजाय मारकेट रेट से देने के मनमाने रेट से सरकार देती है। मेरे सामने ऐसे भी उदाहरण मौजूद है कि जिस भूमि की कीमत १,२०० रु० बीघे थी उसे ६५० रु० एकड़ के हिसाब से मुआवजे के नाम पर दी गयी और काश्तकारों से दो दो साल तक लगान भी लिया जाता रहा।

जमींदारी उन्मूलन की बात बहुत कही गयी है। जमींदारी उन्मूलन के बाद से जनसंघ बराबर यह कहता रहा है कि काश्तकारों का लगान आधा होना चाहिये लेकिन जिस तरह से पहले बिचौलिये किसानों को लूटते थे उसी तरह से यह सरकार भी बिचौलिया बन कर उनको लूटती व परेशान करती है। जिस तरह से पहले बड़े-बड़े जमींदार बिचौलिया बन कर किसानों को ठगते थे उसी तरह से यह सरकार भी स्वयं ठग बन बैठी है। पहले यह मालगुजारी ८ करोड़ के करीब थी परन्तु अब यह २४ करोड़ के करीब वसूल की जा रही है। जनसंघ हमेशा से मांग करता रहा है कि आप इसे आधी वसूल कीजिए और इसको १२ करोड़ तक लाइये लेकिन इसको हमारी सरकार नहीं मानती है। आपातिक अधिभार के नाम पर कर

[श्री दयाराम शाक्य]

लगाया जाता है। देश में इस समय संकट टल गया है हमारी सेनाएँ वापिस आ रही है, और शांति की व्यवस्था हो गयी है तो इस भार को प्रदेश के किसानों से हटाना चाहिए। जहां पर हमने हजारों व्यक्तियों का बलिदान किया और अरबों की सम्पत्ति बरबाद की और अब शांति हो गयी है तो समझ में नहीं आता कि इस कर का अब और क्या औचित्य रह जाता है। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जिस प्रकार रुपया जमा करने पर पास बुक बनती है, रेडियो का लाइसेंस प्राप्त करने पर एक किताब बनती है, उसी प्रकार अगर हमारी सरकार किसानों के लिए किताब बनवा दे जिसमें भूमिधरी और सीरदारी का मूल्यांकन हो जाय तो मैं समझता हूं कि हमारे किसान को किसी प्रकार का कष्ट न हो। उसको तकावी मिलने में भी कोई तकलीफ न हो।

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

अगर ट्रान्सफर करदे तब क्या होगा ?

श्री दयाराम शाक्य---

उस समय आपका जो रेवेन्यु अफसर है उसे काट दे और इंदराज करदे। यदि ऐसा कर दिया जाय तो किसान भी विश्वस्थ हो कि यह उसकी भूमि है और तब वह खेती की प्रगति में पूरा प्रयास करेगा। तभी वह मेहनत भी करेगा और सोचेगा कि हमें पैसा मिलेगा। अन्त में मुझे कहना है कि जीवन का बीमा होता है। अगर किसान की फसल का भी बीमा हो जाय तो अनावृष्टि, अतिवृष्टि होने पर भी उसको विश्वास रहेगा कि उसको पैसा तो अवश्य मिल ही जायगा और उस सूरत में वह मन लगाकर और मेहनत करके अपने खेतों पर काम करेगा और उपज को बढ़ाने का प्रयास करेगा। इससे हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या का भी हल होगा और प्रदेश उन्नति भी करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने बृहत जोतकर, भू-राजस्व और दुर्भिक्ष सहायता के लिये जो अनुदान की मांगें प्रस्तुत की हैं, उसका समर्थन करने के लिये तथा माननीय भीखा लाल जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, स्वतंत्रता के पश्चात् देश और प्रदेश के सामने एक बहुत जटिल समस्या आयी और वह थी भूमि सुधार की। इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि माननीय शास्त्री जी ने कहा, कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर उत्तर प्रदेश जैसा काम हुआ हो। केवल इधर के ही सदस्य नहीं बल्कि उधर के भी सदस्य स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भूमि सुधार करने के लिये क्रांतिकारी कदम उठाये हैं, वे बहुत प्रशंसनीय हैं और अनोखे किस्म के हैं। वास्तव में जमींदारी विनाश, अधिकतम जोत सीमा और सीलिंग आदि की जो हमारे यहां पर व्यवस्था की गयी है, उससे उन किसानों को जो लाखों की तादाद में हैं, जमींदारी और ताल्लुकेदारों और शोषण करने वाले लोगों के दबाव से मुक्ति मिली है। केवल यह ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे अन्दरूनी कानून बनाये गये हैं जिनसे किसानों को उनसे राहत मिली है। अभी पिछले वर्ष माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह व्यवस्था कर दी है कि जो पटवारी को इन्दराज करने का अधिकार था वह जुलाई १९६५ से समाप्त कर दिया गया है। अब सुपरवाइजर कानूनगो ही मौके पर जाकर दोनों पक्षों की सुनवाई करके इन्दराज करेगा इससे जनता को काफी राहत मिली। हां, इससे यह जरूर हुआ कि वकीलों का बाजार कुछ कम हुआ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, लेकिन जनता को फायदा हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं माल मंत्री जी को बधाई देता हूं। प्रदेश में २० वर्ष में इतने कठिन समय आये, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला, बाढ़, अनेक प्रकार के संकट आये लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि मंत्री जी के विभाग के अच्छे प्रबन्ध के कारण कोई आदमी भूखा नहीं मरा। माननीय उग्रसेन जी अखबार में निकलवा दें कि फलां जगह इतने आदमी भूख से मर गये, लेकिन जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार के राज्य में एक आदमी भी भूख से नहीं मरा।

चकबन्दी से किसानों को काफी राहत मिली है। हमारे प्रदेश के आर्थिक ढांचे का संबंध जमीन से है और इस जन प्रिय सरकार ने इस जमीन के मसले को सुधारने का ही इन्तजाम किया। समाजवादी समाज में यह भी एक काम है, एक रास्ता है। माननीय राधे श्याम जी को चकबन्दी योजना में जो बुराई दिखाई देती है वह योजना के कारण नहीं है बल्कि समाज के गिरे हुए नैतिक स्तर के कारण है। गरीबों की भलाई के लिये जो राजस्व विभाग से कदम उठाये जा रहे हैं उनसे गरीबों का शोषण करने वाले जो दल हैं, जैसे स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ दल उनको अवश्य तकलीफ है, लेकिन जन साधारण का भला ही हुआ है।

माननीय राधे श्याम जी ने कहा था कि जहां चकबन्दी हो रही है वहां से कांग्रेस लौट कर आने वाली नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है कि यही कांग्रेस की सच्चाई को प्रकट करता है कि देश की भलाई के लिये वह कटु से कटु काम भी जनता की भलाई के लिये करने को तैयार है और मेरा तो विश्वास है कि अगले चुनाव में माननीय राधे श्याम की पार्टी की संख्या और भी कम हो जायगी। चकबन्दी से पैदावार बढ़ी है।

अब मैं कुछ बात अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। उधर से कहा गया कि अधिभार जो लगा हुआ है उस को वापस लिया जाय क्योंकि इमरजेंसी अब नहीं रही। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इमरजेंसी राष्ट्रपति जी ने २६ अक्तूबर, १९६२ को घोषित की थी और उसका होना या न होना केंद्रीय सरकार पर निर्भर करता है। बड़ी चर्चा आपातिक अधिभार की की गई। श्रीमन्, मैं भी ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो माननीय राधेश्याम जी के क्षेत्र से बहुत पिछड़ा हुआ है, वह आदिवासियों का क्षेत्र है, और जो प्रश्न उठाया गया है कि इमरजेंसी नहीं है इस से मैं इत्तफाक नहीं करता हूं। आज देश को सुदृढ़ बनाना है। हमने पिछली तीन योजनाओं में खर्च किया है और दूसरी स्टेट्स को देखते हुए बहुत कम खर्च किया है। हमको अपनी आर्थिक उन्नति करनी है, उद्योग धंधों को बढ़ाना है, सैन्य बल बढ़ाना है और सैकिड डिफेंस लाइन को मजबूत करना है, तो मालगुजारी के टैक्स की मुखालिफत करना कहां तक उचित है। अलाभकर जोतों का टैक्स माफ होना चाहिये, यह मैं मानता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यही मनवा दीजिये माननीय माल मंत्री जी से।

श्री रामप्यारे—

मैं आपकी बातों से इत्तिफाक नहीं करता। मैं दो तीन बातें दुद्धी क्षेत्र की कहना चाहता हूं। एक क्षेत्र में वहां अब भी १०७ बंधियां हैं। सरकार की तरफ से उनके लिये अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। कुछ को सिंचाई विभाग ने लिया भी है। बहुत सी बंधियां जनता के लिये उपयोगी हो सकती हैं अगर माननीय राजस्व मंत्री जी उनके लिये कुछ पैसा दें। राजस्व विभाग की ओर से कुछ प्राइमरी स्कूल चलते हैं। उन स्कूलों को राजस्व मंत्री जी शिक्षा विभाग को दे दें। यह जन प्रिय सरकार अनेक प्रकार के उद्योग धंधे भी चला रही है। रिहन्द डेम, सोडा ऐश फैक्ट्री, सीमेंट फक्टरी और ओवरा थर्मल स्टेशन, यह सब इसी सरकार द्वारा बनाये गये हैं। इन सब चीजों के लिये जो जमीन

[श्री रामध्यारे]

सरकार जनता की लेती है उसके लिये राज्यपाल के अभिभाषण में तथा वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो पुराना लैन्ड एस्सीजीशन था उसमें वह सुधार ला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उसमें सुधार हो और वह किसान जिनके घर बार छूट रहे हैं, साधनहीन हो रहे हैं, उनको सुविधा प्राप्त हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्री रामकुमार शास्त्री जी के भाषण के बाद मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अब राजस्व विभाग में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो ही नहीं सकता। यह बात सही है कि जनता जमींदारी प्रथा से नाराज थी, परेशान थी और सब लोग चाहते थे कि यह टूटे । सन् ३६ में एक कृषि जांच समिति कांग्रेस ने बनाई थी जिसके सदस्य स्वर्गीय पंत जी, टंडन जी तथा शास्त्री जी थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसान के ऊपर मालगुजारी का उतना ही बोझ होना चाहिये जो खर्च के बाद बचे और उस बचत में से २५ फीसदी से वह अधिक न हो । अब जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी बात सही मानी जाय, जो कांग्रेस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, जिसकी बिना पर स्वराज्य हासिल किया और किसानों को मृग मरीचिका में रखा या जो टैक्सों में वृद्धि कर रहे हैं ? इनमें से कौन सी बात सही मानी जाय ?

दूसरे दस गुने वसूली की बात छोड़िये । दस एकड़ से मालगुजारी उठा लेने की बात सोशलिस्ट पार्टी कहती चली आ रही है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अत्यावश्यक है किसानों के ऊपर से मौजूदा लगान का बोझ कम करके अलाभकर जोतों को लगान से बरी किया जाय । क्या माल मुहकमा ने इस ओर कोई कदम उठाया है ? अब मैं यह सोचने लगता हूं कि हमारे यहां के किसान दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में धनी हैं या गरीब तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि गरीब हैं । यहां पैदावार कम होती है और मालगुजारी तथा सिंचाई का भार और प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा है । तो फिर मंत्रिगण इस रिपोर्ट को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं ? जो अबवाब लगान बढ़ा है उससे सरकार को २७ करोड़ की आय है । उत्तर प्रदेश पर इतना कर्जा है कि इसको २४ करोड़ रुपया सालाना ब्याज का देना पड़ता है बृहत जोतकर कानून कब बना और कितने एकड़ जोतने वाले किसानों से यह लगान लेते हैं ? इससे केवल ५० लाख रुपये की आय होती है । इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिये और सही माने में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो बृहत जोतकर को बढ़ाना चाहिये ।

आज वस्तुस्थिति यह है कि पंजाब का किसान हमारे प्रदेश के किसान से धनी है । महाराष्ट्र का किसान यहां के किसान से धनी है। वहां मालगुजारी २ रुपये ५५ पैसे और १ रुपया ९८ पैसे और हमारे यहां ६ रुपये २० पैसे हैं । यही सरकार का समाजवाद है ! किसानों की क्या हालत है ? उनके ऊपर करों का भार बढ़ता चला जा रहा है । इस समय हमारे यहां की आबादी साढ़े सात करोड़ है जो १९६१ में ८ करोड़ २४ लाख होने वाली है और १९७१ में ८ करोड़ ९० लाख होने वाली है । इसके अलावा प्रतिशत यह है कि पांच आदमियों के परिवार पर ०७ प्रतिशत अच्छी खेती है और डेनमार्क में ४० और अमरीका में १४५ है। अगर सही माने में सरकार गल्ले का उत्पादन बढ़ाना चाहती है तो उसको यह करना पड़ेगा कि अलाभकर जोतों को लगान से मुक्त कर दिया जाय । दूसरे, किसानों को सस्ते सिंचाई के साधन दिये जायं । दूसरे प्रदेशों में जो सिंचाई का भार किसानों पर है मुकाबला करते हैं तो बड़ा फर्क पाते हैं । उद्योग धंधों में बिजली सस्ती देते हैं और किसान को महंगी देते हैं मालगुजारी बिलकुल माफ कीजये । खेतिहर आमदनी पर अगर टैक्स लगें तो बड़े काश्तकारों को ज्यादा देना पड़ेगा और छोटे काश्तकारों को भार से मुक्त होना पड़ेगा । अगर इस तरह हो तब किसानों का कुछ बोझ हल्का होगा ।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्री कृषक परिवार के हैं। अपने को कहते हैं कि आप लोगों की तरह मैं भी हूं। उनका दिल शायद इस बात का समर्थन करेगा कि उनकी सरकार की ओर से जो अबन्निया मालगुजारी बढ़ाई गयी है वह किसानों को राहत देने वाली नहीं है। इस सदन में बैठने वाले ९९ फीसदी सदस्य इस मत के हैं कि इस अधिभार को हटा लेना चाहिये और अपने को तथा आठ करोड़ जनता को धोखा नहीं देना चाहिये। आपने बिना जनता की इच्छा के, पाकिस्तान की लड़ाई के समय, यह अधिभार लगा दिया उसको वापस लेना चाहिये। नहीं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर सरकार जनता की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करेगी तो हम मजबूर होंगे, इधर के बैठने वाले मजबूर होंगे कि इस बढ़े हुए कर के खिलाफ संघर्ष करें और सरकार को मजबूर करें कि इस काले कानून को वापस लें।

श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माल मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारे माल मंत्री महोदय ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जो क्रांतिकारी योजनायें निकालीं, जैसे जमींदारी विनाश योजना, चकबन्दी योजना, इसमें कोई शुबहा नहीं कि वे योजनायें काश्तकारों के लिये बहुत फायदेमन्द हैं। हो सकता है कि उनके कार्यान्वयन में कुछ गलतियां हों लेकिन ऐसा नहीं है कि उन योजनाओं से काश्तकार लाभान्वित न हो। जमींदारी विनाश योजना से काश्तकारों को कितना लाभ हुआ है। बस गुना देने के बाद अपनी जमीन पर पूरा हक हो गया। वह बेदखल नहीं हो पाता। जमींदारी प्रथा के समय काश्तकार इससे बड़ा परेशान था कि हर आठवें दसवें साल उसकी बेदखली हो जाया करती थी। अब वह बेदखल नहीं हो सकता। काश्तकार समझता है कि यह मेरी मालियत है उसकी वजह से तरह तरह की तरक्की करता है और पैदावार को बढ़ाता है। इसी तरह से चकबन्दी योजना में भी जब किसान को एक चक मिलता है तो पैदावार भी बढ़ा सकती है और उसके प्रबन्ध में भी सुविधा होती है। मैं मानता हूं कि कुछ कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत अवश्य है जिस की तरफ माननीय माल मंत्री ध्यान देंगे लेकिन चकबन्दी योजना से किसान को लाभ है।

इसके अलावा मैं चूंकि ऐसे क्षेत्र से आता हूं, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है बुन्देलखंड का और वहां पर किसान बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वह इस कानूनी दायरे को समझ नहीं पाते हैं। इस कानून वाले युग में बे-पढ़े लिखे आदमी के लिये बड़ी दिक्कत है कि वह सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों का फायदा उठा सकें। हमारे यहां एक स्टेट चरखारी थी, जिसका अब मरजर हो गया है। चरखारी तहसील में जो भमि स्टेट में पहले थी वहां पर हर तीसरे चौथे साल पहले बन्दोबस्त किया गया था और उसमें उनका लगान बढ़ाया गया था, वह लगान इतना अधिक बढ़ाया गया था कि आजकल उनका लगान स्टेट से बाहर वालों के लगान से १० गुना अधिक है। तो इस तरह से बेचारे किसानों को बड़ी दिक्कत है और इसके लिये मैंने कई बार मंत्री जी को लिखा और इस पर सदन में बोला भी, लेकिन इस तरफ माननीय मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तमाम जमीन उनकी सीलिंग में निकल गयी, क्योंकि सीलिंग में यह तरीका था कि लगान पर सीलिंग की गयी थी। इसलिये सीलिंग में भी उनका नुकसान हुआ है। उनका अधिक भार बढ़ा हुआ है, वह इस भार को सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस पर ध्यान दिया जाये।

इसके अलावा हमारे यहां बहुत सारे झगड़े इस कारण से होते हैं कि १८-२० सालों से वहां पर कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ है। इसका नतीजा यह है कि सारे काश्तकार एक दूसरे से मेड़बन्दी और हदबन्दी को लेकर झगड़े कर रहे हैं। इसकी वजह से वहां पर रोज रोज झगड़े होते हैं, फौजदारियां होती हैं, कत्ल होते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर बुन्देलखंड के अलावा शायद ही कोई ऐसी दूसरी जगह हो जहां पर इतने अधिक कत्ल होते हों। उसका

[श्री मदनपलासिंह]

खास कारण जमीन के झगड़े हैं, क्योंकि वहां पर जमीन की हदबन्दी नह हुई है। हदबन्दी की यह हालत है कि यदि कोई काश्तकार कराना चाहता है तो उसके पास ५०० रुपया होना चाहिये। छोटे छोटे किसान गरीबी के कारण इस काबिल नहीं हैं कि वह रुपया देकर हदबन्दी करायें। नतीजा यह है कि बड़े बड़े काश्तकार छोटे छोटे काश्तकारों की जमीन पर काबिज हो जाते हैं। बड़ा किसान छोटे किसान के रकबे पर काबिज हो जाता है जब कि वह लगान कम देता है और भूमि अधिक जोतता है। इस प्रकार छोटे किसान का रकबा जो कि लेखपाल के कागजात में लिखा हुआ है, कम हो जाता है, जबकि लगान उसको अपने पूरे रकबे का ही देना पड़ता है। इसलिये वहां का सेटेलमेंट जल्द करा दिया जाये, नहीं तो बड़ी परेशानी होगी।

ज्यादातर वहां के लोग लट्ठबाज हैं, उसकी वजह से गांवसभाओं के प्रधान पट्टा कर देते हैं जो कि भूमिहीनों को ही पट्टा किया जा सकता है भूमिहीनों को बड़े बड़े किसानों के लट्ठ के डर से गांवसभाओं के प्रधान से भूमि नहीं मिल पाती है, वे भूमिहीन ही रहते हैं। अगर किसी तरह से उनका पट्टा भी हो जाता है और वह सही तरीके से अपने पट्टे पर काबिज हो जाते हैं, तो हर साल उनकी फसल उजाड़ दी जाती है। उसका परिणाम यह होता है कि वह बेचारे दो चार साल तक उस जमीन का लगान देने के बाद जब कोई पैदावार नहीं पाते हैं, तो बेचने के लिये मजबूर हो जाते हैं। गांव समाज से जिन भूमिहीनों के नाम पट्टा हो जाता है, उनमें से ७० परसेन्ट लोग अपनी जमीन बेच डालते हैं, वह इसके लिये मजबूर हो जाते हैं, उनके सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रहता है इसलिये कि जो ऐसा कानून है, मंत्री महोदय ने जो सुविधाएं दी हैं कि १० एकड़ से जो ८ एकड़ सुरक्षित भूमि कर दी गयी है,उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। भूमिहीनों के नाम पट्टा किया जाए, उसके साथ इस बात की भी व्यवस्था कानून में की जाए कि उनकी जमीन न बिक सके। ऐसी व्यवस्था हो जाने से लोग उनकी जमीन हथियाने के लिये उन्हें परेशान नहीं करेंगे क्योंकि वह अपनी जमीन बेच नहीं सकते। इसलिये जब तक उसमें प्रतिबन्ध न लगाए जाए गांव समाज का जो पट्टा किया जाए, उनको बेचा न जाए, जिससे वह जमीन गांव समाज की बनी रहे और भूमिहीनों के पास बनी रहे वरना इस तरीके से यह हो रहा है कि सारी जमीन जो ग्राम समाज में थी बड़े-बड़े काश्तकारों ने छोटे छोटे भूमिहीनों से उसका बयनामा करा लिया और वह सारी की सारी जमीन उन्हीं के पास पहुंच रही है। उनके लिये कानूनी बंदिश है लेकिन उसके उपाय उन्होंने निकाल लिये हैं और अपने भान्जे, अपने नौकर और अपने लड़कों के नाम सारे बयनामे कराये जाते हैं और इस तरह से सारे ग्राम समाज की जमीन बड़े-बड़े आदमियों के हाथ में जा रही है और कानून की मंशा पूरी नहीं हो रही है। इसलिये मेरा बारबार निवेदन है कि दो काम आप कर दें। एक तो यह कि ग्राम समाज की जमीन जो पट्टे पर दी जावे वह बेची न जा सके। दूसरे हमारे यहां की जमीन का लगान इतना असंतुलित है कि एक काश्तकार की किसी जमीन का लगान १० रुपया है और दूसरे काश्तकार की उसी किस्म की जमीन का लगान ९० रुपया पड़ता है। इस असमानता को कम करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। माल मंत्री महोदय को मैं इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो अनुदान पेश किया है वह बहुत ही उचित व अच्छा है।

श्री भीखालाल---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने हमारे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। सरकारी पक्ष के भी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं जिन्होंने शिष्टाचार के नाते तो कह दिया कि वे विरोध करते हैं लेकिन अपन भाषण में उन्हीं विचारों का समर्थन किया जो बातें मैं कह रहा था। यह सदन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं और उसमें बैठनेवाले जो माननीय सदस्य हैं, वे जनता की भावना सदन में व्यक्त करते हैं। लेकिन एक माननीय सदस्य रामलखन जी शुक्ल को छोड़कर सभी लोगों ने मेरा समर्थन किया और बढ़े हुए लगान का विरोध किया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

और श्री रामप्यारे जी ने आपका विरोध किया।

श्री भीखालाल—

रामप्यारे जी ने भी आपको क्लेकें चेक नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर छोटे काश्तकारों पर से बढ़ा हुआ लगान हटा लिया जाय तब वे उसका समर्थन कर सकते हैं। अगर आप जनता की भावनाओं की कद्र करते हैं तो आपको इस सदन की ओपीनियन की कद्र करना चाहिये और निर्भीकतापूर्वक यहां खड़े होकर एलान करना चाहिये कि यह सवाया लगान जो हमने बढ़ाया था वह वापस लेते हैं। जहां तक देश और प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय संकट के दौरान में इस देश और प्रदेश की जनता और सब लोगों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि सरकार के मुकाबले में कोई भी व्यक्ति देश रक्षा में पीछे नहीं है और हमारे देश का किसान भी सचेत है और देश की सुरक्षा के लिये अपना घर द्वार सब बलिदान करने को तैयार है, अपने देश की सार्वभौमिकता की रक्षा के लिये सब कुछ अर्पण करने के लिये तैयार हैं जब उसकी आवश्यकता होगी। लेकिन जब आवश्यकता नहीं है तब इस तरह का अधिभार लगा देना, मैं समझता हूं कि न्यायसंगत नहीं है। शास्त्री जी को हमारी दो बातों से बड़ी शिकायत है। पहली बात तो यह है कि हमने कहा था सरकार ने भूमि सुधार के बारे में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया है। जो मैंने कहा था वह अब भी कहता हूं कि जिस क्रान्ति को मंजिल पर इन भूमि सुधारों के जरिये पहुंचना चाहते थे उन पर नहीं पहुंचते हैं। आज १३ या १४ साल हुये जमींदारी खात्मा हुआ। उससे बहुत से लाभ हुये लेकिन एक आशा जो पूरा प्रदेश कर रहा था कि इस जमींदारी खात्मे से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा, वह आशा पूरी नहीं हुई। माननीय शास्त्री जी कहते हैं कि हम शनैः शनैः बढ़ रहे हैं। १४ साल से शनैः-शनैः बढ़े होते तो बहुत आगे बढ़े होते लेकिन आगे बढ़े नहीं हैं। जब बढ़े नहीं हैं तो यह मानना पड़ेगा कि कहीं पर कमी है। कमी यह है कि हमारा उद्देश्य कि जोतने वाले को जमीन मिले पूरा नहीं हुआ है। अगर यह पूरा नहीं हुआ है तो हम उस मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर हम पहुंचना चाहते थे।

दूसरी बात जिस पर शास्त्री जी को एतराज है वह यह है कि मैंने जो कहा है कि सरकार की नीति जमींदारों से समझौता करने की नीति रही है। जो नीति जमींदारी के खात्मे के वक्त थी वह आज भी बड़े भूस्वामियों के साथ जारी है। बड़े बड़े काश्तकारों के साथ समझौता करने की नीति है, इस बात को मैं आज भी दोहराता हूं और यह बात शास्त्री जी के भाषण से ही स्पष्ट हो जाती है। शास्त्री जी ने अपने भाषण में बताया कि हमने सीलिंग कानून बनाया और सीलिंग से १।। लाख एकड़ जमीन निकाली है जिसे सांप, विच्छू और कांटों के बीच से निकाली है लेकिन दूसरी तरफ यह कहा कि अगर हमसे यह कहा जाता है कि सोना देने वाली मुर्गी को जिबह कर दो तो यह नहीं हो सकता है। यह दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। जब जनता का दबाव पड़ता है तो आप उनको सांप, विच्छू कहते हैं लेकिन जब बड़े भूस्वामियों का दबाव पड़ता है तो आप उन को सोना देने वाली मुर्गी कह कर पालते हैं। मैं शास्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह समझौते की नीति नहीं है, तो क्या है। इसी प्रकार आपने उनके ऊपर लगान बांधने में भी रियायत की। आपने जमींदारी खत्म की। जमींदारों को सीर और खुदकाश्त दे दी। उनके लगान में रियायत कर दी। साक्तिुलमिल्कियत का हक उन को दिया गया और सरकिल रेट का एक बटा तीन लगान उन पर कायम किया। जिनको अधिवासी हक दिया उन पर सरकिल रेट का दुगुना लगान किया। इन अधिवासी काश्तकारों को भूमिधरी का अधिकार लगान का १५ गुना देकर दिया। इस तरह से आपने उन जमींदारों के साथ रियायत की। यह रियायत नहीं तो क्या है? अब आप देखें कि जिन पर सरकिल रेट का एक बटा तीन लगान लगाया गया उन पर भी ४ आना बढ़ाया और

[श्री भोखालाल]

जिन पर सरफिल रेट का गुणा किया उन पर भी आपने चार आना बढ़ाया। यह समझौते की नीति नहीं तो क्या है? इसलिये मैं माल मंत्री जी से मांग करता हूं कि आलोचना की दृष्टि से मैं यह बात नहीं कह रहा हूं। जो वास्तविकता है आपके सामने उसको रख रहा हूं। जो कमियां हैं उनको आप जांचने की कोशिश करें। अब समय आ गया है कि जब आप इन सब बातों को जांचें। इसलिये मेरी मांग है कि आप एक कमीशन बिठायें। उसमें प्रदेश के विशेषज्ञ, कृषि शास्त्री और सदन के सदस्य शामिल किये जांय जो इस बात को खोजे कि अगर हमारे भूमि सुधारों में कहीं पर कमी है, वह कैसे दूर की जाय? वह इस बात को देखे कि जो जमीन जोतने वाले को जमीन देने का नारा था उसको क्यों नहीं मिली? जो भूमि सुधार हुआ उससे किसानों को इन्सेन्टिव क्यों नहीं मिल पाया? कृषि आय का बटवारा समानता के आधार पर क्यों नहीं हो सकता है? बेरोजगार लोगों को अधिक से अधिक रोजगार क्यों नहीं मिल पाया? समाज के अन्दर जो असमानता है उसको दूर क्यों नहीं कर सके? लगान के अन्दर जो गड़बड़ी है, जो असमानता है, उस को दूर करने का क्या उपाय है और इसके अलावा वह अपनी सिफारिश करे कि किस आधार पर कानून में मौलिक परिवर्तन किये जायं।

दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में जो हमारा फैमिन का कानून है उस को हमारे माल मंत्री जी स्वयं मानते हैं कि वह बहुत पुराना है और वह अंग्रेजी जमाने का है जिसकी नियत कभी नहीं थी कि किसानों को आपत्ति काल में कोई छूट दी जाय। उसी हालत में आज भी छूट दी जाती है। मैं इस बात को मानता हूं कि दैवी आपत्ति से किसान को जो हानि होती है उस किसान को कम्पन्सेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो थोड़ी बहुत सहायता मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है। इसलिये आप उस कानून में परिवर्तन करें। मुझे शिकायतें मिली है कि पिछले साल जो सरकार ने तकावी और लगान को मुल्तवी कर दिया था पूर्वी जिलों में अब वह फिर वसूल किया जा रहा है। पिछली फसल खरीफ की बरबाद हो गयी, रबी की तैयार नहीं है। किसान के पास पैसा नहीं है तो उससे डंडे मारकर वसूली की जा रही है। उसको रुकवावें जब तक रबी की फसल तैयार न हो। लैंड एक्वीजीशन के नियम बहुत पुराने हैं। सरकार ने कमेटी बनायी थी कि उनका संशोधन किया जाय। पता नहीं कि कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी या नहीं। मेरी मांग है कि उस पर जल्द से जल्द सरकार कोई फैसला ले और जो पुराने नियम १८९४ के बने हुए हैं उनमें परिवर्तन किया जाय ताकि आज की कीमतों के अनुसार किसानों को उचित मुआवजा मिल सके और उनको राहत दिलाई जा सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को विचार के लिये रखता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले अपने तमाम मित्रों का जो इस तरफ या उस तरफ से बोले हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज बहुत संतुलित भाषा में विभाव हुआ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

भोखालाल कहते हैं कि उत्तर भी वैसे ही दीजियेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह तो सब से बढ़ कर बात करते हैं, क्योंकि वह माल विभाग में रह चुके हैं, उनसे ज्यादा कोई संतुलित भाषा बोल नहीं सकता। लेकिन बात जो उन्होंने कही उसके बारे में अपनी पोजीशन साफ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब नहले पर दहला लगावेंगे। लेकिन मैंने कभी ताश नहीं खेला, वह भले ही फ्लेश वगैरह के माहिर हों। ७३ वर्ष की उम्र में आदमी ताश में यकीन नहीं करता। ये लोग ही जोकर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि चकबन्दी खत्म कर दी जाय, लगान कम कर दी जाय। बांकेलाल ने तो डरवाया, लेकिन धमकियों में हुकुमसिंह आता नहीं और न खुशामद में कि जमींदारी हमारी अन्त हुई इसलिए हमारे साथ

रियायत हो। सभी पढ़े-लिखे हैं, हमारे मित्र हमसे ज्यादा पढ़े हैं और अक्ल रखते हैं। अगर ऐक्ट की धारा ३ पढ़ लिये होते तो हम को कहां अधिकार है कि जब तक इमरजेंसी डिक्लेयर न की जाय कि खत्म हो गयी तब तक हम ऐसा ऐलान कर दें। (जब एमरजेन्सी खत्म हो जायगी तो वह उसी क्षण बर्ष के बाद खत्म हो जायगा)। राष्ट्रपति का कोई ऐलान न हो, मैं कर दूं तो क्या बरखास्त होऊं? क्या चाहते हैं? जगदीश प्रसाद सिंह भी उसी रौ में बह गये। हमारी पार्टी ने पास किया और आपने भी किया। आप वाक आउट कर गये, हमसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। अगर यहां रहते, सुझाव देते तो हमारी अक्ल में कोई बात आती। आप चले गये तो उसके माने हैं कि आप हमारे हर माने में फुल सपोर्टर थे। इलेक्शन की वजह से जमींदारी सरकार ने नहीं तोड़ी। ताशकंद डिक्लेरेशन के बारे में जो लोग कहते हैं कि हाजी पीर से हटने से इनफिलिट्रेशन होगा तो गलत थोड़े ही कहते हैं। जो दिल के अन्दर खतरा है उसको कहते हैं। तो इन सब खतरों के होते हुये, चीनी फौजों के हमारे बार्डर्स पर होते हुये, ऐसे मक्कार देशों से हमें सावधान रहना है, और ऐसी स्थिति में यह कहना कि ४ आने वाला सरचार्ज हटा लिया जाय, यह मुमकिन नहीं है। जो गवर्नमेंट के बाहर के लोग हैं वे तो ऐसा कहते हैं, मगर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वे ऐसा नहीं कर सकते और मैं इस सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैंने भी ३०-४० साल तक किसानों की सेवा की है और हम भी उनके हमदर्द हैं। जहां कहीं जरूरत पड़ी, हमने त्याग भी किया है। और करेंगे भी। जिसमें किसानों का हित होगा हम वह करेंगे। जब तक इमरजेन्सी रहेगी, तब तक ४ आना वाला प्रोपोजल आपका हमें मान्य नहीं है। अगर टिकट मिल गया तो मैं भी उन्हीं वोटरों के पास जाऊंगा। मैंने तो अपने यहां अभी से एलान कर दिया है कि हमने यह ४ आना का जो सरचार्ज लगाया है वह अभी हटेगा नहीं। हमारे यहां तो लोगों ने कहा कि ऐसे मौकों पर तो ८ आना भी लगा दीजिये तो हमें एतराज नहीं है। अब पता नहीं, आपके यहां लोग क्या कहते हैं।

भाई बांके लाल जी ने कहा कि इसको रिपील कर दीजिये। दफा-३ वे पढ़ लें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब इमरजेन्सी खत्म होगी यह अपने आप खत्म हो जायेगा। भीखालाल जी ने कहा कि लैंड रिफार्म कुछ नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं ही नहीं, आपका कमीशन भी कहता है, कि यू० पी० लैन्ड रिफार्म्स में सब स्टेटों से आगे हैं। सब से मुश्किल काम जमींदारी अबालीशन का था। उस जमाने में, आप ने देखा नहीं, एक साल लगातार इस बेंच पर बैठ कर १०॥ बजे से ५ बजे तक काम करना पड़ता था। एक साल यहां लगा और ६ महीने अपर हाउस में लगे। तब यह जमींदारी अक्त हुई। छू-मन्तर से अक्त नहीं हुई। एक से एक बोलने वाले अपोजीशन में थे। मुस्लिम लीग और जमींदारों का जमाना था। एक एक अमेंडमेंट पर बांसों पसीने आते थे। यह क्या अवश्य उस समय थी कि हमारी ओर से कोई बोलने वाला नहीं था। केवल हम ही थे। वरना यह कई साल चलता। एक बड़ी पोथी करीब ४००, ४५० सफे की तैयार हुई। हम घोड़े को चश्मे तक ले जा सकते हैं, उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। अगर कोई इन सब चीजों को नजरन्दाज करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? किसानों को मुर्गा बनाया जाता था। बटाई सिस्टम था। पौन जमींदार ले ले और चौथाई काश्तकार को मिलता था और बड़े-बड़े अबवाब लगते थे। चमरौती, धनौती, हाथी लिया तो हथियावन, घोड़ा लिया तो घोड़ावन, ये सब बातें थीं। कौन नहीं जानता है? बेचारे बेगार करते थे और मारे जाते थे। प्रेमसिंह जी, बुरा न मानें। अब भी कोई मारा जाता है? किसी को मुर्गा बनाया जाता है? अब कोई बेगार ले सकता है? हमारा किसान अब सीना उभार कर चल सकता है। जब मैं पहले मीटिंगों में आता था तो देखता था कि किसान नंग-धड़ंग खड़े हैं। आज कुर्ता उनके बदन पर है, हाथ में लोटा भी है, फरसई भी है और टोपी भी है। आप भी रोज देखते होंगे। मैं और सब बातें कहूं तो लोग कहेंगे कि किसानों की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि हमारा किसान सफेद-पोश है, साइकिल पर चलता है। हमारे जिले में कम से कम ५० मोटर साइकिलें हैं।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

पहले गवा नहीं था। हमारा किसान बेदखल नहीं हो सकता है चाहे वह सीरदार हो या भूमिधर हो जब तक वह लगान देता रहेगा। मैंने उन वफाओं को बेदखल किया जिनमें हिन्दू मुसलमान आराम से मर नहीं पाते थे। वे सोचते थे कि चार साल के बाद हमारा लड़का बेदखल हो जायगा। कहते हैं कि जमींदारों को बड़ी बड़ी सीरे दे दीं और रिआयती लगान है। लेकिन अगर आप ऐक्ट पढ़ लें तो उन जमींनों के जमींदारों की हकीयत को जब्त कर के मुआवजा नहीं दिया। जिसकी एक्चुअल सीर थी उस को कंपेंसेशन नहीं दिया गया। अब इन राजाओं के मकानों को ही जा कर देख आइये, आप को मालूम हो जायगा कि कितना परिवर्तन हुआ है। जो बड़े बढ़े आलीशान मकान थे आज उन में कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है। यह परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ ? बहुत से समाजवादी लोग कहते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार की एग्रेरियन रिपोर्ट भी क्वोट कर दी गयी और कहा कि तब से अब तक क्या तब्दीली हुई। भला देखिये कितना अन्तर हो गया। उस समय विदेशी सरकार थी उस समय अंग्रेजों के जमाने में जिस तरहसे, कार्य करते थे वही पैमाना आज अपनी सरकारके लिये आप इस्तेमाल करते हैं। यह कहां की अक्लमंदी की बात है ? हम इस बात से इत्तिफाक नहीं करते। जितनी जबान में ताकत है, उस सारी ताकत से कहता हूं कि यह बात गलत है।

अब चकबंदी की बात लीजिये। मैं राधेश्याम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चार लफ्ज हमारे और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के बारे में कहे तो कि हम प्रयास तो करते हैं। यह मैं मानता हूं कि करप्शन होगा। २५-३० हजार लोग काम करते हैं। और फिर राधेश्याम जी जैसे बड़े बड़े लोग शिकायत करने वाले और देने वाले हों तो छोटा अफसर अगर पिस जाय तो क्या ताज्जुब है। लेकिन जब भी हमें मालूम होता है, मैं उसका तबादला कर देता हूं। इसी साल ६०० आदमियों की सर्विसेज टरमिनेट की हैं। जिनमें सब से अधिक पटवारी ही हैं, कुछ ए० सी० ओ० और कुछ सी० ओ० भी हैं। हम में भी खामियां हैं। अभी एक साहब की सर्विसेज टरमिनेट की गयीं तो एक एम० एल० ए० साहब, जिनका नाम मैं बताना नहीं चाहता, पीछे पड़े हुए हैं कि उस मामले पर पुनर्विचार कर लीजिये। हम सही काम करना चाहते हैं लेकिन बाज वक्त दबाव पड़ता है तो कभी मजबूरी हो जाती है। नैनीताल में एलाटमेंट का सवाल आया। हमने सोचा था कि जिसकी दरख्वास्त पहले आयी होगी उसी हिसाब से एलाटमेंट करेंगे। लेकिन बाद में एम० एल० ए० आना शुरू हुए कि हमारी बीबी बीमार है तो एटरेन्डम देना शुरू कर दिया। हम जानते हैं माननीय उग्रसेन, राधेश्याम, रियासत हुसेन बुरा नहीं मानेंगे, इसलिये उन को नहीं दिया। आखिर करें क्या ? एक फाउन्टेन पेन और १४, गाहक। कैसे उसको काटें। किस किस को दें। भीखालाल जी ने कहा कि हरदोई का कानूनगो स्कूल बंद कर दिया गया। जब जरूरत नहीं थी तो बंद कर दिया। अब जरूरत है तो फिर खोलने जा रहे हैं।

भीखालाल जी ने एक बात और कही कि (रैगीशन के) रेग्युलेशन और नियम बहुत पुराने हैं। हमारे भाई चरणसिंह और जहूरुल हसन साहब ने भी इस पर विचार किया था ताकि किसानों को खेत बार छूट मिल सके लेकिन यह तय हुआ कि जब तक बन्दोबस्त नया खेतवार नहीं होगा, तब तक ऐसा करना संभव नहीं होगा। हम भी प्रयास करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। हमारी भी तो दिक्कत है, हम बन्दोबस्त कैसे चलायें, धारा २५१ जमींदारी अबालिशन में कहा गया है कि ४० साल तक बन्दोबस्त न हो, अगर करते हैं तो बाबा शिकनी होती है, आप ही कहेंगे कि आप की बात का और आप के कानून का कोई ठिकाना नहीं है। इसमें किसानों का नुक्सान होगा क्योंकि जब भी बन्दोबस्त होगा मालगुजारी बढ़ेगी वह घटेगी नहीं। रेट गल्ले के ऐसे बढ़े हैं। इस वक्त हम बीसवां हिस्सा मलगुजारी में किसान से पाते हैं और पांचवीं हिस्सा लेने का कायदा है। इसमें बड़ी दिक्कत है और जब तक बन्दोबस्त न हो जाय तब तक हम रेट्स को टच नहीं कर सकते। जहां तक पटवारियों के खाना कैफियत में इंदाराज की बात है, हमारे पास उस के लिये प्रस्ताव आया और हम ने उस को हाई पावर

कमीशन के पास भेजा। उस को साल भर तक एगजामिन किया गया और रिपोर्ट अपनी दी? उस पर लेखपालों का यह अधिकार ले लिया गया है और अब वह इंदराज कानूनगो करेगा और दोनों फरीक को बुलाया जायगा, अब चुपके से लिखने की बात नहीं है कि खाना कैफियत में ३ साल तक लिखा पडा रहा और म्याद खत्म होने पर पूरा कब्जा कर लिया। हम इस तरह से कोशिश करते हैं जहां तक हो इस तरह की अनैतिक बातों को रोका जाय लेकिन फिर भी इंसान का दिमाग ऐसा है कि इबेड कर ही देता है। मैं गलती नहीं करता यह भी नहीं कहता। अब आप के जो सुझाव आये हैं उन को हम देखेंगे और हमारे भाई मदन पाल जी ने बहुत बढ़िया और बड़ी बड़ी बातें बताई हैं और वहहमारे नोटिस में पहली बार आई हैं हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि सदन इन अनुदानों को स्वीकार करेगा। हम ने भी बड़ी मेहनत की, आप ने भी बडी मेहनत की कि आज ५ घंटे बैठें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—वृहत् जोतकर के अंतर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य नीति संबंधी चर्चा सुझाव और शिकायतें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १-वृहत् जोत कर के अन्तर्गत २,८५,७०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—भूमि सुधारों की आलोचना बढ़े हुए लगान का विरोध, भूमि वितरण व्यवस्था के दोषों की आलोचना, लगान की व्यवस्था की चर्चा विभागीय प्रशासन के संबंध में सुझाव, विभाग की अन्य सामान्य नीतियों की चर्चा, सुझाव एवं शिकायतें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ९,९५,५४,४०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान सं० ४०—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—दुर्भिक्ष सहायता में सरकार की उदासीनता, साधनों की कमी तथा सामान्य नीतियों पर चर्चा करना एवं सुझाव देना व शिकायत करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान सख्या ४० दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ३६,५९,३०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बज फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५२ मिनट पर सोमवार, २८ फरवरी, १९६६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२५ फरवरी, १९६६।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (५) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पाछे पृष्ठ ७२२ पर]

मथुरा जिले की प्रत्येक तहसील में माल व मजदूरी चपरासियों का सन् १९६५ का माहवारी विवरण

माल व मजदूरी चपरासियों की कुल संख्या	माह	संख्या चपरासी जिनको तामील दी गई	संख्या तामीलात जो दी गई	संख्या तामीलात जो वस्त बदस्त हुई	संख्या तमीलात जो मकान से हुई	संख्या तामीलात जो वापस हुई	संख्या प्रतिशत माहवारी	विवरण
१	२	३	४	५	६	६	८	९
				तहसील मथुरा				
११	जनवरी ..	६	५६९	५१५	५४	..	१००	शेष चपरासियों के लिये कारगुजारी निर्धारित नहीं है। वे तहसीलदार, व नायब तहसीलदार, डाक ड्यूटी, वसूली तथा अन्य विविध कार्यों में लगे रहे।
	फरवरी ..	६	३९९	३०३	३६	४०	९०	
	मार्च ..	१	११०	५०	१०	४९	५४	
	(इस माह में चपरासी बोर्ड की परीक्षा में व्यस्त रहे।)							
	अप्रैल ..	११	७३६	६९१	३५	१०	९५.९	
	मई ..	९	७२९	४९१	१७१	६६	९१.८	
	जून ..	८	५५०	४६०	८०	१०	९९.७	
	जुलाई ..	७	५२१	४५७	४८	१६	९७	
	अगस्त ..	७	३६८	३२८	३८	२	९९.२	
	सितम्बर ..	६	२७५	२०८	६५	..	१००	
	अक्टूबर ..	८	३७५	३१९	५६	..	१००	
	नवम्बर ..	८	६७८	५७२	१०१	५	९९.३	
	दिसम्बर ..	४	१३६	१३०	६	..	१००	

माल व मजदूरी चपरासियों की कुल संख्या	माह	संख्या चपरासी जिनकी तामील दी गई	संख्या तामीलात जो दी गई	संख्या तामीलात दो दस्त बदस्त हुई	संख्या तामीलात जो मकान से हुई	संख्या तामीलात जो वापस हुई	प्रतिशत माहवारी	विवरण
				तहसील छाता				
२०	जनवरी ..	९	१३४७	११८६	१२०	४१	९७	शेष चपरासियों के लिये
	फरवरी ..	६	६४३	५४५	८२	१६	९७.५	कारगुजारी निर्धारित
	मार्च ..	३	१०६	९३	११	२	९४.८	नहीं है। वे तहसील-
	अप्रैल ..	९	११६२	९९२	१४८	२२	९८.१	दार, नायब तहसील-
	मई ..	१३	७८५	६१५	१०६	६४	९१.८	दार, डाक ड्यूटी,
	जून ..	९	९२९	७८७	१२७	१५	९८.३	वसूली तथा अन्य
	जुलाई ..	१०	६७६	५३३	११९	२४	९६.४	विविध कार्यों में
	अगस्त ..	७	५३६	४२३	१०२	११	९७.९	लगे रहे।
	सितम्बर, ..	८	८११	७०१	१०७	३	९९.६	
	अक्तूबर ..	९	४७४	३८१	८०	१३	९७.२	
	नवम्बर ..	५	७४२	६३९	९८	५	९९.३	
	दिसम्बर ..	५	४१०	३६५	३७	८	९८.०	

तहसील भाट

२४	जनवरी	१२	२१५	१४८	२७	४०	८२	शेष चपरासियों के
	फरवरी,	१६	३९६	३१३	६३	२०	९५	लिये कारगुजारी नि-
	मार्च	१६	१६२	१३३	२०	९	९४.५	र्धारित नहीं है।
	अप्रैल	१६	३५२	२९३	४२	१७	९५.२	वे तहसीलदार व
	मई	१७	२८७	२१८	५१	१८	९४	नायब तहसीलदार,
	जून	१७	२२८	१९३	२९	६	८५	डाक ड्यूटी वसूली
	जुलाई	१९	२२५	१९०	३२	३	९२	तथा अन्य विविध
	अगस्त	१६	२७६	२३७	२७	१२	९५	कार्यों में लगे रहे।
	सितम्बर	१७	७०५	५८५	११२	८	९०	
	अक्तूबर	१९	३२३	२८५	३७	१	९६	
	नवम्बर	१९	२५६	२३६	१३	७	९६	
	दिसम्बर	१४	२४६	२०५	३८	३	९५	

तहसील सादाबाद

२८	जनवरी	१६	२२०२	२१४९	५३	..	१००	शेष चपरासियों के
	फरवरी	२०	१८९८	१८३४	५२	१२	९६	लिये कारगुजारी
	मार्च	१८	१२३२	११६६	५३	१३	९४	निर्धारित नहीं है।
	अप्रैल	१९	१३७०	१३१३	४७	१०	९६	वे तहसीलदार, व
	मई	१८	११४८	१०८४	६४	..	१००	नायब तहसीलदार,
	जून	२१	१८३९	१७४९	९०	..	१००	डाक ड्यूटी, वसूली
	जुलाई	२४	२६१५	२५३८	७०	७	९७	तथा अन्य विविध
	अगस्त	२१	१५३१	१४५१	८०	..	१००	कार्यों में लगे
	सितम्बर	२१	१८९५	१८३०	६०	५	९७	रहे।
	अक्टूबर	२०	११५३	१०९२	५१	१०	९५	
	नवम्बर	२१	१२६५	११९८	६७	..	१००	
	दिसम्बर	१६	९६७	९३०	३७	..	१००	

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२७ पर]

जिला उन्नाव में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित पक्की नव सड़क निर्माण कार्यों की सूची:—

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	तृतीय योजना में सम्मिलित लम्बाई	प्रगति ३१—१—१९६६ तक
१	२	३	४
		मी० फ० फी०	
अ—चालू योजना की सड़कें			
(१)	मोहान—नवलगंज मार्ग	१—४—०	कार्य पूर्ण हो गया है।
(२)	टीकुर—परियार मार्ग	५—१—०	कार्य पूर्ण हो गया है।
(३)	बिहार भगवन्तनगर—बक्सर मार्ग।	१३—४—०	७ प्रतिशत पुलियों का कार्य छोड़कर शेष कार्य पूर्ण हो गया है। आशा है कि यह शेष पुलियों का कार्य भी जून, १९६६ तक समाप्त हो जायगा।
ब—नई योजना की सड़कें—			
(१)	अचलगंज गंगाघाट मार्ग	६—०—०	सड़क इंटर कोट स्टेज तक पूर्ण हो गई है। टाप कोट संचय ४ मील लम्बाई में पूर्ण हो चुका है। पुलियों की प्रगति ९७ प्रतिशत है। कार्य योजना के अनुसार प्रगति में है और आशा है कि मार्च, १९६७ तक पूर्ण हो जायगा।
(२)	बांगरमऊ—जगतनगर मार्ग	५—०—०	मिट्टी का कार्य पूरी लम्बाई में पूरा हो गया है। ३ मील लम्बाई में सड़क इंटर कोट स्टेज तक पूर्ण हो गई है। पुलियों का कार्य ९० प्रतिशत हो चुका है। कार्य योजना के अनुसार प्रगति में है और आशा है मार्च, १९६७ तक पूर्ण हो जायगा।
(३)	विक्रम पुर ऊंचगांव मार्ग	१३—०—०	सड़क इन्टर कोट स्टेज तक पूर्ण हो चुका है तथा टाप कोट १ मील ३ फर्लांग में कुट चुका है। पुलियों का कार्य ९२ प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। आशा की जाती है कि सितम्बर, १९६६ तक यह कार्य पूर्ण हो जायगा।

(४) मोहान–हसनगंज मार्ग का छुटा हुआ भाग।	०–४–०	मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण हो चुका है। इंटर कोट १ फर्लांग में हो चुकी है तथा टाप कोट की गिट्टी एकत्रित की जा रही है। कार्य योजना के अनुसार प्रगति पर है। आशा है कि मार्च, १९६७ तक यह कार्य पूर्ण हो जायगा।

नत्थी 'ग'

[देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ७३८ पर]

प्रश्न संख्या ८ के उत्तर से सम्बन्धित सूचना

क्रम-संख्या	नाम अध्यापक	पद	माह वेतन जबसे बाकी है।
१	सर्वश्री श्री निवास पांडेय	.. प्रधानाचार्य	जुलाई, ६५ से जनवरी, ६६ तक।
२	हीरा मनि पांडेय	.. लेक्चरर	..
३	,, पारस नाथ मिश्र	.. ..	..
४	,, कृष्णा नन्द श्रीवास्तव	.. ..	..
५	,, विजय नारायन दीक्षित	.. ..	..
६	,, रमा शंकर शुक्ल	.. सहायक अध्यापक	..
७	,, विश्वम्भर नाथ शुक्ल	.. ..	..
८	,, गोरख नाथ पांडेय	.. ..	..
९	,, श्यामा चरन लाल	.. ..	..
१०	,, जगदम्बिका प्रसाद कर पाठक	.. ..	..
११	,, रघुराज सिंह	.. ..	..
१२	,, विश्वनाथ मणि त्रिपाठी	.. ..	..
१३	,, कपिल देव मिश्र	.. ..	..
१४	,, उदय राज त्रिपाठी	.. ..	..
१५	,, राम कृपाल पांडेय	.. ..	..
१६	,, शिव पूजन त्रिपाठी	.. ..	..
१७	,, गंगा प्रसाद द्विवेदी	.. ..	..
१८	,, सीता राम लाल	.. ..	..
१९	,, चन्द्र देव द्विवेदी	.. ..	..
२०	,, कमला प्रसाद पांडेय	.. ..	सितम्बर, ६५ से जनवरी, ६६।
२१	,, हजारी लाल श्रीवास्तव	.. लेक्चरर	..
२२	,, चन्द्र मनि सिंह	.. सहायक अध्यापक	..
२३	,, कृष्ण नाथ मिश्र	.. ..	..
२४	,, ब्रजेन्द्र पाठक	.. ..	..
२५	,, श्री राम मिश्र	.. ..	..

२६	,,	वियोगी नारायण पांडेय	..	..	नवम्बर, ६५ से जनवरी, ६६।
२७	,,	रामचन्द्र पांडेय	..	लिपिक	जुलाई, ६५ से जनवरी, ६६।
२८	,,	राम चन्द्र पांडेय	..	लाइब्रेरियन	..
२९	,,	घूरहू प्रसाद	..	दफ्तरी	जुलाई, ६५ से जनवरी, ६६।
३०	,,	राम राज यादव	..	चपरासी	..
३१	,,	हरिद्वार	..	माली	..
३२	,,	कृष्ण नाथ नापित	..	लैब ब्वाय	..
३३	,,	दुलारे प्रसाद	..	चौकीदार	..
३४	,,	हरी राम	..	चपरासी	..
३५	,,	सफी मुहम्मद	..	मेहतर	..

नत्थी 'घ'

[देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४० पर]

तालिका—'क'

जौनपुर जिले के उन विद्यालयों की सूची जो ३ महीने या उससे अधिक समय से अपने अध्यापकों का वेतन व महंगाई भत्ता नियमित रूप से नहीं दे रहे हैं :—

(१) जनता हा० से० स्कूल, खपरवहा खरिहा, जौनपुर।

(२) आर० एस० के० डी० इन्टर कालेज, जौनपुर

(३) बहुधन्धी उ० मा० वि०, सौनहिता, जौनपुर।

(४) श्री स्वामी कृष्णानन्द उ० मा० वि० बेतवार, जौनपुर।

(५) श्री नेहरू आदर्श उ० मा० वि०, आलमगंज, जौनपुर।

(६) सार्वजनिक इन्टर कालेज, मुगरा, बादशाहपुर।

(७) ग्राम विकास उ० मा० वि०, खुटहन

(८) नेशनल इन्टर कालेज, पट्टी नरेन्द्रपुर।

(९) गंगा दीन रामकुमार उ० मा० वि०, रामगढ़, तिलौरा

(१०) उ० मा० वि०, लेदुका।

(११) जयहिन्द इन्टर कालेज, तेजी बाजार।

(१२) बी० आर० पी० इन्टर कालेज,।

(१३) उ० मा० वि०, बड़ेरी।

(१४) रा० हरपाल सिंह इन्टर कालेज, सिंगरामऊ।

(१५) पबलिक इन्टर कालेज, किराकत।

(१६) उ० मा० वि०, सूरतपुर पेशारा।

(१७) श्री गांधी ग्रामोदय उ० मा० वि०, गौरा बादशाहपुर।

(१८) उ० मा० वि०, नेवढ़ियां।

(१९) आदर्श इन्टर कालेज, शम्भूगंज।

(२०) इन्टर कालेज, जमालापुर।

(२१) पबलिक हायर सेकेन्डी, स्कूल, सराय हरजू।

(२२) रजा डी० एम० इन्टर कालेज।

तालिका—'ख'

जौनपुर जिले के उन विद्यालयों की सूची जो तीन महीने याउस से अधिक समय से अपने अध्यापकों का प्राविडेंट फंड नियमित रूप से प्रति माह डाकखाने में नहीं जमा कर रहे हैं :—

१—आर० एस० के० डी०, इन्टर कालेज ।
२—होरिल राघ इन्टर कालेज, कुंवरपुर ।
३—श्री स्वामी कृष्णानन्द उ० मा० वि०, बेलघार ।
४—श्री नेहरू आदर्श उ० मा० वि०, आलमगंज ।
५—हिन्दू इन्टर कालेज, मुगरा बादशाहपुर ।
६—सार्वजनिक इन्टर कालेज, मुगरा बादशाहपुर ।
७—ग्राम विकास उ०मा० वि०, खुटहन ।
८—राष्ट्रीय इन्टर कालेज, सुजानगंज ।
९—नेशनल इन्टर कालेज, पट्टी नरेन्द्रपुर ।
१०—गंगादीन रामकुमार उ० मा० वि०, रामगढ़ तिलौरा ।
११—उ० मा० वि०, लेबुका ।
१२—जयहिन्द इन्टर कालेज, तेजी बाजार ।
१३—पबलिक हायर सेकेन्डरी स्कूल, सराय हरखू ।
१४—राज डी० एम० इन्टर कालेज ।
१५—बी० आर० पी० इन्टर कालेज ।
१६—उ० मा० वि०, सरोखनपुर ।
१७—राजा हरपाल सिंह इन्टर कालेज, सिंहरामऊ ।
१८—पबलिक इन्टर कालेज, केराकत ।
१९—उ० मा० वि०, सूरतपुर पेसारा ।
२०—उ० मा० वि०, नेवढ़िया ।
२१—आदर्श इन्टर कालेज, शम्भूगंज ।
२२—इन्टर कालेज, जमालपुर ।

इसके अतिरिक्त निम्नविद्यालयों में अभी तक प्राविडेन्ड फंड स्कीम नहीं लागू है :—

१—उ० मा० वि०, नीभापुर।	अभी तक विद्यालय ने पी० एफ० योजना लागू नहीं की है। १९६३ से ही अनुदान पा रहा है।
२—उ० मा० वि०, बड़ेरी	,, ,,
३—उ० मा० वि०, गोजेन्द्रपुर	,, ,,
४—श्री गांधी ग्रामोदय उ० मा० वि०, गोरा बादशाह पुर।	पी० एफ० स्कीम अभी किसी ने ज्वाइन-नहीं दिया।
५—उ० मा० वि०, रामनगर विधमोग्रा	,, ,,
६—जनता उ० मा० वि०, सपरहा	यह हा० स्कूल स्तर पर अनुदान नहीं पा रहा है।
७—बहुधन्धी उ० मा० वि०, सोनहिता	,, ,,
८—पंचायत रामज उ० मा० वि०, मोकलपुर	,, ,,

नत्थी 'ङ'

[देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४२ पर]

दिनांक का २१ दिसम्बर, १९६४ को नीलाम हुई भूमि के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना—

नाम जिसके नाम बोली खतम हुई	निवास	रकबा	मूल्य
१	२	३	४
		बीघा बिस्वा	रु० पै०
(१) श्री भगवानदीन पुत्र बदलू राम ..	जगाला, जिला फतेहपुर।	३१.५	८०.००
(२) श्री विजय कुमार पुत्र शिवनन्दन शुक्ला	ओसेरीखेरा, जिला फतेहपुर।	३१.५	५०.००
(३) श्रीमती किरती पुत्री बहूरे लाल ..	सिविल लाइन्स, कानपुर	२७.१९	३००.००
(४) अनिल कुमार पुत्र जे० एल० कुलश्रेष्ठ	,,	३१.०५	१४०.००
(५) अनूप कुमार पुत्र जे० एल० कुलश्रेष्ठ	,,	३१.३	१५०.००
(६) कु० जयन्ती कुमारी पुत्री ,,	,,	३०.१५	१२५.००
(७) कु० सुनन्दा कुमारी पुत्री ,,	,,	३१.४	१३०.००
(८) अरुण कुमार पुत्र ..	,,	३१.५	११५.००
(९) अर्जुन किशोर पुत्र अमृत लाल कुलश्रेष्ठ	आजादपुर, दोहली।	२५.२	१४०.००
(१०) अशोक कुमार पुत्र ,, ,, ..	,,	२७.१७	१४०.००
(११) अशरफी लाल पुत्र मिश्री लाल ..	सिविल लाइन्स, कानपुर।	३१.५	१३७.००
(१२) रबीन्द्र नाथ पुत्र हरी सुन्दर ..	जवाहर नगर, हाथरस, अलीगढ़।	३.४	२५.००
(१३) रबीन्द्रनाथ पुत्र ,, ..	,,	३१.५	५०.००
(१४) महेश कुमार पुत्र सुखई लाल ..	सरांय कायस्थ, जिला कोटा राजस्थान।	३१.५	२००.००
योग		३९५.१९	१८०२.००

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४७ पर)

अस्थाई मार्ग निर्माण खंड सा० नि० विभाग, बलरामपुर (गोन्डा) में (१ नवम्बर, ६५ से १५ दिसम्बर, ६५ तक ७ रोड रोलर रहे। जिनका विवरण इस प्रकार है :

१ नवम्बर से ३० नवम्बर, ६५ तक ५ रोलर रहे।

१ दिसम्बर से १० दिसम्बर, ६५ तक ६ रोलर रहे।

११ दिसम्बर से १५ दिसम्बर तक ७ रोलर रहे।

किस दिन कितने रोड रोलर काम पर रहे उन का विवरण इस प्रकार है :—

माह	तिथि	रोलर की संख्या जो काम पर रहे	माह	तिथि	रोलर की संख्या जो काम पर रहे	माह	तिथि	रोलर की संख्या जो काम पर रहे
१	२	३	४	५	६	७	८	९
नवम्बर, १९६५	१	४	नवम्बर, ६५	१६	४	दिसम्बर, ६५	१	३
,,	२	३	,,	१७	३	,,	२	३
,,	३	४	,,	१८	३	,,	३	५
,,	४	४	,,	१९	२	,,	४	३
,,	५	३	,,	२०	३	,,	५	३
,,	६	२	,,	२१	३	,,	६	३
,,	७	३	,,	२२	३	,,	७	३
,,	८	३	,,	२३	३	,,	८	३
,,	९	१	,,	२४	३	,,	९	२

१	२	३	४	५	६	७	८	९
नवम्बर, १९६५	१०	३	नवम्बर, १९६५	२५	३	दिसम्बर, १९६५	१०	३
,,	११	४	,,	२६	२	,,	११	४
,,	१२	४	,,	२७	२	,,	१२	४
,,	१३	४	,,	२८	२	,,	१३	४
,,	१४	३	,,	२९	३	,,	१४	४
,,	१५	४	,,	३०	१	,,	१५	५
								५२
योग ..		४९			५०			
								५०
								४९
कुल योग								१४१

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४९ पर)

नाम	उस उपाधि का नाम जिससे विभूषित हुए	जिले का नाम जहां के निवासी है	दिये गये आर्थिक पुरस्कार की धनराशि
१	२	३	४
१—क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद।	परमवीर चक्र	गाजीपुर	१०,००० रु० एक मुश्त। तथा इसके अतिरिक्त ३० वर्ष तक के लिये ५०० रु० प्रतिवर्ष भी।
२—श्री जसवन्त सिंह रावत।	महावीर चक्र	पौड़ी गढ़वाल	७,५०० रु० एक मुश्त
३—मेजर आशा राम त्यागी।	महावीर चक्र	मेरठ	७,५०० रु० एक मुश्त
४—श्री त्रिलोक सिंह नेगी	वीर चक्र	पौड़ी गढ़वाल	३,००० रु० एक मुश्त
५—श्री विनोद कुमार गोस्वामी।	वीर चक्र	इलाहाबाद	३,००० रु० एक मुश्त
६—नायक बहादुर सिंह	वीरचक्र	पिथौरागढ़	३,००० रु० एक मुश्त